लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
6-7-92
Parliament Library

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 55 गुरुवार, 3 अगस्त, 1967 / 12 श्रावण, 1889 (शक)

No. 55 Thursday, August 3, 1967 / Sravana 12, 1889 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख — OBITUARY REFERENCE ... 609

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1557	अस्पृश्यता	Untouchability	610–612
1558	मैसर्स अमीं चन्द प्यारेलाल सार्थ संघ	M/s Amin Chand Pyarelal Group of Firms	612–620
1559	उर्वरक संयत्रों का निर्माण	Fabrication of Fertilizer Plants	620–626
1561	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	626–928

अल्प-सूचना प्रश्न/S. N. Q.

41	अनिवार्य वन्ध्यीकरण	Compulsory Sterilisation	628–632

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या /S.Q. Nos.

1560	परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये ऋण	Non-Project Loan	632–633
1562	औद्योगिक तथा कृषि ऋणों पर ब्याज की दर	Rate of Interest for Industrial and Agricultural Credits	633
1564	वर्ष 1966-97 में राष्ट्रीय आय	National Income during 1966–67	633–634

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.		
1565	अमरीकी ध्वज पोतों (फ्लैग वैसल) के भाड़े की दरें	Freight Rates for US Flage Vessels ..	634
1567	विदेशी तेल कम्पनियों का अभिग्रहण	Acquisition of Foreign Oil Companies	635
1668	विदेशी बैंक	Foreign Bank ..	635-636
1569	पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officers of Punjab National Bank	636
1570	पेट्रोलियम पर अधिक रायल्टी के भुगतान के बारे में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration to decide Payment of increased Royalty on Petroleum ..	636–637
1571	तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory Based on Liquid Ammonia	637
1572	महाराष्ट्र राज्य में मन्दी	Recession in Maharashtra State ..	637–638
1573	स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चण्डीगढ में पदोन्नतियां	Promotions in post Graduate Medical Institute, Chandigarh	638–639
1574	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली की गई राशि में राज्यों का हिस्सा	States Share in Collection of Central Excise Duty	639
1576	कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के बारे में विवाद	Krishna-Godavri Waters Dispute ..	639–640
1577	दिल्ली में परिवार नियोजन अभियान	Family Planning Campaign in Delhi ...	640
1578	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	640–641

अता प्र.संख्या/ U.S. Q.Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Peges
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
1579	वैद्यों और हकीमों के लिये संहिता	Code for Ayurvedic and Unani Practitioners	641
1580	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में सेफ्टी मार्जिन	Safety Margin in C. P. W. D. Constructions	641–642
1581	भूतपूर्व संसद सदस्यों के कब्जे में सरकारी मकान	Governdment Accommodation occupied by Ex-M. Ps.	642
1582	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U. K.	642–643
1583	सरकारी उपक्रमों द्वारा मूल्य बढ़ाया जाना	Raising of Prices by public Undertakings	643
1584	मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल सार्थ संघ से आय कर की वसूली	Recovery of Income Tax-from M/s Aminchand Pyarelal Group of Firms	643–645
1586	आयकर का नया प्रपत्र	New Income tax form	645
अता. प्र. सं./U. S.Q. Nos.			
7720	कांजीवरम स्थित सेंट्रल बैंक में केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा छापा	Raid by C. B. I. in Central Bank, Conjeevaram	645–646
7721	गुजरात में औद्योगिक आवास योजना	Industrial Housing Schemes in Gujarat	646
7722	गुजरात में ग्रामीण आवास योजनाएं	Rural Housing Schemes in Gujarat	646–647
7723	तीसरी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में सिंचाई परियोजनाऐं	Irrigation Projects in Gujarat State during Third Five Year Plan	647
7724	गुजरात राज्य में कोढ उपचार केन्द्र	Leprosy Control Centres in Gujarat State	648
7725	गुजरात राज्य में आयकर निर्धारण तथा अपीलें	Income tax Assessment and Appeals in Gujarat State	648
7726	चौथी योजना में मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in M. P. in Fourth Plan	649

7727	मध्य प्रदेश में आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामले	Income tax Assessment cases pending in Madhya Pradesh	649–650
7728	पूर्वी यूरोप के देशों के सम्भरणकर्ताओं के साथ समझौतों में सोने की समता (गोल्ड पेरिटी) सम्बन्धी खण्ड जोड़ा जाना	Inclusion of Gold Parity Clause in Contracts with Suppliers in East European Countries ...	650–651
7729	सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक इंजीनियर	Industrial Engineers in Public Undertakings ...	651–652
7730	पेट्रोलियम कोक का निर्यात	Export of Petroleum coke –	652
7731	इंजीनियरी संग्रहालय	Engineering Museum ..	653
7732	भार प्रेषण संस्था (लोड डिस्पेंच इंस्टीट्यूट)	Load Despatch Instiute	653
7733	शिडयूल्ड ट्राइब कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	Seheduled Tribe Co-operative Finance and Development Corportion Ltd...	653–654
7734	बिहार में बाढ़	Floods in Bihar	654–655
7735	बिदेशों में लगी हुई भारतीय पूंजी	Indian Capital Invested in Foreign countries	655
7736	स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चण्डीगढ	Post graduate Medical Institute, Chandigarh	655
7737	पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीट्यूट, चण्डीगढ़ के शापिंग सेन्टर में दुकानों का अलाटमेंट	Allotment of Shops in the Shopping Centre of Post graduate Medical Institute Chandigarh	656
7738	पासी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता	Recognition of Passi Community as Scheduled Caste	656
7739	मैसूर राज्य में हरिजन	Harijans in Mysore State	656–657

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
7740	हरिजनों के लिए मकान — Houses for Harijans ..	657
7741	जापान से ऋण — Credit from Japan ..	657
7742	अधिकारियों के विरुद्ध आरोप — Charges against Officials ...	657–658
7743	मद्रास राज्य में समुद्र से भूमि का कटाव — Sea Erosion in Madras State ...	658
7744	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन — Reorganisation of Office of Commissioner for Scheduled Castes and Schduled Tribes	659
7745	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्राप्त हुई शिकायतें — Complaints received by Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ... —	659–660
7746	समाज कल्याण विभाग में निःसंवर्ग पद — Ex-cadre posts in Social Welfare Department	660
7747	लूप लगवाना रुपया कमाने का साधन — Insertion of loop as money making device	660–661
7748	आगरा छावनी रेल्वे स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना — Gold seized at Agra Cantonment Railway Station	661
7749	बरौनी और नामरूप उर्वरक परियोजना — Barauni and Namrup Fertilizer Projects ...	662
7750	दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों से दवाइयों का गोलमाल — Misappropriation of Medicines in C. G. H. S. Dispensaries, Delhi ...	662–663
7751	नये उर्वरक कारखानों के लिए लाइसेंस दिया जाना — Issue of Licences for naw Fertilizer Factories ...	664
7752	जंजीबार से स्वदेश लौटे व्यक्ति की लौंग — Consignment of Cloves of a Repatriate from Zanzibar	664–665

7753	बड़ा बाजार कलकत्ता में हीरे जवाहरात पकड़ा जाना	Jewellery recovered from Bara Bazar, Calcutta	665
7754	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में ड्राइवर	Drivers in Health and Family Planning Ministry	665-666
7755	बिहार में समाज कल्याण कार्य	Social Welfare in Bihar	666
7756	मद्रास हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से हीरों का पकड़ा जाना	Diamonds recovered from a Passenger at Madras Airport	666
7757	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में ड्राइवरों की पदोन्नति के अवसर	Promotion Prospects of Drivers in Central Government Hospitals ...	666-667
7758	बम्बई के निकट पाकिस्तानी नाव से चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Smuggled articles seized from Pakistani boat near Bombay	667
7759	जेट विमानों का ईंधन	Jet Fuel	667-668
7760	राजस्थान के गंगानगर जिले में फसल को क्षति	Damage to crops in District Ganganagar of Rajasthan	668
7761	विज्ञापन (पब्लिसिटी) उद्योग	Publicity Industry	668
7762	बिदेशों में भारत मूलक विनियोजक	Investors of Indian Origin abroad ...	668-669
7763	राज्यों में बिजली की कमी	Power Shortage in States	669-670
7764	पंजाब में उर्वरक कारखाना	Fertilizer factory in Punjab	671
7765	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programmes ..	671-672
7766	विलिंगडन अस्पताल के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class III and Class IV Employees of Willingdon Hospital	672

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7767	सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने के लिए बिहार में बिजली घर	Power House in Bihar for Supply of Electricity at Cheap Rates ...	673
7768	पोलिया रोग की आयुर्वेदिक औषधि	Ayurvedic Polio Cure	673
7769	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण (रेमीटेंस) योजना	National Defence Remittance Scheme	673-674
7770	कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Leprosy Patients ..	674
7771	इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा तेल का आयात	Import of Oil by Indian Oil Corporation ...	674-675
7772	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	675
7773	उज्जैन की फर्म द्वारा आयकर अपवंचन	Income-Tax Evasion by Ujjain Firm ..	675
7774	लद्दाख को बिजली की सप्लाई	Electricity for Ladakh	675
7775	चण्डीगढ़ में सरकारी भवनों के किरायों का निर्धारण	Fixation of rent of Government Buildings in Chandigarh	676
7776	बुनाई की ऊन की रंगाई पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Dyeing of Knitting Wool ...	676-677
7777	परिवार नियोजन के लिए स्वीडन सरकार की प्रार्थना पर गर्भनिरोधक उपकरण तथा चिकित्सा कर्मचारी	Sweden Government's request for Contraceptive and Medical Personnel for family Planning	677
7778	उद्योगों के लिये लागत एवं मूल्यांकन फार्मूला	Cost Plus Pricing Formula for Industres	677-678
7779	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	677

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7780	परिवार नियोजन के लिए ताड़ी और बियर का प्रयोग	Toddy and Beer as Family Planning Devices	679
7781	हीराकुण्ड अनुसंधान केन्द्र	Hirakund Research Centre	679–680
7782	श्रीसैलम परियोजना	Srisailam Project ...	680
7783	टेलीफोन पर सरकार का व्यय	Government's Expenditure on Telephones	680
7785	पेट्रोलियम के उत्पादों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Petroleum Products	680–681
7786	सरकारी क्वार्टरों के अलाटमेंट सम्बन्धी नियम	Allotment Rules for Government Accommodation	681
7787	महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि	Rates of Dearness Increase	682
7788	बिड़ला समवाय समूह की जूट मिलों द्वारा आयकर अपवंचन	Evasion of Income-tax by Birla Group of Jute Mills	682–683
7789	मध्य प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई	Drinking Water Supply in Rural Areas of Madhya Pradesh	683
7790	अन्दमान में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Andaman	683
7791	नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों की बिक्री	Sale of Government Quarters in Gole Market area, New Delhi	683–684
7792	महानदी नदी के आसपास के क्षेत्र में भूमि पर उपलब्ध पानी के उपयोग के बारे में अध्ययन	Study of surface water Resources of Mahanadi River Basins	684
7793	आंध्र प्रदेश में शांति सेवा के स्वयंसेवक	Peace Corps Volunteers in Andhra Pradesh	684–685
7794	कोका कोला	Coca Cola	685

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

7795	अमरीका तथा रूस से प्राप्त सहायता	Assistance received from USA and USSR ..	685–686
7796	आयकर निर्धारण	Income tax Assessments ..	686–687
7797	आयकर सम्बन्धी अपीलें	Income tax appeals	687
7798	आयकर निर्धारण के बारे में पुनर्विचार	Reopening of Income tax Assessments ...	687–6 88
7799	उर्वरक कारखानों में मशीनरी तथा संयंत्र लगाने की दर	Rates for Erection of Machinery and Plant at Fertilizer Plants.	688
7800	मैसर्स जेनसन एण्ड निकलसन, कलकत्ता के एक अधिकारी के पास से विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Currency from an executive of M/s Jenson and Nicholson, Calcutta	688–689
7801	भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिक के विरूद्ध विशेष पुलिस द्वारा जांच	Special police Enquiry against some Officers of Fertilizers Corporation of India	690
7802	'न्यूयार्क टाइम्स' द्वारा निकाला गया विशेष अनुपूरक अंक	Special supplement brought out by New York Times ... –	690-691
7803	फर्मों तथा संयुक्त हिन्दू परिवारों द्वारा दिया गया आयकर	Income tax paid by Firms and Hindu Joint Families ... –	691-692
7804	केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थानों पर डायनमों आदि का लगाया जाना	Installation of Dynamos etc. at Central Ministers' Residences	692
7805	दिल्ली में बरामद अफीम	Opium recovered in Delhi	692–693
7806	रिजर्व बैंक आफ इन्डिया पटना के कर्मचारी	Employees of Reserve Bank of India Patna – ..	693

7807	सरकारी मुद्रणालय, नई दिल्ली के मोनोकास्ट आपरेटर	Mono Cast Operators in Government of India Press, New Delhi ...	693–694
7808	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird & Co. ..	694
7809	विदेशी बैंकों के चेकों तथा ड्राफ्टों का राजकोट में पकड़ा जाना	Cheques and drafts of Foreign Banks seized in Rajkot ..	694-695
7810	यमुना नदी के तटों का विकास	Development of banks of Jamuna	695
7811	फरक्का बांध के लिए शीट पाइल्स	Sheet piles for Farakka Barrage ..	695–696
7812	जयश्री टैक्सटाइल इंडस्ट्री	Jaishree Textile Industry ..	696
7813	अतिरिक्त सेवा करने के लिए संसत्सदस्य के वेतन से की गई कटौती	Deductions made from M. P' s., Salaries for Additional, Services ...	696
7814	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत दण्ड	Food Adulteration Act and Punishment thereunder	697
7815	बन्ध्यकरण के लिए प्रोत्साहन	Incentive for Sterilisation	697–698
8816	तालवाड़ा घाट में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया धन	Money confiscated by Excise Officials in Talwara Ghat	698–699
7817	गर्भनिरोधक गोलियों का निर्माण	Manufacture of Contraceptive Pills	699
7819	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	699
7820	बम्बई की फर्म मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रदर्स द्वारा लिये गये ऋण	Loans taken by M/s Jhunjhunwala & Bros. Bombay	700

7821	दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों वाले क्वार्टर	Two Roomed Flats for Class IV Employees in Delhi	700–701
7822	मीना बाग स्थित संसद सदस्यों के आवास गृहों में बिजली की फिटिंग	Electric fittings in Meena Bagh Flats for M. Ps. ...	701
7823	मैसर्स जे वाल्टर थोमसन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s J Walter Thompson Company (P) Ltd.	701-702
7824	परिवार नियोजन का प्रचार करने का ठेका	Contract for Publicity of Family Planning	702-703
7825	कलकत्ता के लेखन सामग्री डिपो के नैमित्तिक कर्मचारी	Casual Workers in Stationery Depot. Calcutta	703-704
7826	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ओवरसियरों (सैक्सन आफिसरों) के लिए सिलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Section Officers in C. P. W. D.	704–705
7827	उत्तर प्रदेश में कीटनाशक दवाइयां तैयार करने का कारखाना	Pesticide Plant in U. P.	705
7828	मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स	M/s J. P. & Sons	705–706
7829	लेखा–बाह्य धन	Unaccounted Money	706
7830	भारत सरकार के मुद्रणालयों में मैकेनिकों का वेतन क्रम	Pay Scales of Mechanics in Government of India Presses	706
7831	मुद्रण तथा लेखन सामग्री मुख्य नियन्त्रक का कार्यालय	Office of the Chief Controller of Printing and Stationery	706-707
7832	नागर सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली नगर निगम को अनुदान	Grant to Delhi Municipal Corporation for Providing Municipal Services	707

7833	कृषि कार्यों के हेतु बिजली की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश को दी गई राज सहायता	Subsidy given to Madhya Pradesh for Supply of Electricity for Agricultural Purposes	707–708
7834	मध्य प्रदेश में देशी चिकित्सा प्रणालियों के लिये सहायता	Aid for indigenous systems of medicine in Madhya Pradesh	708
7835	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in States	708
7836	संसत्सदस्यों के लिये मकान	Accommodation for Members of Parliament ..	708–709
7837	एस. डबल्यू. पाईप बनाने वाले एक कारखाने पर छापा	Raid on a S. W. pipe Producing Factory	709
7838	एस. डबल्यू. पाईपों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on S. W. Pipes	710
7839	वित्त मंत्री का विदेशों का दौरा	Finance Minister's visit Abroad	710–711
7840	सेलौलिम सिंचाई परियोजन, गोआ	Selaulim Irrigation Project, Goa	711
7841	नंगल में इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट	Electrolysis Plant at Nangal	711–712
7842	इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट यूनिट	Elcctrolysis Plant Unit ..	712–713
7843	केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्त का पुनर्नियतन	Re-adlocation of Finanees between the Centre and States	713
7844	सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता	Assistance to Drought affected states ...	713–714
7845	येट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय में संसद् कार्य सहायक	Parliament Assistants in the Ministry of Petroleum and Chemicals	714

7846	तीसरी लोक सभा के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा अन्य लोगों को किराये पर आवासगृह दिये जाना	Sub-letting of Flats by M. Ps. during Third Lok Sabha ...	714–715
7847	योगासनों द्वारा उपचार की प्रणाली	Yogic Therapy	715–716
7848	पंजाब और हरियाणा को सहायता	Assistance to Punjab and Haryana	716
7849	चिकित्सा वाली जड़ी बूंटियां	Medicinal Herbs	716
7850	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्साधीन रोगी	Patients under Treatment in Ayurvedic C. H. S. Dispensaries in Delhi ...	717
7851	भारत का यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust of India	717–718
7852	मनीपुर में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in Manipur ...	718
7853	राजधानी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उपनगरीय कस्बों का विकास	Development of Satellite Towns under the capital Zone Development Plan	718–719
7854	दिल्ली के पुराने और नये क्षेत्रों में नगर सुविधाएं	Civic Amenities in Old and New Areas of Delhi	719
7855	इम्फाल में औषधियों का अभाव	Shortage of Medicines at Imphal	719–720
7856	मनीपुर में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये धन	Funds for Medical Education and Training in Manipur	720
7857	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई और बिजली की परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects in Himachal Pradesh	720–721

अता. प्रश्न संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
7858 सिंचाई और बिजली की परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects	721–722
7859 मैट्रिक से पहले तथा उसके बाद अध्ययन के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को दाखिला दिया जाना	Enrolment of S. C. & S. T. in Pre and Post Matric Stages	722–723
7860 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुर्नगठन	Re-organisation of Office of Commissioner for Schedulod Castes and Scheduled Tribes	723
7861 देश में सिंचाई की सुविधायें	Irrigation Facilities in the Country	723–724
7862 गुजरात उर्वरक कारखाना	Gujarat Fertilizer Project	724
7863 चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण	Post Graduate Medical Training	725
7864 राजस्थान नहर तथा पोंग बांध के निर्माण के कारण हटाये जाने वाले लोगों का पुनर्वास	Resettlement of Oustees of Rajasthan Canal and Pong Dam	725–726
7865 राजस्थान नहर से राजस्थान को पानी की सप्लाई	Supply of Water from Rajasthan Canal to Rajasthan	726
7866 आयातित मिट्टी के तेल की लागत	Cost of Imported Kerosene Oil	726–727
7867 विदेशी बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं खोली जाना	Opening of Branches by Foreign Banks ...	727
7868 बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Remitted Abroad... ...	727
7869 बिहार को मिट्टी के तेल और पेट्रोल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil and Petrol to Bihar	728

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

7870	तात्मा और खात्वे जातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल करना	Inclusion of Tatma and Khatbe Castes in Backward Classes	728
7871	रूसी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाएं	Projects run with Russian Assistance ...	728–729
7872	दिल्ली में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Delhi	729–730
7873	जाटवों और हरिजनों को उनके परम्परागत व्यवसायों के लिये प्रोत्साहन देना	Encouragement to Harijans and Jatavs in their Traditional Professions	730
7874	मनीपुर में सिंचाई के लिये धन	Funds for Irrigation in Manipur ... —	730
7875	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels, Ltd., New Delhi	730–731
7876	आदिम जातीय विकास खड	Tribal Development Blocks	731
7877	अनधिकृत बस्तियों को नियमित घोषित करना	Regularisation of Unauthorised Colonies	732
7878	प्रति-जीवाणु औषध कारखाना, ऋषिकेश	Antibiotics Factory, Rishikesh	732
7879	नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में मूर्छोपचार विभाग	Resuscitation Unit at Irwin Hospital, New Delhi ... —	732–733
7880	वित्त मन्त्रालय में संसद कार्य सहायक (पालियामेंटरी असिस्टेंट)	Parliament Assistants in Finance Ministry	733
7881	राज्यों के बिजली बोर्डों के बारे में वेंकटारमन समिति का प्रतिवेदन	Venkataraman Committee's Report on State Electricity Boards	733–734
7882	दिल्ली में लाहौरी गेट के निकट अनधिकृत रूप से बसे हुए धोबी लोग	Dhobi Squatters near Lahori Gate, Delhi	734

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
7883	गंगा नदी में जल मार्ग के लिए नेपाल की प्रार्थना	Nepal's request for a Water way through Ganga	734-735
7884	केन्द्रीय सरकार की सम्पदाओं के लिए कलकत्ता निगम को कर का भुगतान	Payment of Tax to Calcutta Corporation for Central Government Properties ..	735
7885	केन्द्रीय सरकार की सम्पदाओं के लिए कलकत्ता निगम को सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज) का भुगतान	Payment of Service Charges to Calcutta Corporation for Central Government Properties	735-736
7886	गुजरात के तेल क्षेत्र	Oil fields in Gujarat	736
7887	कुसावा जाति	Kusava Community	737
7888	प्रादेशिक चिकित्सा कालेज	Regional Medical Colleges	737
7889	बारक बांध परियोजना	Barak Dam Project	737-738
7890	सन्तति निग्रह के लिये भारतीय औषधियां	Indian Drugs for Birth Control	738
7891	चित्तौड़ जिले में अफीम पकड़ी जाना	Seizure of Opium in District Chittor... ...	738
7892	भारत सरकार के मुद्रणालयों में जिल्दसाजों के वेतन मान	Pay scale of Binders in Government of India Presses	739
7893	भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली के श्रमिक	Labour Workers in Government of India Press, New Delhi	739-740
7894	भारतीय तथा विदेशी मुद्रा पकड़ी जाना	Seizure of Indian and Foreingn Currency ...	740
7895	वेयर हाऊस मैन के कर्तव्य	Duties of Warehousemen	740-741
7896	भारत सरकार के मुद्रणालयों के मशीन इंकर के कर्तव्य	Duties of Machine Inker in Government of India Press	741

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7897	चेचक के टीके लगाना	Small Pox Vaccinations	741–742
7900	दिल्ली के झुग्गी वासी	Jhuggi Dwellers in Delhi ...	742
7901	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme ...	742–743
7902	उत्तर प्रदेश में सिचाई के लिये अतिरिक्त धन	Additional Funds far Irrigation in U. P. ...	743
7903	उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U. P. ...	743
7904	चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिये नियतन	Allocations to U. P. in First Year of Fourth Plan	744
7905	उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विशयक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये अनुदान	Grant for Medical Education and Training in U. P.	744–745
7906	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन एवं अन्य सरकारी उपक्रमों के लिये स्वायत्तता	Autonomy for I. A. C. vis-a vis other Public Undertakings	746
7907	जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेष	Investment by L. I. C.	745–746
7908	बरौनी में (कैल्सीनेशन) निस्तापन कारखाना	Calcination Plant at Barauni	747
7910	दिल्ली में मकानों आदि के निर्माण को नियमित करने के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chada Committee Report re. Regularisation of Structures in Delhi	747
7911	आयकर के अमरीकी विशेषज्ञ	American Income tax Experts	748
	अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	748

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
दिल्ली में अनाज की अत्याधिक कमी, जिसके कारण राशन व्यवस्था समाप्त-प्राय: हो गई है	Acute Shortage of food grains in Delhi causing virtual breakdown of rationing System	748
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query) ...	751
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Liad on the Table	753
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House	755
दूसरा प्रतिवेदन	Second Repot	755
विनियोग (रेल्वे) संख्या 2 विधेयक 1967—पुर:स्थापित	Appropriation (Railways) No. 2 Bill 1967-Introduced	756
बम्बई पुलिस द्वारा सदस्य को परेशान करने के बारे में	Re Harassment to Member by Bombay Police ... —	756
वर्ष 1964–65 तथा 1965–66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें तथा पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourteenth and Fifteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1964–65 and 1965–66 ... --	757
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri S. M. Solanki	758
श्री सूरजभान	Shri Suraj Bhan	759
श्री मं. रं. कृष्ण	Shri M. R. Krishna	761
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	764
श्री रा डो. भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	765
श्री शिवशंकरन	Shri Sinvasankaran	767
श्रीमती अगमदास गुरू मिनीमाता	Shrimati Agam Dass Guru Minimata ...	769

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	769
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ...	770
श्री मीठालाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	771
श्री ना. नि. पटेल	Shri N. N. Paeel ...	772
पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान बेचने के समाचार के बारे में चर्चा	Discussion Re. Reported sale of Military Materials by West Germany to Pakistan	773
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	773
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ...	774
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	774
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	775
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	776
श्री गणेश	Shri K. B. Ganesh	778
श्री प्र. न. सोलंकी	Shri P. N. Solanki	779
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yada	779
श्री ही. ना मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	780
श्री रामकिशन	Shri Ram Kishan	781
श्री रवीराय	Shri Rabi Ray	781
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	782
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	782
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	783

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 3 अगस्त, 1967/ 12 श्रावण, 1889 (शक)
Thursday, August 3, 1967/*Sravana* 12, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री प्रमथनाथ बनर्जी का देहान्त 1 अगस्त, 1967 को 81 वर्ष की अवस्था में कोटाई में हो गया है।

श्री बनर्जी 1957-62 की अवधि में दूसरी लोक–सभा के सदस्य थे।

हमें उनकी मृत्यु पर अत्यधिक दुःख है और हम सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

शोक व्यक्त करने के लिये सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTION

Untouchability

+

*1557. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints that people still observe untouchability in certain parts of the country; and

(b) if so, the action taken against such people ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी हां।

(ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अनुसार शिकायतों की जांच की जाती है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There has not been so much progress in the uplift of Harijans during the last twenty years as it should have been. They are even today faced with social, economic and political problems They are not yet provided with facilities of free education in colleges. They are facing housing problems I want to know whether any assessment has been made in regard to their problems they are faced with today and whether any programme has been drawn up to solve these problems within the next three or four years.

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा में सामान्य सुधार का सम्बन्ध है, इस दशा में कुछ प्रगति हुई है, उनकी दशा में सुधार करने के लिये और भी प्रयत्न किये जा रहे हैं, इन दोनों वर्गों की जातियों की जनसंख्या देश की कुल संख्या का 20 है और बड़े पैमाने पर उनकी सहायता करने के लिये उपलब्ध आर्थिक संसाधानों पर ही निर्भर करना पड़ता है। इस समय हमारे पास जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे जितना कुछ किया जा सकता है, उतना हम करना चाहते हैं। उनके लिये क्या किया जायेगा, इस बारे में मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता जिसका संकेत रूपरेखा प्रारम्भ में दिया गया है, मैं समझता हूं कि यदि हम उतना भी कर सकें, तो कम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को यह स्मरण करा दूं कि इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये हमारे पास सात घंटे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked a definite and simple question ; whether any programme has been drawn upto ameliorate their conditions within they next three four years. But the hon. Minister has given an evasive or a general reply. I want a definite reply from him.

श्री अशोक मेहता : प्रश्न जब उनकी दशा में सुधार करने से सम्बन्धित है, तो माननीय सदस्य को योजनाओं के बारे में पता ही है । ये योजनाएं उन्हें शैक्षिक सुविधाएं देने,

उनके लिये आवास, भूमि की व्यवस्था करने, उन्हें रोजगार दिलाने आदि के बारे में है। जहां तक आदिम जातीय लोगों का सम्बन्ध है, उनके लिये आदिम जातीय खण्ड खोले गये हैं। सदस्यों को इन योजनाओं के बारे में पता है। इन योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष भी हमने वित्त मंत्रालय को आय व्ययक में इस कार्य के लिये की गई धन की व्यवस्था के अलावा कुछ अतिरिक्त नियतन करने के लिये मना लिया है। सीमित साधनों के अन्दर इस दिशा में जो कुछ भी हो सकता है हर प्रयास किया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are crores of people in the villages who do not get even pure water to drink. They have no clothes to wear, no house to live in. This is all due to their acute poverty. Even in Delhi, you will find lakhs of people without accommodation. I want to know what efforts are made in these areas particularly in Backward areas where christian missionaries take undue advantage of their poverty and convert them, to ameliorate their conditions.

Secondly, I want to know whether it is a fact that they are not entitled to any of the facilities and concessions that are offered to them if they get converted to other religions,

श्री अशोक मेहता : जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, यदि वे सिख धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो वे उन सुविधाओं तथा रियायतों के हकदार नहीं रहते जो कि उन्हें दी जाती है, किन्तु अनुसूचित आदिम जातियों को, चाहे वे कोई भी धर्म अपनालें, सुविधाएं दी जाती हैं।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य के दिमाग में अनुसूचित आदिम जाति-क्षेत्र थे। अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के लिये जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, वहां आदिम जातीय विकास खण्डों का विकास करने का कार्यक्रम चल रहा है। इन खण्डों का आकार सामुदायिक विकास खण्ड के आकार का आधा अथवा उससे भी कम है और इन छोटे खण्डों के लिये समूचे देश भर में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये जितने संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, उससे भी अधिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास इस समय लगभग 400 सामुदायिक खण्ड हैं और हम उनका विस्तार करना चाहते हैं किन्तु कठिन वित्तीय स्थिति के कारण हम खण्डों की स्थापना नहीं कर पाये हैं किन्तु हमारा समूचा कार्यक्रम इन आदिम जातीय विकास खण्डों के माध्यम से इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने तथा वहां संचार व्यवस्था में सुधार करने का है जिसके लिये गहन प्रयास किये जायेंगे।

श्री शंकरानन्द : यह बड़े दुर्भाग्य तथा दुःख की बात है कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता सैंकड़ों वर्ष से एक चुनौती रही है और हमारे लिये यह लज्जा की बात है कि वह आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी समाज में व्याप्त है। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता का भेद-भाव बरते जाने के क्या कारण हैं और यदि हां, तो क्या उसने इसका कोई इलाज ढूंढा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में आप भाषण दे रहे हैं । मैं समझता हूं मैं अगला प्रश्न लूं । श्री लिमये ।

Shri Molahu Prasad : Sir, you have given only five minutes to this question.

Mr. Speaker : I have given seven hours for this.

Shri Molahu Prasad : Previously you used to finish only three questions in hour and now you are going to the next question only after five minutes when the question is so important.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं पा रहा हूँ । हमने सात घंटे दिये हैं । प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् हम इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं, सदस्य गण नित्य ही ऐसा कर रहे हैं, इस तरह चलना असंभव है । कल हम चर्चा कर चुके हैं और हमें इस पर 6½ घंटे और बहस करनी है, माननीय सदस्य इस बात को समझते नहीं है ।

Shri Molahu Prasad : This question should be transferred for that date.

Shri S. M. Joshi : Time is allotted to the item under discussion. May be, we may not get an apportunity to participatein that discussion. But now we have an opportunity to ask questions.

(तारांकित प्रश्न संख्या 1584 के बारे में)

श्री मधु लिमये : प्रश्न संख्या 1558

श्री स० मो० बनर्जी : इसके साथ प्रश्न संख्या 1584 लिया जाये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : वह प्रश्न अलग है ।

मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ

\+

***1558. श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् इस्पात का आयात करने तथा सीमा पार करने के जाली प्रमाणपत्र (क्रोस बोर्डर सर्टिफिकेट्स) पेश कराने के कारण मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल पर किया गया जुर्माना इस बीच वसूल हो गया है; और

(ख) क्या फर्म को दिये गये इस विकल्प का कि वह देश में खपत के लिए माल छुड़ा सकता है, उस फर्म ने प्रयोग किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) माल के तीन जत्थे आयात करने के सम्बन्ध में मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल पर लगाये गये 2,28,000 रुपये के कुल दण्ड में से, तीन में से दो मामलों सम्बन्धी 1,28,000 रुपये का दण्ड इस बीच वसूल हो चुका है। तीसरे मामले के सम्बन्ध में इस फर्म ने बम्बई के उच्च न्यायालय में रिट दरख्वास्त दायर की है।

(ख) तीन मामलों में से केवल एक मामले में इस फर्म ने विकल्प का लाभ उठाया है और 1,00,000 रुपये का जुर्माना अदा करके, माल को देश में काम में लेने के लिए छुड़ा लिया है।

Shri Madhu Limaye : I would like to invite the attention of the hon. Minister to the fact that a large scale expansion of Amichand Pyarelal group of firms was taking place between from 1951 to 1959 and their profits were swelling accordingly. But it is a matter of utter surprise that the amount of their income tax which amounted previously to roundeabout. Rs. 9 lakhs gradually came down to about Rs. 1,28,000 despite the rise in their income and profits. The main factor responsible for this was the increasing influence of the firm on the Government and officers of the Income Tax Department. The income for the period of assessment, from 1951 to 1959 was Rs. 1 crore and tax amounting to Rs. 75,000 was levied on them. I want to know when a penalty was imposed on the firm for importing steel after the expiry and in presenting forged crors border certificates, why a penalty was not imposed on them for concealing their income and thus evading the income tax ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह अनुपूरक प्रश्न अन्य प्रश्न से सम्बन्धित हैं, उसका सम्बन्ध आयकर से है, यह सीमा शुल्क का प्रश्न है, ये दो अलग-अलग मामले हैं.

अध्यक्ष महोदय : दोनों का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से हैं,

Shri Madhu Limaye : One case has been apprehended, several other case like that go un-noticed, and that is the reason for concealing income.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आप उस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति भी देते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह सच नहीं है कि आयकर में कमी की गई थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर में दिये गये विवरण में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट की गई है। वर्ष 1958–59 में आयकर में कमी करने का कोई प्रश्न नहीं हैं।

श्री रंगा : क्या आय का अनुमान लगाया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह भी दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I would like to make the position clear, I have referred those figures on the basis of a statement which was laid on the Table of the House during the last Lok Sabha in reply to a question put by me. At that time they stated that no penalty was imposed on the firm, so I am asking this question now.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दूसरा प्रश्न 1584 के सम्बन्ध में....

अध्यक्ष महोदय : आप उस उत्तर को सभा-पटल पर रखिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने सोचा हम इस प्रश्न के बारे में जवाब-सवाल कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसका सम्बन्ध भी मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल सार्थ समूह से है, आपने उसे सभा-पटल पर रख दिया है । अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभा-पटल पर रखा गया है । उस विवरण में हमने वर्ष 1951-52 से लेकर 1958-59 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष के आंकड़े दिये हैं, और उससे मालूम हो जायेगा कि कर जो वर्ष 1951-52 में 8.91 लाख रुपये था बढ़ाकर वर्ष 1958-59 में 10.69 लाख रुपये कर दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : Make it clear that it was re-assessed tax levy and not original.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका श्रेय किसको जायेगा ? आयकर विभाग ने यह किया है ।

Shri Madhu Limaye : It was done after a hue and cry.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसलिये भी मधु लिमये ने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है, उनका सम्बन्ध कर की वसूली से है और न कि करों से, कर में वृद्धि हुई है ।

Shir Madhu Limaye : Nothing has been said about penalty.

The Deputy Prime Minister and Ministry of Finance (Shri Morarji Desai) : That is in the statement.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to the fact that the firm has redeemed one consignment only out of the three and if so, what action has been taken in regard to the remaining two consignments ?

Shri K. C. Pant : They have redeemed one out of the three consignments. Since they have not said penalty in respect of the remaining two importations, these have not been released. The Firm has filed a writ petition in respect of a case in the High Court at Bombay and in respect of the other case, they have preferred an appeal in the Central Board. We cannot take any action pending decisions thereon.

श्री स० मो बनर्जी : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध संख्या 1584 के उत्तर से सम्बन्धित है—आयकर निर्धारण, इस प्रश्न के उत्तर में दिये गये विवरण से स्थिति कुछ अजीबसी लगती है । निर्धारण वर्ष में, इस फर्म की दिखाई गई आय तथा उस पर लगाया गया कर वर्ष 1951-52 से लेकर 1958-59 तक की अवधि में इस प्रकार है : 12,50,000 रुपये की आय दिखाई गई हैं और उसके बाद "एजन," "एजन","एजन", दिखाये गये हैं जैसे कि आय न तो बड़ी है और न ही घटी है । आय हमेशा 12,50,000 रुपये रही है । विवरण में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में आय का निर्धारण 1 करोड़ रुपये हैं । इस स्थैतिक (स्टेटिक) आय तथा 12,50,000 रुपये की आय के आधार पर यह हिसाब निकाला गया है, यह संमत निर्धारण

क्या था ? किसी खास फर्म की सांठगांठ से आयकर अधिकारी इस बात से राजी हो गया कि वार्षिक आय केवल 12,50,000 रुपये होगी और इससे अधिक कुछ नहीं। यह काम मंत्रियों के सहयोग से हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह संमत निर्धारण क्या था और इस करार के पूर्व निर्धारण क्या था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कभी-कभी निर्धारणों पर सहमति ली जाती है, जब विभाग यह महसूस करता है कि कई विभिन्न मद है जिन्हें वह सही तौर पर, हो सकता है, निर्धारण न कर सके हों, और यदि अगली पार्टी सहमत हो जाती है, तो अधिक राशि निर्धारित की जाती है। (Shri Madhu Limaye : Where is the higher amount ? Sir, he is making a wrong statement.) वे इन तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकते, मुझे जिन तथ्यों की जानकारी है, मैं केवल उन्हीं के बारे में बता सकता हूं। इस मामले में तथ्य ये हैं कि सम्बन्धित अधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग किया उसने महसूस किया कि इस 1 करोड़ रुपये की राशि को जिसे इन वर्षों में समानरूप से बांटा गया है, स्वीकार कर लेना विभाग तथा सरकारी राजस्व के हित में है, इसलिये उसने अपने विवेक का प्रयोग किया और तदनुसार उसने यह आंकड़ा निश्चित किया है, मैं नहीं समझता कोई आपत्ति है।

Shri Madhu Limaye : Sir on a ponint of order.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, you ask the Minister to give a correct reply. He should see column No.2–"Income assessed in the case of the Firm."

अध्यक्ष महोदय : बनर्जी साहब, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आयकर विभाग सन्तुष्ट हो, मन्त्री सन्तुष्ट हों, लेकिन आपका सन्तुष्ट होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर उपलब्ध है, मन्त्रीजी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है आप उससे सहमत हों या नहीं, वह दूसरी बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कम आय के आधार पर है, यह राशि इस सारी अवधि में हर वर्ष 12,50,000 रुपये रही है। क्या ग्यारह वर्ष तक वही राशि रही है ?

अध्यक्ष महोदय : बात यह है, आपका विशिष्ट प्रश्न यह है कि कोई समझौता किया गया है जो यह राशि हर वर्ष वही रही है, इसका जवाब मन्त्री जी ने दे दिया है, चाहे वह सन्तोषजनक हो या न हो, इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां इस बात की जांच करने के लिये नहीं बैठा हूँ कि यह ठीक है या नहीं, मैं कैसे जान सकता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know on what account a penalty amounting to Rs. 2,58,000 was imposed on M/s. Aminchand Pyarelal and whether this penalty has since been recovered, and if not, the reasons therefor. I want to know the reasons as to why not the total penalty of Rs. 2,28,000 imposed on the firm was realised and why an amount of Rs. 1,28,000 only was realised out of this total penalty.

Shri K. C. Pant : They had imported some consignments and they stated these importations had reached the borders of Hungary on such and date and such the enquiry made in this repspect revealed that the fact was otherwise and as such they had made a wrong Statement on this basis, these goods were confiscated. Thereafter, a fine was imposed on them. A personal penalty was imposed. As I have already stated, they have not yet paid the penalty in respect of two importations. The firm was preferred an appeal and filed a writ petition in the second and their case respectively.

Shri George Fernandes : Sir, it is quite clear that this firm has tried to redeem the goods by presenting forged cross border certificates. The question involved is whether the Government have taken any action against M/s. Amichad Pyare Lal under the criminal Law; for it a person, or a Government servant forges some document, he is immediately apprehended under the criminal Law ?

Shri K. C Pant : Sir, now matter is before the Court. A writ petition has been filed in the Bombay High Court.

Shri George Fernandes : Sir, my question is very simple and clear. I want to know when the firm presented a forged document, why they were not arrested under the criminal Law. Was it not done so because of some Ministers' hand or intervention in the case ?.....(Interruptions).....Alright, leave the Minister aside, the question should be answered.

Shri K. C. Pant : The matter involved in this, the firm holds that ihese goods were imported under such and such licences where as the customs do not agree with them and according to the customs, these were imported under other licences. These two countrer-please have complicated the whole issue.

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, I seek your protection out of the total penalty of Rs 2,28,000 on the firm, penalty amounting to Rs, 1,28,00 has been recovered. It shows that it is a prima facie case of forgery. Why the persons responsible for this forgery have been arrested.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह मामला इतना आसान नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं । जहां कहीं सम्भव होता है हम कार्यवाही करते हैं और सारी राशि वसूल करते हैं ऐसे मामलों में पहले पूछा जाता है कि इतनी राशि क्यों रखी गई है । जब तक ये लोग सहमत नहीं होते तो उनकी अपील भी नहीं हो सकती है । और हम वसूल की जा सकने वाली राशि को भी वसूल नहीं कर सकते हैं । यह कहा गया है कि यह मंत्री द्वारा किया गया है । मैं समझता हूँ कि यह किसी मंत्री ने देखा भी नहीं है । कोई मंत्री इन सब मामलों को कैसे देख सकता है ।

श्री रंगा : आपको इसके बारे में नहीं बताया गया। यही दुख की बात है।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे इसके बारे में अभी जानकारी मिली है। हमने आदेश दे दिया है जो कुछ दण्ड दिया जा सकता है दिया जाये। अतः दण्ड न देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। न केवल जुर्माना किया जाये और दण्ड दिया जाये अपितु सम्पत्ति भी जब्त की जा सकती है।

श्री सोनावने : कुल कितने मूल्य का सामान आयात किया गया और जुर्माना उसका कितना प्रतिशत किया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन तीन खेपों में कुल 7,73,363 रुपये के सामान का आयात किया गया था। इस पर जब्त करने के बदले में किया गया जुर्माना 2,58,,000 रुपये होता है और निजी जुर्माना 2,28,000 रुपये होता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह असाधारण बात है कि आय का जो निर्धारण दस वर्ष पहले किया गया था उतनी ही आय इस समय भी है। क्या मंत्री महोदय कोई दूसरा ऐसा मामला बता सकते हैं जिसमें आय का निर्धारण उसी प्रकार किया गया हो जिस प्रकार अमी चन्द प्यारे लाल के मामले में किया गया है। क्या मेसर्स अमी चन्द प्यारे लाल के मामले की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन, विशेषतः इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के बारे में, प्रस्तुत किया है ?

श्री पन्त ; मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देना चाहता हूं। 1951-52 से 1958-59 तक इस कम्पनी की आय पांच लाख से कम है। सरकार ने इस कम्पनी से यह मनवा लिया था कि उसकी आय इस अवधि में एक करोड़ रुपये.....

Shri Madhu Limaye : It is a case of crores of Rupees. Not less than 8 to ten crores of rupees.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आपके पास ऐसी जानकारी हो जिससे अधिक आय कर लिया जा सके तो हम यह मानने के लिये तैयार हैं। हमको दिये गये आय का विवरण दिया है उसके अनुसार उसकी आय 5 लाख रुपये से कम है। हमने उनसे यह मनवा लिया है कि उन्हें एक करोड़ रुपये सात वर्ष की अवधि में बराबर की किस्तों में देने होंगे।

Shri Jyotirmoy Basu : This firm donated to A. I. C. C. for Durgapur Session.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक समिति की उपपत्तियों का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

Shri S. M. Joshi : Why for the last seven years, the income which has been assessed, remains the same amount ?

श्री मोरारजी देसाई : उनके द्वारा बताई गई आय एक बराबर नहीं है। उन्होंने कम आय दिखाई थी इसलिये आयकर अधिकारी को दुबारा मामले पर विचार करना पड़ा।

इस फर्म को अधिक आय होने के हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है। इसीलिये यह फर्म 1 करोड़ 75 लाख रुपये की आय पर आय कर देने के लिये मान गई वक्तव्य में यही कहा गया है कि वह 75 लाख रुपये आयकर देना मान गई है :- यह कहा गया था कि इससे जितनी राशि कम होगी और आयकर 75 लाख रुपये से जितना कम होगा तो 75 लाख रुपये के बराबर करने के लिये उतना जुर्माना किया जायेगा। यह सौदेबाजी है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Income is not less than ten crores of rupees. It is a good bargain.

श्री मोरारजी देसाई : यदि मैं साबित कर सकता हूं तो अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसे मामलों में सम्पति जब्त करके जुर्माना किया जाना चाहिए क्योंकि तब कोई बात नहीं रह जाती है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker this is a case of crores of rupees what to talk of rupees of crores ?

कुछ माननीय सदस्य उठे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब केवल एक दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। एक-दो प्रश्न में ही सारे प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। यदि यह करोड़ों का मामला है तो इस आधे घंटे की अथवा एक घंटे की चर्चा की जा सकती है। यदि एक ही प्रश्न पर सारा प्रश्नकाल लग जाये तो दूसरे प्रश्नों का क्या होगा यही कारण है कि माननीय सदस्यों ने कल भी आपत्ति उठाई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस फर्म ने कांग्रेस पार्टी दुर्गापुर अधिवेशन में दिया था। श्री अतुल्य घोष ने यह धन दिलावाया था।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अतुल्य घोष आपके मस्तिष्क में है तब तक वे आपको सन्तुष्ट नहीं करते हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the country will be doomed when we will be satisfied.

Mr. Speaker : We should remain contented. Only then our country will progress.

Shri Abdul Ghan Dar : The case of Amin Chand Pyare Lal has been the subject matter of discussion in both Lok Sabha and Rajya Sabha for the last four years and now the Deputy Prime Minister say that no Minister is protecting them. May I know whether Sardar Swarn Singh and Shri Subrahaniam had not Sheilded them ? May I know the quantity of goods was imported during this period and how much it was consumed and sold in black market respectively.

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे बता सकते हैं कि कितना माल चोर बाजारी से बेचा गया था। यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

Shri Morarji Desai : It is not proper for a Member to name any Minister. They have no hand in it. So far the second part of the question is concerned, we never consider them honest otherwise we would have not imposed penalty on them. We have no information about the quantity of imported goods sold in black market otherwise the hon. Member would not have put the question.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब अशोक सरकार जांच समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, क्या सरकार यह उचित समझती है कि तत्कालीन लोहा और इस्पात नियंत्रक श्री बाम को जिनका इस मामले में हाथ था, समिति की जांच पूरी होने से पहले संयुक्तराष्ट्र संघ में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति दी जाये ? विशेष रूप से जब कि वह इस मामले में एक प्रमुख गवाह थे, यह उचित था ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है । इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । आप लोहा और इस्पात नियंत्रक के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं न कि कर की वसूली के लिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री बाम उस समय लोहा और इस्पात नियंत्रक थे । सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है और इस मामले में मुख्य गवाह को देश छोड़ने की अनुमति दी गई है ।

श्री मोरारजी देसाई : यहां जांच के बारे में प्रश्न नहीं है । यदि वह प्रश्न पृथक् रूप से पूछा गया होता तो किसी विशेष अधिकारी के बारे में प्रश्न संगत हो सकता था । यहां पर प्रश्न सीमाशुल्क की वसूली के बारे में है । इसमें इस अधिकारी से क्या सम्बन्ध हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । हम से यह सब कहानियां न कहिए ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि वित्त मंत्री महोदय ने हमें सभा में आश्वासन दिया है कि वह कर वसूली व्यवस्था को सख्त करेंगे तथा कर का अपवंचन नहीं होने देंगे । अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि अमी चन्द प्यारे लाल गुप्त की फर्मों ने कितना कर अपवंचन किया है और यदि पता लगा लिया है तो इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या सरकार, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहती क्योंकि इन फर्मों से कांग्रेस पार्टी को पर्याप्त धन मिलता है ।

श्री मोरारजी देसाई : फिर माननीय सदस्य ने आक्षेप लगाया है । मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैंने कभी भी इस सभा में वचन नहीं दिया कि मैं कर अपवंचन को बिल्कुल बन्द कर दूंगा । किसी व्यक्ति के लिये ऐसा कर सकना सम्भव नहीं है । मैं ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा हूं जिससे कम से कम कर अपवंचन हो । यह अभी नहीं किया गया है । यदि माननीय सदस्य इस कार्य में मेरी सहायता करें तो मुझे प्रसन्नता होगी । इसलिए माननीय सदस्य में इस बारे में सुझाव चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 1575 के बारे में

Re. Question No 1575.

श्री शिवाजी राव देशमुख : प्रश्न संख्या 1575 का भी इससे सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : वह 11 तारीख के लिये रख दिया गया है ।

उर्वरक संयंत्रों का निर्माण

\+

* 1559. **श्री रा० बरुआ :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री श्रीधरन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4–5 वर्ष की अवधि में उर्वरकों के उत्पादन के लिये भारत अपने संयंत्रों का निर्माण करने की स्थिति में हो जायेगा;

(ख) यदि हां तो, क्या सरकार का विचार उर्वरकों सम्बन्धी अपनी नीति को बदलने तथा विदेशी सहयोग से और नये कारखाने स्थापित करने और भारत में संयंत्रों के निर्माण के काम में शीघ्रता लाने का है; और

(ग) विदेशी सहायता से नये संयंत्रों के निर्माण को स्थगित करने तथा अगले तीन–चार वर्षों के लिये अधिक मात्रा में आयात करने से क्या लाभ हानि होगी ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : आशा है कि अगले पांच वर्षों में उर्वरक कारखानों के लिये संयंत्र और उपकरण बनाने का अधिकांश भाग उत्तरोत्तर देश से ही बनने लगेगा ।

(ख) स्वाभाविक है कि देश में ही संयंत्र और उपकरण बनने में जल्दी करने के लिए सरकार प्रत्येक उपाय करेगी, जो उसके वश में होंगे । इस विषय में इन्हीं आशाओं के कारण सरकार विदेशी सहायता के नये प्रस्तावों को विचार करने के लिये सहमत हुई है बशर्ते कि इस साल के अन्त तक मान लिये जायें और अब से 3 या 4 साल में उत्पादन शुरु कर दें । वर्तमान नीति अगले कुछ वर्षों में अधिकांश आत्म निर्भरता के हमारे लक्ष्य से संगत है और इस समय इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं ।

(ग) यदि इस समय प्रस्तावित परियोजनाएं शुरु न की गई तो 1973–74 तक, जबकि अधिकांश स्थानीय उपकरण से निर्मित पहले संयंत्र । सन्यन्त्रों के तैयार होने की आशा है, देश को देशीय उर्वरक उत्पादन की हानि लगभग 500 करोड़ रुपये होगी । इस की तुलना में इन संयंत्रों के निदेश में लगभग 150 करोड़ रुपये की विदेशी सहयता हैं ।

श्री रा० बरुआ : उर्वरक संयंत्रों के कितने प्रतिशत पुर्जे देश में बनते हैं तथा सभी पुर्जों के देश में निर्माण करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा किन विदेशी फर्मों से सहयोग प्राप्त किया है ?

श्री रघुरामैया : परियोजना के कुल मूल्य के केवल 10 से 15 प्रतिशत तक पुर्जे इस समय देश में उपलब्ध है। संयंत्र के जिन मूल्य पुर्जों का आयात करना पड़ता है, वे हैं— वैसल्स, पम्प और कम्प्रेसर्स, वायु प्रयकीकरण, उपकरण एयर सैपरेशन इक्विपमैंट, सीमलैस स्टीम पाइप, इंस्ट्रू मैंटेशन और इलैक्ट्रिक प्लांट। इनके निर्माण के लिये विभिन्न परियोजनाएं हैं। उदाहरण के लिये हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स वर्क्स, विशाखापट्टनम का हीट एक्सचेंजर पाइप फैब्रीकेशन आदि का निर्माण करने का कार्यक्रम है। वाल्वों के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम है। हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स वर्क्स के मामले में स्कोडाएक्सपोर्ट सहयोग कर्ता हैं। रांची में फांउड्री फोर्ज प्लांट में जापानी फर्म सहयोग कर रही है। अनेक परियोजनाओं में इस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

श्री रा० बरुआ : क्या इन संयंत्रों के निर्माण के लिये किसी भारतीय फर्म ने एक अखिल भारतीय सार्थ–संघ बनाने का प्रस्ताव रखा है. यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुरामैया : संयंत्र बनाने के लिये ये सब पुर्जे चाहिये और इनके निर्माण के लिये विभिन्न कारखानों के प्रस्ताव हैं। एक सार्थ–संघ द्वारा समूचा संयंत्र बनाने के प्रस्ताव की की मुझे जानकारी नहीं है।

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि ये चीजों का भारत में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में निर्माण किया जाना है, जिनमें से कुछ या तो स्थापित हो गये हैं अथवा उनका विस्तार किया जा रहा हैं ताकि वे इस काम को कर सकें।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : विदेशी सहायता तथा सहयोग से किसी कारखाने की स्थापना में न केवल विदेशी मुद्रा खर्च होगी बल्कि लागत भी अधिक आयेगी और कई वर्षों तक रायल्टी भी देनी पड़ेगी। चार वर्ष बाद भारत में जब संयंत्र के निर्माण होने पर अनुमानित लागत की तुलना में विदेशी सहयोग से एक संयंत्र की स्थापना की लागत क्या होगी ?

श्री अशोक मेहता : जैसा बताया जा चुका है, इस समय हमें एक उर्वरक संयंत्र के लिये आवश्यक आधुनिक उपकरण नहीं बना सकते हैं, विशेष रूप से एक आधुनिक उर्वरक संयंत्र इसलिये आज भारत में ऐसे संयंत्र की क्या लागत होगी, यह बताना संभव नहीं है। हमारा अपना मूल्यांकन है परन्तु जब तक हम इन पुर्जों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हो जाते इन मूल्यांकनों का अधिक महत्व नहीं है। यह सच है कि यदि हम मुक्त विदेशी मुद्रा से उपकरण खरीद सकते, तो लागत इतनी अधिक नहीं होती, जितनी कि इस समय है। लेकिन हमने ये अधिकांश संयंत्र अपने मित्र देशों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का उपयोग करके लगाये हैं

और हमें दिये जाने वाले ऋणों का उपयोग करना होता है, हमें अधिक मूल्य देना पड़ता है क्योंकि हम विश्वजनीय (ग्लोबल) टेंडर नहीं मांग सकते हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : संयंत्र का अनुमानित मूल्य कितना है ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात संयंत्र के विभिन्न पुर्जों का निर्माण जारी रहेगा और एक ऐसा कारखाना स्थापित करने में कितना समय लगेगा, जो उर्वरक संयंत्रों के सभी पुर्जों का निर्माण कर सके और इसकी लागत कितनी होगी ?

श्री अशोक मेहता : ऐसा अकेला कोई कारखाना नहीं है, जो सभी पुर्जों का निर्माण करने का प्रयत्न करता हो, उदाहरण के लिये यंत्रों (इंस्ट्रूमैंट्स) को ले लीजिये। निश्चय है इन कारखानों से यंत्र लिये जायेंगे। सीमलैस ट्यूबों (बिना जोड़ की ट्यूब) की शोधन कारखानों तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों को आवश्यकता होती है। एक कारखाना स्थापित किया जायेगा, जो सीमलैस ट्यूब बनायेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि देशीय कारखानों की स्थापना के लिये देश में इन सभी विभिन्न पुर्जों के निर्माण के लिये सुविधायें प्राप्त हों।

श्री श्रीधरन : चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि हैवी प्लेट और वैसल संयंत्र के लिये कोचीन एक उपयुक्त आदर्श स्थान है ' लेकिन केरल के दावे को हमेशा की तरह नजर अन्दाज कर दिया गया है और यह संयंत्र अब विशाखापट्टणम में स्थापित किया जा रहा है। चौथी योजना की रूप रेखा के प्रारूप में 12.8 करोड़ रुपये की लागत से उर्वकों और रसायनों के लिये एक फैब्रीकेशन शॉप की व्यवस्था है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोचीन इसके लिये उपयुक्त स्थान है तथा केरल के दावों की बराबर उपेक्षा की गई है, क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देगी कि उर्वरकों और रसायनों के लिये फैब्रीकेशन शॉप कोचीन में स्थापित की जायेगी ?

श्री अशोक मेहता : हम यह सुझाव औद्योगिक विकास मन्त्री को बता देंगे जो उनके अधिकार में है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : उर्वरक कारखानों के लिये किये गये टर्न की करारों का मूल्य क्या है और वे देशीय क्षमता की तुलना में कैसे हैं ? क्या मन्त्री महोदय को अपने विद्वान पूर्व मन्त्री की इस घोषणा की जानकारी है कि देश और विशेष रूप भारतीय उर्वरक निगम 300 डिजाइन इंजीनियरों तथा कई हजार अन्य कर्मचारियों की सहायता से देश में उर्वरक संयंत्रों का निर्माण करने की स्थिति में है तथा ट्राम्बे कारखाने के डा० मुखर्जी तक ने भी कहा है कि न केवल भारत देश में उर्वरक संयन्त्रों का निर्माण कर सकता है। बल्कि लागत भी 3.5 करोड़ रुपये ही होगी। मन्त्री महोदय के पास इटली की फर्म एस० एन० ए० एम० और माटे कार्लो के साथ किये 'टर्न की' 'करारो' के लिये क्या स्पष्टी करण है, जिनके अन्तर्गत सरकार इन्हें लगभग 15 करोड़ रुपये दे रही है जबकि वही फर्म विश्व की तकनीकी पत्रिकाओं में ऐसे संयंत्रों के मूल्य 60 लाख डालर बता रही है, जो 4½ करोड़ रुपये से अधिक नहीं बनते ?

श्री अशोक मेहता : मैं माननीय सदस्य का आभारी रहूंगा, यदि वे मुझे आंकड़े दे दें क्योंकि उन्होंने अपने आंकडों को गडबड़ कर दिया है ।

श्री पाशा भाई पटेल : हम मोटरकारों, साइकिलों, विमानों, इंजनों, ट्रैक्टरों, सिलाई मशीनों तथा चीनी मिलों की मशीनों का निर्माण कर सके हैं । सरकार ये मशीनें क्यों नहीं बना सकी है ।

श्री अशोक मेहता : भारतीय उर्वरक निगम ने यह कहा है कि उनके पास डिजाइन और इंजीनियरी क्षमता है और वे इसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं । मैंने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि हम चार वर्ष में चार संयंत्रों के लिये डिजाइन और इंजीनियरी व्यवस्था कर सकते हैं । हमने चार संयंत्र आरम्भ किये हैं । इंजीनियर और डिजाइन बनाने वाले निर्माण नहीं करते निर्माण कार्य किसी अन्य का काम है । इसलिये मैंने कहा था कि यदि माननीय सदस्य मुझ से मिलें, तो मैं उन्हें समझा दूं मैं उनको जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ बैठकर तकनीकी विकास महा निदेशालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें यह समझा सकता हूँ कि देश में उसे प्रत्येक वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, जिसका देश में निर्माण किया जा सकता है । उन्हें अच्छी तरह मालुम हैं कि तकनीकी विकास निदेशालय पूंजीगत माल के लिये किसी आवेदन पत्र के लिये उस समय तक अपनी स्वीकृति नहीं देता जब तक कि वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाता है कि देश में उपलब्ध पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है । उनके जैसे सम्मानित उद्योगपति अवश्य ही प्रकिया को जानते है ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार ने हमारे देश में उर्वरक कारखाने खोलने के लिये विदेशी कम्पनियों को कोई रियायतें देने की पेशकश की है यदि हां, तो क्या वे इसके लिये आगे आ रहे हैं और यदि वे आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अशोक मेहता : जो रियायतें दी गई हैं, वे सर्वविदित हैं । परिणाम के बारे में हम केवल इस वर्ष के अन्त में ही बता सकते हैं क्योंकि इन आवेदनों पर तब ही अन्तिम रूप से निर्णय होगा ।

श्री रंगा : अभी तक कैसी प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : यह कहना कठिन है क्योंकि आवेदन पत्र विचार करने के विभिन्न चरणों में है । यदि मैं आज कह दूं कि प्रतिक्रिया अच्छी रही है और बाद में हम कुछ आवेदन पत्रों को स्वीकार न कर सकें तो, इस पर आपत्ति की जायेगी । इसलिये मैं आवेदन पत्रों पर अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने पर ही कुछ कह सकूंगा ।

Shri Shiv Chandra Jha : It is not a fact that a company of Bombay has entered in to kuwait concern for setting up an ammonia based fertiliser plant when the Government policy is to set up indigenous Naptha based plants ? what is the foreign exchange component involved and what action has been taken against the Bombay firm the flouting the Government policy ?

श्री अशोक मेहता : ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है, दूसरे यह प्रश्न तो उर्वरक संयंत्रों के बारे, इसमें अमोनिया कहां से आ गया।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि भारत को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता है अथवा अन्य चीजों की अधिक आवश्यकता है। हमारे पास काफी प्राकृतिक खाद है और हम कूड़ा खाद को भी उपयोग कर सकते हैं।

क्या हम देशीय उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की प्रतीक्षा नहीं कर सकते ? हम इनके निर्माण में शीघ्रता कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने तथा विदेशी मुद्रा के व्यय से बच सकते हैं। साथ ही एक अविलम्बता की भावना उत्पन्न होगी जिससे लाभ ही होगा।

श्री अशोक मेहता : उर्वरकों की आवश्यकताओं का अत्यन्त सावधानी से अनुमान लगाया गया है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने तैयार की गई विभिन्न रिपोर्ट तथा विभिन्न आंकड़े देखे होंगे। चौथी योजना के अन्त में 24 लाख मेट्रिक टन नाइट्रोजनीय उर्वरकों, 10 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों और लगभग 8 लाख मेट्रिक टन पोटासी उर्वरकों की आवश्यकता होगी। यह मालूम हो गया है कि इन उर्वरकों के बिना हम न तो खाद्यान्नों और न ही कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। ये ऐसे विषय है, जिन पर सभी सम्बन्धित विशेषज्ञों ने अत्याधिक सावधानी से विचार किया है। जहां तक मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हमें देश में अपेक्षित उर्वरकों का उत्पादन करना है और इसके लिए देश में उपकरणों के निर्माण की सुविधायें उपलब्ध करने का हमारा काम चल रहा है ताकि भविष्य में इसे स्वयं कर सकें। यहां नये कारखाने स्थापित किये जा रहे है, वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, और जो कभी रह जाये, उसका अयात किया जायेगा। यही हमारी नीति है और खाद्य उत्पादन तथा कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह नीति आवश्यक है।

Shri G. S Mishra: What is the progress in the manufacture of equipment for Korba Plant and when this plant is expected to start functioning ?

श्री अशोक मेहता : भारतीय उर्वरक निगम कोरबा में एक उर्वरक कारखाने के लिए जो कोयले पर आधारित होगा, एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में लगा हुआ है। जब वह प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा, तब हम कारखाने के आर्थिक पहलू पर विचार करेंगे और निर्णय करेंगे कि क्या इसे स्थापित करना चाहिये अथवा नहीं।

श्री लोबो प्रभु : इस समय केवल आधी प्रतिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करने के क्या कारण हैं ? विशेष रूप से मैं यह जानना चाहता हूं कि बिजली और कोयले की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं, जो पूर्ण क्षमता का उपयोग न किये जा सकने के लिए उत्तर दायी रही है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक फास्फेट उर्वरकों का सम्बन्ध है, कार्य क्षमता प्रयोग नहीं की जा सकी क्योंकि हमें गंधक (सल्फर) नहीं मिली। अन्य प्रकार के उर्वरक के बारे में

मैं कारखाने बताऊंगा, कुछ मामलों में बिजली की कमी रही है। आपको मालूम ही है कि पिछले वर्ष पन बिजली की बहुत कमी रही है; पंजाब और केरल दोनों राज्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ा उदाहरण के लिये सिन्दरी के मामले में बहुत सी कठिनाइयां आई यह एक पुराना सयंत्र है। इसका आधुनिकीकरण करना होगा इस दिशा में हमने कुछ कदम उठाये हैं और हमें आशा है कि सिन्दरी में उत्पादन बढ़ेगा इसी प्रकार अन्य कारखानों को अपने किस्म की अलग ही समस्यायें हैं। यहां पर यह सब विवरण दे देना मेरे लिये बहुत कठिन हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें कारखाने पर विवरण भेज दूंगा अथवा यदि आप आदेश दें तो मैं एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री रंगा : यह अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यह वित्तीय पहलू का प्रश्न नहीं है, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा साथ ही सम्मान का प्रश्न भी है। विश्व में वर्तमान तनाव के समय यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न होगा। इसलिये क्या मन्त्री महोदय यहां पर विदेशी सरकारों के सहयोग से इन सभी प्रकार के उर्वरक संयंत्रों को बन्द रखने के लिये सहमत है ?

श्री अशोक मेहता : मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है और हम इस देश में कोई उर्वरक न बनाये, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे खाद्य समस्या कैसे हल होगी। मुझे माननीय सदस्यों के दोनों कथनों में कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना खोलने का प्रस्ताव हैं और इसके लिये सरकार अमरीकन कोपरेटिव लीग के साथ बातचीत कर रही है, और यदि हां तो किन शर्तों पर ?

श्री अशोक मेहता : विचार विमर्श चल रहा है और बातचीत समाप्त होगी, तो हम शर्तें सभा के सामने रख देंगे।

Shr Prem Chand Verma : What are the reasons for not utilising the full capacity of fertiliser plants in India ? The hon. Minister stated new plants are also to be set up. He stated that there was difficulty of sulphur or power in case of Nangal Fertiliser Factory and Sindri. What is the guarantee that the new plants to be set up by you with crores of rupees will have not to face the such difficulties and the machinery will not remain idle ? Will you look into this aspect also ?

श्री अशोक मेहता : भयंकर सूखे के कारण पानी अत्यन्त कमी जिसके कारण बिजली उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं समझता कि क्या रक्षोपाय किये जा सकते हैं। सूखा कभी-कभी पड़ता है और हमें उसको सहना होगा। यह साधारण स्थिति नहीं है और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister had stated here toward the end of March that all future fertiliser plants will be naptha based. Now there is a talk of shift in this policy. Will he declare this change before 12th August and provide us an opportunity to discuss it here ?

श्री अशोक मेहता : यदि इससे पहले नीति में कोई परिवर्तन किया गया, तो मैं एक वक्तव्य दूंगा और माननीय सदस्यों को चर्चा प्रत्येक अवसर दूंगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

\+

*1561. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हिरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री देवराज पाटिल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री सिद्धय्या :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) सरकार निकट भविष्य में इस विषय पर एक विधेयक प्रस्तुत करने की आशा करती है ।

श्री घुलेश्वर मीना : जब मन्त्रालय प्रत्येक राज्य के संसद सदस्यों से सलाह ले रहा था, तो बहुत से सदस्यों ने कुछ जातियों एवं आदिम जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचि में शामिल करने तथा कुछ को उनसे निकालने के सुझाव दिये थे । मैं जानना चाहता हूं कि उन सुझावों को विशेषतया राजस्थान के बारे में, कहां तक स्वीकार किया गया है ।

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक के पुरः स्थापित करने तक प्रतीक्षा करें । तब उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा ।

श्री घुलेश्वर मीना : कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि "मिना" तथा "मीना" दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौनसा शब्द स्वीकार किया है ।

श्री अशोक मेहता : इसका उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह विधेयक के पुरः स्थापित किये जाने की प्रतीक्षा करें। यदि उन्होंने कोई सुझाव देना है, तो वह उसमें संशोधन पेश कर सकते हैं और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वह जो भी संशोधन पेश करेंगे उस पर पूर्ण सहानुभूति से विचार किया जायेगा।

Shri D. R. Patil : Since last three years it has been stated that Government were hoping to introduce a bill to revise the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I want to know the time by which it will be introduced ? Will it be possible to introduce this bill during the present session ?

श्री अशोक मेहता : इस बारे में मैं कोई निश्चयात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि इस प्रश्न पर हमें विभिन्न मन्त्रालयों से विचार विमर्श करना है तथा चुनाव आयोग से भी सलाह लेनी है, क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में परिवर्तन करने का प्रभाव निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर पड़ेगा। जब तक इन सब बातों का निर्णय नहीं किया जाता, तब तक इस विधेयक को पुरःस्थापित करना संभव नहीं है। मैं इस बात का हर संभव प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस विधेयक को इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जाये, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री सिद्धया : क्या गोआ, दमन तथा दीव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचि को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो सरकार को इस बारे में क्या विक्षेष कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

श्री अशोक मेहता : गृह कार्य मन्त्रालय की सलाह से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मन्त्री के पास अनेक तथ्य एवं आंकड़े होते हुए भी वह यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किन किन जातियों को अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची में शामिल किया जो कि इसकी हकदार हैं, तथा किन किन जातियों को इस सूची से निकाला जाये, जो कि इसकी हकदार नहीं है तथा इस सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सका है। मैं माननीय मन्त्री से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि इस बात का निर्णय शीघ्र किया जायेगा कि किन किन जातियों को सूची में रखा जाये और किनको इससे निकाला जाये तथा इसके लिये एक मानदण्ड निर्धारित किया जायेगा ताकि इस बारे में जो सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है, उसे बचाया जा सके।

श्री अशोक मेहता : मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य मुझ से क्या आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वह चाहते हैं कि विधेयक को शीघ्र पेश किया जाये, तो इस सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस विधेयक को तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक मुझे सब सम्बन्धित विभागों के निर्णय प्राप्त न हो जायें। जहाँ तक मानदण्ड निर्धारित करने का प्रश्न है, इस प्रश्न पर सब राज्य सरकारों तथा संसद सदस्यों की सलाह से पूर्ण रूपेण विचार किया गया है, तथा इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय भी किये गये हैं। जब

विधेयक को पुर:स्थापित किया जायेगा, तो माननीय सदस्य को अपना मत व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी, तथा चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार पूर्ण सहानुभूति से विचार करेगी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अनिवार्य बन्धीकरण

+

अ०सू०प्र० *41. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री राम किशन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि अनिवार्य बन्ध्यीकरण करने के लिये विधेयक पुर:स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विधान के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस विषय पर जनता की राय मालूम करने का भी सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि उन सब नागरिकों के लिये जिनके तीन अथवा इससे अधिक बच्चे हैं, बन्धीकरण अथवा नसबन्दी को अनिवार्य बनाने के लिये वैधानिक तथा संवैधानिक उपाय किये जायें। यह सिफारिश अभी विचाराधीन है और इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) इस प्रश्न की जांच पूरी हो जाने के बाद राज्य सरकारों तथा जनता की राय जानने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, will it not be an encroachment upon the Fundamental rights to have compulsory sterilisation ? I want to know whether the hon. Minister has ascertained the opinion of the Attorney General in this regard. I also want to know whether the hon. Minister has thought as to how this plan would be enforced and what would be the machinery for its implementation ? Has any estimate of the expqenditure likely to be incurred on the implementation of this seheme been prepared ?

श्री ब० सू० मूर्ति : अपने उत्तर में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सिफारिश महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई थी और किसी राज्य सरकार द्वारा भेजे गये सुझाव पर विचार करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। इस मामले की इस समय विधि मन्त्रालय में जांच की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered. I had asked whether Government had calculated the amount to be incurred on the implementation of this scheme and whether they had made an assessment of the administrative and other machinery required for the enforcement of this Plan ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इन बातों पर विचार करने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या इस योजना को कानूनी तौर पर क्रियान्वित किया जा सकता है। जब विधि विभाग एक बार यह कह देगा कि इस योजना को कानूनी रूप दिया जा सकता है तब अन्य बातों पर विचार किया जायेगा तथा अन्य अभिकरणों से सलाह ली जायेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : If any 'madcap' sends an absurd suggestion, will Government think over it seriously ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : "सिरफिरा" शब्द असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द का प्रयोग राज्य सरकार के लिये नहीं किया गया है, अपितु इस शब्द का प्रयोग सुझाव के लिये किया गया है।

श्री कन्डप्पन : यद्यपि यह शब्द असंसदीय नहीं है, तथापि क्योंकि यह सुझाव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है, इसलिये इस सुझाव के लिये इस शब्द का प्रयोग करना राज्य सरकार पर आक्षेप करना है। अतः मेरा सुझाव है कि जब कोई सुझाव राज्य सरकार से प्राप्त हो तो उसके लिये इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को इस प्रकार आवेश में नहीं आना चाहिये। जब मैं बोल रहा हूं, तो माननीय सदस्या को बार बार इस तरह बोलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

Shri Tulsidas Jadhav : Mr. Speaker, Sir, will you kindly instruct the hon. Member not to use such words ?

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मैं अपना प्रश्न दोहरा सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उसमें "सिरफिरा" शब्द प्रयोग मत करना।

Shri Kanwar Lal Gupta : If some body sends an absurd suggestion, will Government think over it seriously ?

श्री ब० सू० मुर्ति : महाराष्ट्र सरकार की गणना देश की बहुत अच्छी सरकारों में है, वहां के सारे मन्त्रीमण्डल ने सोच समझ कर यह सुझाव हमारे पास भेजा है। अतः यह साधारण शिष्टाचार का प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार को इस सुझाव की जांच करनी चाहिये और यही किया जा रहा है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is generally seen that while solving a certain problem we often ignore its consequential bad effects. Can I expect that while applying such measures and methods of Family Planning. Government will take into consideration its consequential effects on the morality and ethical thinking of the nation ? May I know whether the hon. Minister will consult the States also in this connection ? There are a number of social institutions in our country, which have great effect on our social life. May I know whether Government will take them also into confidence and have consultations with them ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जब तक राष्ट्र अनिवार्य बन्धीकरण को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक यह लागू नहीं किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत को सहायता देने वाले देशों ने और विशेषतया संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में जनसंख्या के तथाकथित विस्फोट का बहुत प्रचार किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकारों पर जिनमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल है जनसंख्या के विस्फोट के बारे में अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से किये जा रहे इस प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : महोदय, योजना हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारी किसी योजना पर और विशेषतया परिवार नियोजन योजना पर किसी विदेशी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। तथ्य यह है कि हमारी जनसंख्या को 50 करोड़ तक पहुंचने में लगभग पांच हजार वर्ष लगे हैं और यदि समय रहते इसकी वृद्धि को रोकने के लिये उपाय नहीं किये गये, तो हमें डर है कि आगामी 25 वर्षों में हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी। अतः यह हमारा अपना कार्यक्रम है और किसी विदेशी शक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिये। मनुष्य में 70 अथवा 90 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की शक्ति रहती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सबके सब माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि इस प्रश्न के लिये पूरा दिन नियत किया जाता है, तब भी केवल 10 प्रतिशत सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जा सकेगा। इस प्रश्न के लिये मैं केवल 10 मिनट का समय और नियत करता हूँ तथा दो सदस्यों को सभा की इस ओर से और दो सदस्यों को सभा की उस ओर से बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : महाराष्ट्र सरकार ने बन्ध्यीकरण तथा नसा बन्दी दोनों की सिफारिश की है। क्या यह बात एक जोड़े पर लागू हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस बात का निर्णय करना परिवार का काम है कि पति नशबन्दी चाहता है अथवा पत्नी बन्ध्यीकरण।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस बात की जांच करते समय कि क्या सरकार संविधान के अन्तर्गत कानूनी अनिवार्य बन्ध्यीकरण लागू कर सकती है, क्या इस प्रस्ताव की जांच भी की जायेगी कि उन व्यक्तियों को जो बन्ध्यीकरण कर चुके हैं बहु पत्नि अथवा बहु पति रखने की अनुमति दी जाये ।

श्री कृष्ण मूर्ति : माननीय मन्त्री ने कहा है कि सारा मामला जांच करने के लिये विधि मन्त्रालय को सौंपा गया है । इस प्रश्न पर सरकार को दो मुख्य निर्णय करने हैं । पहला निर्णय राजनीतिक है । अतः इस मामले को इसके कानूनी एवं संवैधिनिक पहलूओं की जांच करने के लिये विधि मन्त्रालय को भेजने से पहले सरकार ने यह राजनीतिक निर्णय करना है कि अनिवार्य बन्ध्यीकरण संभव है अथवा नहीं । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उड़ीसा सरकार की सिफारिश को क्रियान्वित करने अथवा इसे क्रियान्वित न करने के बारे में मंत्री-मण्डल द्वारा राजनीतिक निर्णय कर लिया गया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : ज्यों ही यह सिफारिश सरकार को प्राप्त हुई थी, वह जांच करने के लिये कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा करना संभव है, इसे तुरन्त विधि मन्त्रालय के पास भेज दिया गया था । यदि कानूनी तौर पर इसे क्रियान्वित करना संभव होगा तो मन्त्री मंडल इस पर विचार करेगा । हो सकता है बाद में इस मामले पर सर्वसाधारण की राय भी ली जाये ।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या देश में परिवार नियोजन की इतनी व्यपक योजना आरम्भ करने से पहले इसकी क्रियान्विति के वित्तीय पहलू पर भी विचार कर लिया है और यदि हां तो गर्भनिरोधक औषधियों तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये किन किन देशों से सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं । उन्होंने कहा कि इस बात का निर्णय करने के बाद कि क्या कानूनी तौर पर इसे क्रियान्वित करना सम्भव है इन बातों पर विचार किया जायेगा कि इस पर कितना खर्च होगा, किस किस देश से सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा बन्धीकरण कितने बच्चों के बाद किया जायगा इत्यादि ।

श्री हेम बरुआ : मैं अनिवार्य बन्धीकरण का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि इससे हमारे मूल भूत अधिकारों का हनन नहीं होता । मेरा एक सुझाव है कि इस दशा में पहले पग के रूप में सब संसद सदस्यों का अनिवार्य बन्धीकरण किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप सीमा पार कर रहे हैं । कार्यवाही को इस भांति नहीं चलाया जा सकता । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठ जायें । इस प्रश्न पर हम पहले ही 20 मिनट का समय लगा चुके हैं ।

श्री कन्डप्पन : मैं ग्यारह बजे से प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो रहा हूं । क्या मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : केवल माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि 50 अन्य माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछने के लिये खड़े होते रहे हैं ।

श्री कन्डप्पन : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । अब सभा की कार्यवाही के वृतान्त में उनकी बात शामिल नहीं की जायेगी ।

श्री कन्डप्पन : **

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये ऋण

***1560. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना के भिन्न कार्यों के लिये ऋण का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का संकेत दे सकती है कि इस परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये सहायता की राशि में से किन किन उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अन्य सहायता और ऋण परिशोध सम्बन्धी सहायता से भिन्न गैर प्रायोजना सहायता, अर्थ-व्यवस्था के, कृषि और उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों की, रखरखाव-सम्बन्धी आयात की आवश्यकाओं को पूरा करने के काम में लायी जाएगी। प्राप्य सहायता को देखते हुए, सहायता की रकमों का प्रयोग जहां तक सम्भव होगा, उद्योगों के लिये आवश्यक रख-रखाव-सम्बन्धी आयातों के लिये किया जायगा । सहायता की रकमों का ऐसा उपयोग उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाली आयातनीति के दायरे के अन्दर ही करना पड़ेगा और इस बात पर भी निर्भर रहेगा कि आयात-सम्बन्धी आवश्यकताएं, उपलब्ध ऋणों की शर्तों के अन्तर्गत पूरी की जा सकती हों ।

1967-68 में अब तक अन्तिम रूप से तै किये गये गैर-प्रायोजना ऋणों का ब्यौरा

(1) **संयुक्त राज्य अमेरिका :** पी० एल० 480 के अन्तर्गत 9.99 करोड़ डालर के मूल्य का 15 लाख मैट्रिक टन अन्न दिये जाने के लिये ।

(2) **कनाडा :**

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
** Not recorded on ordered by the chair.

(1) 5 करोड़ कनाडी डालर के मूल्य की अन्न सहायता ।

(2) भारत द्वारा कनाडा को दिये जाने वाले लगभग 7.68 लाख कनाडी डालर के मूलधन की वापसी का 31 मार्च, 1968 तक स्थगित किया जाना ।

(3) 1958 के गेहूं ऋण के सम्बन्ध में 1967-68 में कनाडा को दिये जाने वाले 13 लाख कनाडी डालरों की वापसी का रद्द किया जाना ।

(4) कनाडा के लम्बी अवधि के विस्तृत कृषि सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में इस वर्ष एक करोड़ कनाडी डालर के मूल्य के, रसायनिक खाद तैयार करने के काम आने वाले पदार्थों का दिया जाना ।

(3) **ब्रिटेन :** 1.9 करोड़ पौण्ड का गैर-प्रायोजना ऋण, जिसमें 1.15 करोड़ पौण्ड की ऋण-परिशोध सम्बन्धी सहायता की रकम भी शामिल है ।

(4) **जापान :** रासायनिक खाद दिये जाने के लिये 70 लाख अमरीकी डालर का गैर-प्रायोजना ऋण ।

औद्योगिक तथा कृषि ऋणों पर ब्याज की दर

***1562. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋणों की ब्याज की दरें भिन्न भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या अन्तर है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ब्याज की दरें समान नहीं हैं । वे विभिन्न बातों जैसे पार्टी की ऋण योग्यता, जमानत का रूप, ऋण की राशि और अवधि इत्यादि पर निर्भर है ।

(ख) और (ग) जहां तक रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण का सम्बन्ध है, वह वाणिज्य बैंकों को अधिकतर औद्योगिक और व्यापारिक प्रयोजनों के लिये दिया जाता है और वह बैंक दर पर दिया जाता है । और वह बैंक दर पर दिया जाता है । कृषि के प्रयोजन के लिये राज्य सहकारी बैंकों को और निर्यात के लिये वाणिज्य बैंकों को दिये जानेवाले ऋण पर बैंक दर में से 2 प्रतिशत कम ब्याज लिया जाता हैं । ऋण पर यह ब्याज की रियायती दर उन क्षेत्रों ऋण को प्रोत्साहन देने के लिये की गई है ।

वर्ष 1966-67 में राष्ट्रीय आय

***1564. श्री स्वतंत्र सिंह कौठारी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-77 के राष्ट्रीय आय के आंकड़ क्या हैं;

(ख) क्या उक्त वर्ष की राष्ट्रीय आय के आंकड़े इससे पहिले वर्ष की राष्ट्रीय आय के आकड़ों की अपेक्षा कम हैं;

(ग) यदि हां, तो अर्थ व्यवस्था के किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय में कमी हुई है; और

(घ) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या मुख्य उपाय करना चाहती है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) वर्तमान मूल्यों के अनुसार 1966-67 में लगभग 22,900 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी ध्वज–पोतों (फ्लैग वैसल) के भाड़े की दरें

***1565. श्री नायनार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साथ ऐसा करार है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आधा अनाज अमरीकी ध्वज–पोतों द्वारा लाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने किन कारणों से ऐसा करार स्वीकार किया;

(ग) क्या अमरीक ध्वज-पोतों की भाड़े की दरें अन्य जहाजों की तुलना में अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोनों में कितना अन्तर हैं ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) जिन तमाम उपकरणों और वस्तुओं के लिये वित्त-व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता निधियों से की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्यिक पोत अधिनियम के अनुसार, उनके कुल टन भार की कम से कम 50 प्रतिशत की ढुलाई, संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजों द्वारा करनी पड़ती है : संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता का यह सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि सहायता की कुल शर्तों को देखकर ही उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है ।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजों के भाड़े की दरें, गैर–अमरीकी जहाजों के भाड़े को दरों से औसतन लगभग दुगुनी होती हैं । लेकिन पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत मंगाए जाने वाले अन्न के सम्बन्ध में हमारी देनदारी, दुनियां की प्रचलित दरों

पर भाड़े की अदायगी करने तक ही सीमित है, क्योंकि अन्तर की रकम की अदायगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार करती है।

विदेशी तेल कम्पनियों का अभिग्रहण

*1567. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी तेल कम्पनियों जैसे 'एस्सो' बर्माशैल आदि का अभिग्रहण करने तथा निकट भविष्य में उनका राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि इण्डो-बर्मा पेट्रोल कम्पनी को किसी भारतीय फर्म ने खरीद लिया है;

(ग) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है उसके लिये कितना मूल्य दिया गया है तथा उस मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने तेल कम्पनियों का अभिग्रहण करने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इण्डो-बर्मा पेट्रोल कम्पनी के खरीदे जाने के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) पता चला है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता ब्रांच के पास ब्रिटेन के मैसर्स स्टील ब्रादर्स लि० द्वारा अधिकृत इण्डो वर्मा पेट्रोलियम, कम्पनी लि० के 5,79,400 शेयरों को खरीदने और विदेशी मुद्रा में विक्रय को भेजने के लिये यूनाईटिड प्रोविन्सिज कामर्शियल कारपोरेशन लि. का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया है किन्तु यूनाईटिड प्रोविन्सिज कमर्शियल कारपोरेशन ने विक्रय करार को, कार्यान्वित न करने के कारण ब्रिटेन के मैसर्स स्टील ब्रादर्स लि० के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी एक प्रतिवादी बनाया गया है। अतः मामला न्यायाधीन है।

विदेशी बैंक

*1568. **श्री चं० चु० देसाई** :
श्री रा० की० अमीन :
श्रीमती शकुन्तला नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको या भारत के रिजर्व बैंक को देश में काम कर रहे विदेशी बैंकों के गलत व्यवहार के बारे में अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अथवा अधिकृत रूप से या अनधिकृत रूप से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे विदेशी मुद्रा का, जिसके लिये हमारा देश गौण तौर पर हकदार है, गबन कर रहे हैं;

(ख) रिजर्व बैंक ने या केन्द्रीय सरकार ने उन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या गबन और दुरुपयोग के कुछ मामले पकड़े गये हैं या ऐसे मामलों का सन्देह हुआ है और इन कमियों को दूर करने के लिये तथा विदेशी बैंकों को अनुशासन में बांधने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं आये हैं ।

Complaints against Offiicers of Punjab National Bank

***1569. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri O. P. Tyagi:
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 381 on the 8th June, 1967 and state :

(a) the progress since made in the inquiry being conducted into complaints against the officers of the Punjab National Bank; and

(b) the time by which the inquiry is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) The investigations are still in progress and are likely to be completed shortly.

पेट्रोलियम पर अधिक रायल्टी के भुगतान के बारे में मध्यस्थ निर्णय

***1570. श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री मेघचन्द्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के तेल उद्योग द्वारा कच्चे पेट्रोलियम पर अधिक रायल्टी दिये जाने के बारे में आसाम तथा गुजरात सरकार की मांग को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जाने के बारे में सरकार सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या विषय विचारार्थ सौंपे गए हैं; और

(ग) मध्यस्थ का नाम क्या है तथा उसे पंचाट देने के लिये कितना समय निया गया है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Fertilizer Factory Based on Liquid Ammonia

*1571. **Shri Ram Avtar Sharma :**	**Shri E. K. Nayanar :**
Shri Atam Das :	**Shri K. Ramani :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :	**Shri Mohammad Ismail :**
Shri Y. S. Kushwah :	**Shri P. Gopalan :**
Shri Prakash Vir Shastri :	**Shri Satya Narain Singh :**
Shri Shiv Kumar Shastri :	**Shri C. K. Chakrapani :**
Dr. Surya Prakash Puri :	**Shri Umanath :**
Shri Marandi :	**Shri Kameshwar Singh :**
Shri Jyotirmoy Basu :	**Shri A. Sreedharan :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned a scheme for setting up a fertilizer plant based on imported liquid ammonia contrary to their declared policy;

(b) if so, the reasons for this deviation from the normal policy; and

(c) the amount of foreign exchange to be spent on the import of liquid ammonia every year ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

महाराष्ट्र राज्य में मन्दी

*1572. **श्री राने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में अत्यधिक मन्दी आ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र के वाणिज्य मण्डलों ने अभ्यावेदन भेजे हैं;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में अत्यधिक मन्दी के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अन्य राज्यों पर भी इस मन्दी का प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी मन्दी की स्थिति पैदा हो गयी है जिसके कारण ये हैं : (क) लगातार दो बार सूखा पड़ना, (ख) खर्च की जा सकने वाली आमदनी के कम हो जाने और अन्न जैसी अपेक्षाकृत अधिक अत्यावश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण कुछ औद्योगिक वस्तुओं के

लिये उपभोक्ताओं की मांग में कुछ कमी हो जाना, (ग) कृषि-उत्पादन और कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन के स्तर के अपेक्षाकृत कम होने के कारण परिवहन आदि की मांग का कम होना, और (घ) इन बातों के परिणामस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं और उनसे सम्बद्ध सहायक वस्तुओं की मांग में कमी होना। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार उन उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देने के लिये कई तरीकों से कोशिश कर रही है, जो मन्दी का सामना कर रहे हैं। इनमें ये तरीके भी शामिल हैं : (क) सरकार अगले वर्ष रेल के माल-डिब्बों आदि के लिये सम्भवतः जो आर्डर देगी उनकी अग्रिम सूचना, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात देकर और इस्पात के निर्यात पर दी जाने वाली राजसहायता की दरों में वृद्धि करके धातुकर्म (मेटालर्जी) और इंजीनियरी से सम्बन्धित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन और (ग) खास खास औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात और देश के अन्दर उनकी बिक्री के लिये वित्त-व्यवस्था करने के लिये अधिक नरम शर्तों पर ऋण की व्यवस्था।

स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चण्डीगढ़ में पदोन्नतियां

***1573. श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1966 के बाद पुराने पंजाब राज्य के पुनर्गठन की अवधि में चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीटयूट चण्डीगढ़ के 26 लैक्चरर्स तथा सीनियर लैक्चरर्स की एकदम पदोन्नति करके उनको असिस्टेन्ट प्रोफेसर बना दिया था;

(ख) क्या यह भी सच कि पदोन्नत किये गये इन कुछ व्यक्तियों को पुराने पंजाब की सरकार ने इस पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के क्या कारण हैं तथा क्या इस अनियमितता को अब तक ठीक नहीं किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) से (ग) 1968 में पुराने पंजाब राज्य की सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ को प्रगति तथा विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया था। इस समिति ने दूसरी बातों के साथ साथ यह भी सुझाव दिया कि शैक्षिक पदों के बड़े पैमाने पर स्तरीकरण रोकने की दृष्टि से सीनियर लेक्चरारों के पदों को समाप्त कर दिया जाय। समिति की इस सिफारिश को पंजाब सरकार ने मान लिया था और सोलह सहायक प्रोफेसरों को नियुक्ति का आदेश दिया था। इसी नीति के अनुसार चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने इस संस्थान के दस सीनियर लैक्चरारों की सहायक प्रोफेसरों के पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्नति की। इन सीनियर लैक्चरारों में से कुछेक पहले पंजाब लोक सेवा आयोग के सम्मुख सहायक प्रोफेसर के पदों के चुनाव के लिये उपस्थित हुए थे

किन्तु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार इनमें से कुछ नहीं चुने जा सके थे। संसद के एक अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 1967 से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान चण्डीगढ़ एक स्वायत शासी स्तर का संस्थान बन गया है। इस संस्थान सेलेक्शन समिति सभी अस्थायी नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों की समीक्षा कर रही है। अनन्तिम आदेश अभी दिये जाने हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूल की गई राशि में राज्यों का हिस्सा

*1574. **श्री पार्थसारथी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्की की वसूली की गई राशि के उसके हिस्से में उसी अनुपात में वृद्धि की जाये जिस अनुपात में उस राज्य से इन शुल्कों से वसूल होने वाली राशि में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया है। फिर भी, उत्पादन शुल्कों की अधिक वसूली के कारण वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य के निर्धारित औंसतन वितरण भाग में वृद्धि हुई है।

कुछ राज्यों ने बजट भाषणों में यह सुझाव दिये हैं कि केन्द्र और राज्य के स्रोतों के बंटवारे का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्यों के अनियोजित आवश्यकताएं वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में आ जाती हैं। योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये स्रोतों का आवंटन योजना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों से सलाह के बाद किया जाता है और यह लचीलापन पैदा करने का एक उपाय है जो इस प्रकार के मामलों के लिये आवश्यक है।

कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के बारे में विवाद

*1576. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मु० न० गधनूर :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री सोनावने :
श्री सोलंकी :
श्री से० पाटिल :
श्री शंकरानन्द :
श्री राज शेखरन :
श्री तुलसी दास दासप्पा :
श्री हेम बरुआ :
डा० संतोषम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री राममूर्ति :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० की० अमीन :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाधुमाडोम :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश द्वारा महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बिना ही कृष्णा-गोदावरी नदियों के जल का उपयोग किये जाने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र सरकार को कानूनी नोटिस देने का निर्णय किया है, परन्तु अभी नोटिस नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) यह सुझाव दिया गया है कि कृष्णा-गोदावरी नदियों के जल के बटवारे के सम्बन्ध में शीघ्र ही होने वाली मुख्य मंत्रियों की बैठक में चर्चा की जाये ।

दिल्ली में परिवार नियोजन अभियान

*1577. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में परिवार नियोजन अभियान को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है;

(ख) क्या इस विभाग का काम करने का तरीका ठीक न होना और इस विभाग की अकुशल और दोषपूर्ण कार्यप्रणाली, जिसके अधीन प्रचार कार्य के लिये अविवाहित लड़कियां नियुक्त की गई हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों में प्रचार नहीं किया जाता, इस अभियान की सफलता के मुख्य कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन विभाग के कार्य संचालन की जांच करने और उसकी त्रुटियों को दूर करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं । लगातार प्रयास से अच्छी प्रगति नजर आती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) परिवार नियोजन की प्रगति का समय समय पर पुर्नविलोकन किया जाता है और इससे अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन निदेशालय में आवश्यक समझे जाने वाले संगठनों में परिवर्तन किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

1578. **श्री अ० कु० किस्कु ।**
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त जैसे उच्च और स्वतन्त्र संविहित पद पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बने हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं और क्या आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में इन सिद्धान्तों का पालन 1962 से किया जाता रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सामान्य सिद्धान्त यह है कि आयुक्त का पद किसी ऐसे विख्यात सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा भरा जाये, जिसमें प्रशासनिक क्षमता हो तथा जिसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदित जातियों की समस्याओं की सहानुभूतिक समझ हो।

(ख) हां।

Code for Ayurvedic and Unani Practitioners

***1579. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to frame a code incorporating rules for practising Ayurvedic and Unani systems of medicine;

(b) if so, when a final decision is likely to be taken thereon;

(c) whether Ayurvedic and Unani practitioners have been also consulted in regard to the said Code of conduct; and

(d) if so, their reaction in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B.S. Murthy):

(a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में सेफ्टी मार्जिन

***1580. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण-कार्यों में सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है ;

(ख) क्या इसे बहुत अधिक समझा जाता है; और

(ग) क्या मितव्ययता की दृष्टि से सरकार का विचार इनकी, अनुसूची तथा निर्धारित नमूनों में कोई परिवर्तन करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) विभिन्न भवन सामग्री के लिए सेफ्टी मार्जिन विभिन्न हैं।

(ख) जी नहीं। ये मार्जिन इण्डियन स्टैन्डर्ड इन्स्टीट्यूशन के द्वारा निर्धारित हैं।

(ग) विशिष्टियां पहिले ही से सादा और सस्ती हैं। तत्कालीन बाजार भाव के आधार पर दरों की तालिका समय समय पर पुनरीक्षित होती है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों के कब्जे में सरकारी मकान

*1581. श्री नीरिराज सिंह चौधरी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 25 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनावों में हारे 37 भूतपूर्व संसद सदस्यों में से कितने सदस्यों ने अब तक अपने क्वार्टर खाली कर दिये हैं ;

(ख) ऐसे और कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों के पास अब भी क्वार्टर हैं जो पहले ही चुनावों में हार गये थे और जिन्हें संसद सदस्य के रूप में क्वार्टर दिये गये थे;

(ग) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा गैर-कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखे गये क्वार्टरों के बदले नये संसद सदस्यों को अलाट करने के लिये गैर सरकारी बंगलों को किराये पर लेने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 28।

(ख) कोई नहीं।

(ग) शेष 9 मामलों में पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अनआथराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाई की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

ब्रिटेन से ऋण

*1582. श्री मरंडी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री आत्म दास :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री यशवंतसिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० प्रभात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को 1 करोड़ 20 लाख पौंड का ऋण देने के लिये भारत और ब्रिटेन के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का उपयोग किस तरह किया जायेगा; और

(ग) सरकार को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट को दूर करने में इस ऋण से कहां तक मदद मिलेगी ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) ऋण चुकाने के सम्बन्ध में राहत और सामान्य-प्रयोजनों के लिये सहायता देने के लिए भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच 21 जुलाई, 1967 को 120 लाख पौंड (25.2 करोड़ रुपये) का एक ऋण-करार हुआ था। इस 120 लाख पौंड की ऋण की रकम में से 116 लाख पौंड की रकम, ब्रिटेन की सरकार को 1 अप्रैल 1967 से 1 जुलाई, 67 तक की अवधि में की गयी मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेन्ट) के रूप में, ले ली गयी थी और बाकी 4 लाख पौंड की रकम, बहुत सी किस्तों की आर्थिक विकास सम्बन्धी वस्तुओं और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में ब्रिटेन में की गयी अदायगियों की प्रतिपूर्ति के लिए जल्दी ही ले ली जायगी।

चूंकि इस करार के अन्तर्गत ऋण की अधिकांश रकम पहले ही नकदी के रूप में ली जा चुकी है इसलिए स्पष्ट है कि यह करार हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान स्थिति में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा मूल्य बढ़ाना

*1583. **श्री सेक्वीरा :**
श्री श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी लोक-सभा बनने के बाद से सरकारी उपक्रमों की किन किन वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की गयी है और प्रत्येक वस्तु या सेवा के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें खास खास वस्तुओं/सेवाओं के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना दी गयी है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1313/67]**

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ संघ से आयकर की वसूली

*1584. **श्री मधु लिमये :** **श्री म० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 से 1959 तक की अवधि में आयकर के अपवंचन के आरोप में मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल पर जुर्माना नहीं करने के क्या कारण थे जबकि यह फर्म आयकर अधिकारियों की सहायता से अपने आयकर के भुगतान की राशि उत्तरोत्तर कम करती जा रही थी;

(ख) क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच/कार्यवाही की गई है, जिसने 1952-53 में इस फर्म के आयकर-निर्धारण की राशि में 9,13,058 रुपये से, 1957–58 में केवल 1 28,965 रुपये किये जाने को असामान्य कटौती की जांच करने की परवा किये बिना इस फर्म का इतना कम आय-कर निर्धारित किया; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्य 417 के 3 नवम्बर 1966 को दिये गये उत्तर में, प्रश्न में पूछे गये अनुसार, इस फर्म तथा उसके भागीदारों द्वारा वास्तव में अदा किये गये करों के आंकड़े दिये गये थे और जिस आय पर कर-निर्धारित किया गया था उसके तथा लगाये गये कर के आंकड़े नहीं दिये गये थे। फर्म के मामले में निश्चित की गयी कुल आय के तथा फर्म और उसके भागीदारों पर लगाये गये करों के आंकड़े इस प्रकार है :-

कर-निर्धारण वर्ष	फर्म के मामले में आय की रकम जिस पर कर निर्धारित किया गया	फर्म तथा उसके भागीदारों के मामले में लगाया गया कर
1951–52	12,50,000	8,91,757
1952–53	,,	9,13,304
1953–54	,,	9,11,547
1954–55	,,	9,20,232
1955–56	,,	9,87,160
1956–57	,,	11,74,715
1957–58	,,	10,57,616
1958–59	,,	10,69,796

2. फर्म के मामले में आय इस आधार पर निश्चित की गयी कि करनिर्धारण वर्ष 1951-52 से 1958-59 तक इस फर्म को 1,00,00,000 रुपये की आय हुई थी जिसको सम्बन्धित वर्षों में से प्रत्येक में बराबर बांट दिया गया। ये कर-निर्धारण रजामन्दी के आधार पर किये गये थे। यह उद्देश्य रखा गया था कि अगर प्राप्य कर 75 लाख रुपये से

कम रहे तो कुल मार्ग को 75 लाख रु० तक लाने के लिये दण्ड लगाया जायगा । कर की मांग 75 लाख रुपये से अधिक हो गई थी और, अन्यथा विवादस्पद बड़ी रकमों को शामिल करने के लिए फर्म रजामन्द हो गयी थी, इसलिए इन वर्षों के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया गया । यह देखने में आयगा कि लगाए गए करों में उत्तरोत्तर कोई कमी नहीं हुई है । पिछले आंकड़ों से केवल उस खास समय तक अदा किए गए करों का पता चलता है । आयकर अधिकारियों द्वारा दी गयी आरोपित मदद के कारण करनिर्धारण में कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता । कुछ अतिरिक्त रकम अदा कर दी गयी है और बाकी की रकम की वसूली के लिये कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

आयकर का नया प्रपत्र

*1586. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० के० देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने आयकर दाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर प्रपत्र को सरल बनाने के उद्देश्य से हाल ही में उसमें संशोधन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि नया प्रपत्र तीस पृष्ठ का है और बहुत पेचीदा भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रपत्र को सरल बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां

(ख) विवरणी देने का मुख्य फार्म केवल 4 पृष्ठों का है और शेष पृष्ठों में अनुबन्धों के फार्म हैं । करदाता को केवल वही फार्म भरने होते हैं जो उसके मामले में लागू होते हों ।

जिन छोटे-छोटे निर्धारितियों की कुल आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं हैं उनकी आयकर विवरणी केवल दो पृष्ठों की होती है । इसके साथ कोई अनुबन्ध नहीं होता ।

(ग) आयकर अधिनियम के उपबन्धों का, राजस्व के हितों तथा करदाता की सुविधा का ध्यान रखते हुए, फार्म को यथा सम्भव सरल बनाने का सरकार निरन्तर प्रयास करती रहती है ।

कांजीवरम स्थित सेन्ट्रल बैंक में केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा छापा

7720. **श्री चित्तिबाबू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि 1965 और 1967 के बीच की अवधि में केन्द्रीय जांच विभाग में चेंगल पर जिले में कांजीवरम स्थित सेन्ट्रल बैंक पर छापा मारा था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के दस्तावेज पकड़े गये थे तथा जांच का क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में औद्योगिक आवास योजना

7721. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने मकान बनाये गये हैं तथा इस कार्य के लिये गुजरात राज्य को अब तक कुल कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या 1967-68 में गुजरात में इस योजना के अन्तर्गत और मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो मकान बनाने के स्थानों समेत उनका ब्यौरा क्या है, तथा किस स्थान पर मकान बनाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) गुजरात में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 1952 में उसके आरम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1967 तक 20,843 मकान बनाए गये । इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 तक गुजरात सरकार को दी गई राशि 653.94 लाख रुपये है ।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना एक अनवरत योजना है, तथा राज्य सरकारों को प्राधिकृत कर दिया गया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की परियोजनायें स्वीकार कर दें । 1967-68 के दौरान स्वीकार की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा गुजरात सरकार से इस अवधि की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपलब्ध होगा ।

गुजरात में ग्रामीण आवास योजनाए

7722. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये गुजरात को कितना धन मंजूर किया गया था;

(ख) उक्त अवधि में इस काम पर राज्य द्वारा वास्तव में कितना खर्च किया गया; और

(ग) 1967-68 में इस काम के लिये राज्य को कितना धन मंजूर करने का विचार है;

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तीन लाख रुपये की राशि नियत की गयी थी।

(ख) राज्य सरकार के पूर्व-अनुमानित खर्चे के आधार पर 1966-67 में 2 लाख रुपये की राशि दी गयी थी।

(ग) 1967-68 का प्रस्तावित नियतन 2 लाख रुपये है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में सिंचाई परियोजनायें

7723. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया गया;

(क) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना धन व्यय किया गया था ; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब पूरी हो जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गोमा और सरस्वती।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि धन की व्यवस्था की गई थी, परन्तु 1962 में आपत् स्थिति की घोषणा के परिणाम स्वरूप योजना में नवीकरण किया गया ताकि माध्यमिक और शीघ्र कार्य करने वाली योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। अतः बड़ी योजनाओं के कार्य को धीमा करना पड़ा।

	गोमा	सरस्वती
अनुमानित लागत (लाखो रुपयों में)	65.78	131.53
तीसरी योजना के अन्त तक व्यय (लाखो रुपयों में)	5.44	19.76
पूर्ण होने की तिथी	चौथी योजना	चौथी योजना

गुजरात राज्य में कोढ उपचार केन्द्र

7724. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य में कोढ़ उपचार केन्द्र कितने हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है; और

(ग) 1966-67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिये कितनी राशि का ऋण तथा अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में इस समय3 कुष्ठ रोग नियन्त्रण एकक तथा 70 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त ऐच्छिक संस्थायें भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 2 कुष्ठ रोग नियन्त्रण एकक चला रही है।

(ख) गुजरात के प्रत्येक एकक से कुष्ठ रोग के 600-800 मामलों की खोज तथा इलाज की आशा की जाती है।

(ग) भारत सरकार ने गुजरात सरकार को प्लान में निहित स्वास्थ्य योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, जिनमें कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम भी सम्मिलित है. 1966-67 में 113.58 लाख रुपये का कुल अनुदान दिया (50.97 लाख नकद तथा 62.61 लाख अन्य तरीकों से)। यह बताना सम्भव नहीं है कि राज्य सरकार ने इस सहायता में से कितनी रकम केवल कुष्ठ रोग केन्द्रों पर खर्च की, क्योंकि वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्यों को सहायता योजनावार नहीं अपितु सब योजनाओं के लिए एक मुश्त दी जाती हैं।

ऐच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले 2 कुष्ठ रोग नियन्त्रण एककों के लिए 1966-67 में 35,666 रुपये का सहाययानुदान दिया गया।

गुजरात राज्य में आयकर निर्धारण तथा अपीलें

7725 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आयकर निर्धारण तथा अपीलों का कार्यभार गत दस वर्षों में काफी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के लिये एक प्रथक आयकर जोन बनाने की मांग की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। गुजरात राज्य में आयकर आयुक्तों के पहले से ही दो कार्य क्षेत्र हैं, अर्थात् आयकर आयुक्त, गुजरात-I और गुजरात-II/गुजरात II कार्य क्षेत्र में अप्रैल, 1964 से काम करना शुरू किया हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Industries in M. P. in Fourth Plan

7726. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any preliminary work has been started in regard to the setting up of industries in Madhya Pradesh during the Fourth Plan period and the implementation of projects and the progress made so far in this direction;

(b) whether the curtailment in allocations made in the Fourth Plan would affect any industry or project, and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes, work has already started on the following Central projects proposed to be set-up in Madhya Pradesh during the Fourth plan.

1. Expansion of Bhilai Steel Plant
2. Expansion of Heavy Electrical Project
3. Expansion of Nepa Mills
4. Security Paper Mills
5. Korba Aluminium Project
6. New Alkaloid Factory
7. Cement Factory

The construction work on the sixth Blast Furnace Complex which is an advance unit of the second stage expansion of Bhilai Steel Plant is in progress. Orders have been placed on Heavy Engineering Corporation for supply of equipment and structurals. The preliminary work in respect of expansion programme of Heavy Electricals, Bhopal has been undertaken. The expansion programme of Nepa Mills for increasing its capacity from 30,000 tonnes to 75,000 tonnes per annum is being implemented. The paper mill section is expected to commence production during 1968-69 and the pulp section in 1969-70. Considerable progress has been made on the construction of the security paper mills being set up at Hoshangabad for the production of 2700 tonnes of currency and bank note papers. Important items of civil works have been completed and the bulk of machinery and equipment have arived at the site. The detailed project report of the Korba Aluminium smelter Project is under preparation. The construction work on the Alkaloid Factory at Neemuch is in progress. It has been decided to set-up a Cement Factory at Mandhar by the Cement Corporation of India. The project report has been prepared. The orders for plant and equipment for the factory have been placed.

(b) and (c) The Fourth Plan has not yet been finalised but it is unlikely if any curtailment in the allocation in the Fourth Plan would seriously affect the implementation of the above projects.

Income Tax Assessment Cases Pending in Madhya Pradesh

7727. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of disputable cases of assessment of income-tax in Madhya Pradesh laying pending with the Income-tax Department for more than two years at the end of 1966-67;

(b) the number of cases out of them in regard to which decision has not been taken and the number of years for which they have been lying pending;

(c) whether Government have adopted measures with a view to ensure that these cases may be disposed of within reasonable time; and

(d) if so, the outline thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The desired information is as under :—

(a) Number of Income-tax appeals and Revision Petitions pending before the Appellate Assistant Commissioners/Commissioners of Income-tax respectively in Madhya Pradesh for more than two years as on 31.3.1967 .. .. Appeals Revision petitions

Appeals	Revision petitions
491	42

(b) Out of (a) above number of appeals/revision petitions pending as on 30-6-1967 for

	Appeals	Revision petition
more than 2 years	317	21
more than 3 years	71	5
more than 4 years	15	9
more than 5 years	4	1
more than 6 years	4	4
more than 7 years	2	-
more than 8 years	2	-
more than 9 years	2	-
more than 10 years	1	-
Total :	418	42

(c) and (d) Yes Sir. The Board keeps a constant watch on the progress of disposal of old appeals/revision petitions. The strength of Appellate Assistant Commissioners in Madhya Pradesh was also raised for 6 to 9 in January, 1966.

पूर्वी यूरोप के देशों के संभरणकर्ताओं के साथ समझौतों में सोने की समता (गोल्ड पैरिटी) सम्बन्धी खण्ड जोड़ा जाना

7728. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के उन देशों ने, जिनका भारत के साथ रुपये में भुगतान का समझौता है, भारतीय आयातकों के साथ अपने वाणिज्यिक समझौतों में सोने की समता (गोल्ड पैरिटी) सम्बन्धी खण्ड जोड़ा जाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान भारतीय रुपये में सोने की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सोने की मात्रा में और अधिक कमी होने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) जी हां। पूर्वी यूरोप के देश भारतीय आयातकों के साथ किये जाने वाले अपने वाणिज्यिक समझौतों में सोने की समता (गोल्ड पैरिटी) सम्बन्धी खण्ड जोड़ने का साधारणतः आग्रह करते आ रहे हैं। सोने की समता सम्बन्धी खण्ड का उद्देश्य यह होता है कि अगर रुपये में सोने की मात्रा में परिवर्तन हो जाय तो माल भेजने वालों को हानि न हो।

(ग) 0.118489 ग्राम शुद्ध सोना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक इंजीनियर

1729. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण प्रबन्धक पदों के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों से अर्हता प्राप्त इन्जीनियरों को वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे कितने इन्जीनियर काम कर रहे हैं और इन उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन इन्जीनियरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतन क्रम दिया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) उपलब्ध उत्तम व्यक्तियों को (भारतीय अथवा विदेशी–) योग्यता अनुभव तथा अन्य सम्बद्ध बातों की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है।

एक विवरण–पत्र जिसमें उल्लिखित सरकारी उद्योगों में प्रबन्ध सम्बन्धी ऊंचे पदों पर कुल मिलाकर 84 इन्जीनियर तथा तकनीकी कर्मचारी हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1313/67]**

(ग) और (घ) सरकारी उद्योगों में प्रबन्ध सम्बन्धी ऊंचे पदों की वेतन-क्रमों की सूचियां इस प्रकार हैं। स्थिर मानी गई हैं।

सूची	'क'	3500–125–4000 रुपये
सूची	'ख'	3000–125–3500 रुपये
सूची	'ग'	2500–100–3000 रुपये
सूची	'घ'	2000–100–2500 रुपये

इन सूचियों में दिये गये विभिन्न ऊंचे पदों का वर्गीकरण उनमें निहित उत्तरदायित्व, काम की समस्याओं की जटिलता, आदि के आधार पर किया गया है। ये वेतन–मान ऐसे पदों के लिए चुने गये सभी व्यक्तियों को, अर्थात् तकनीकी तथा गैर तकनीकी–दोनों को मिल सकते हैं।

पेट्रोलियम कोक का निर्यात

7730. श्री गा० श० मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम कोक का किन किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम कोक का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्था इस उत्पादन का उर्वरक उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसन्धान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जापान को पेट्रोलियम कोक का निर्यात किया गया है।

(ख) पेट्रोलियम कोक के कुल उत्पादन की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:–

	(मिटरी टन प्रति वर्ष)
दिग्बोई शोधनशाला (गैर-सरकारी क्षेत्र)	12,000
गोहाटी शोधनशाला	40,000
बरौनी शोधनशाला	70,000
कुल	1,22,000

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरी संग्रहालय

7731. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में कोई इंजीनियरी संग्रहालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उस पर कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग निम्नलिखित भवनों के निर्माण के लिये हौज खास में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलौजी के निकट एक भूमि का प्लॉट लिया गया है।

1. सेन्ट्रल सोयल मकैनिक रिसर्च स्टेशन

2. लाइब्रेरी एण्ड इन्फोमेशन ब्यूरो

3. आडिटोरियम

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियरिंग म्यूजियम के लिये 69,000 फुट का क्षेत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

इस भवन पर अनुमानतः 65 लाख रुपया व्यय होगा। धन की कठिनाई के कारण इस भवन के निर्माण का कार्य करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका।

भार प्रेषण संस्था (लोड डिस्पैचिंग इन्स्टीट्यूट)

7732. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भार प्रेषण संस्था लखनऊ में खोली जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) भार प्रेषण संस्था के लखनऊ में खोले जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस परियोजना पर लगभग 13.7 लाख रुपये की अनावार्तक लागत आने का अनुमान है।

शिड्यूल्ड ट्राइब कोआपरेटिव फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

7733. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में शिड्यूल्ड ट्राइब कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कितने डिपो चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ ब्रांच डिपुओं में आदिम ज़ातियों के लोगों से उन्हें रसीद दिये बिना वन उत्पाद कम मूल्य पर खरीदे जाते हैं, और वहीं उत्पादन थोक व्यापारियों को दुगने भाव पर बेचे जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में बाढ़

7734. श्री शिव चन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर बिहार में, इस समय आई बाढ़ को रोकने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) कावला-बाला बांध बिहार में (भंगारपुर के निकट) के समीप बाढ़ किस स्तर तक पहुँच चुकी है; और

(ग) बिहार में बाढ़ से अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 1954 से ही, जब से बाढ़ नियंत्रण का समन्वय कार्यक्रम आरम्भ हुआ, राज्य सरकार ने बाढ़ रोकने के लिये विभिन्न उपायों से काम लिया है, जिनमें बांधों का निर्माण करना, जल निकासी में सुधार, नदी के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और भूमि का कटाव रोकने सम्बन्धी कार्य, गांवों की सतह को ऊंचा करना और पानी जमा करने के लिये जलाशयों का निर्माण किया जाना इत्यादि इसमें शामिल हैं । अब तक के किए गए कार्य से विभिन्न राज्यों में लगभग 130 लाख एकड़ भूमि के बाढ़ से रक्षा की जा सकेगी । बिहार और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं चालू की जा रही हैं । वर्तमान बाढ़ के दौरान राज्य सरकार ने बिहार में बांधों के मुख्य स्थानों पर पूरी निगरानी का प्रबन्ध किया है । 1966 में आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जंगहारपुर रेलवे पुल पर कमला बालन नदी के ऊपर बांधों को ऊंचा और मजबूत कर दिया है और पुल से गुजरने वाले प्रवाह में सुधार करने का कार्य भी रेलवे कर रही है । मुजफ्फर-नगर के निकट बुरही गंडक के दांये किनारे पर बचाव के उपाय पूरे किये जा चुके हैं । कोसी परियोजना प्राधिकारियों ने, कोसी बांधों पर विपरीत प्रभाव न पड़ने के लिये एतिहातम कदम उठाये हैं ।

(ख) हाल के बाढ़ के दौरान 10 जुलाई को मंजापुर रेलवे पुल के कमला बालन स्थान पर अधिकतम स्तर 168.25 फुट था।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि उत्तर बिहार में आई वर्तमान बाढ़ के परिणामस्वरूप अब तक 171.50 लाख रुपये की फसल और सम्पत्ति की हानि हुई है।

विदेशों में लगी हुई भारतीय पूंजी

7735. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देशवार, कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है;

(ख) भारतीय नियोजक कौन-कौन हैं; और

(ग) इन विदेशी विनियोजनों से वार्षिक कितना लाभ भारत में आता है ?

उप-प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उपलब्ध रिकार्ड से यह पता लगता है कि विदेशों में 11.569 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की स्वीकृति दी गई है। देशवार लगाई गई भारतीय पूंजी का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ख) एक विवरण जिसमें उन कम्पनियों के नाम दिये गये हैं जिन्हें विदेशों में पूंजी लगाने की अनुमति मिल गई है, सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या एल० टी० 1314/67]**

(ग) विदेशी विनियोजनाओं से प्राप्त होने वाले धन के अलग 2 आंकड़े अभी तक नहीं रखे गये हैं, भारतीय कम्पनियों की विदेशी शाखाओं ने 1964, 1965 और 1966 में क्रमशः 95, 87 और 89 लाख रुपये भारत भेजे।

स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चण्डीगढ़

7736. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चण्डीगढ़ के कनिष्ठ कर्मचारियों (जूनियर स्टाफ) ने 20 से 24 जून, 1967 तक काम बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जिन कर्मचारियों को गेहूं के लिए ऋण नहीं मिला था उन्होंने 24 जून, 1967 को एक प्रदर्शन किया। संस्थान के शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) ने जिस ने उसी दिन अपनी बैठक की, कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन की मन्जूरी दे दी थी।

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीटयूट, चण्डीगढ़ के शापिंग सेन्टर में दूकानों का अलाटमेंट

7737. श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट ग्रेजुएटस मेडिकल इन्स्टीट्यूट चण्डीगढ़ के प्रस्तावित शापिंग सेन्टर में कुछ दुकानें पहले ही अलाट कर दी गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ दुकानें संस्था के अधिकारियों के सम्बन्धियों को अलाट की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मामले को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने भूतपूर्व सैनिकों को देने के लिये तीन दुकानें भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग को दी थीं । इस लीग ने ये तीनों दुकानें भूतपूर्व सैनिकों को अलाट कर दी हैं जिनमें से एक इस संस्थान के निदेशक का सम्बन्धी है ।

(ग) इस विषय में जांच पड़ताल की जा रही है ।

पासी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता

7738. श्री देवराज पाटिल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पासी जाति की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूरे राज्यों में पासी जाति को अनुसूचित जाति माना जाये और क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा लिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।

Harijans in Mysore State

7739. **Shri Ramchandra Veerappa** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have stopped the financial assistance which was provided for improving the conditions of Harijans in Mysore State; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Development of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) No.

(b) Does not arise.

House For Harijans

7740. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of Harijan families provided with houses in Andhra Pradesh, Maharashthra and Mysore from 1960 to 1966;

(b) the expenditure incurred on those houses; and

(c) the amount allocated for the construction of houses for Harijan families in the said three States during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) to (c) The information is being collected from the concerned State Governments. It will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

जापान से ऋण

7741. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अमृत नाहाटा :
श्री गणेश :
श्री ओंकारलाल बोहरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत को 70 लाख डालर (पांच करोड़ पचीस लाख रुपये) का येन ऋण दिया है;

(ख) क्या यह ऋण खाद्य संकट को दूर करने के लिये दिया गया है;

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार इस ऋण को उपयोग में लाने का है; और

(घ) जापान सरकार को इसका कुल कितना ब्याज दिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) जी, हां। यह ऋण जापान से किये जाने वाले उर्वरकों के निर्यात पर व्यय किया जायेगा। इसका भुगतान 15 वर्षों में होगा। इसके लिये पांच वर्ष की अनुग्रह अवधि दी गई है और बकाया ऋण पर 5-75 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। कुल ब्याज का अनुमान लगभग 30.8 लाख स्टर्लिंग (292 लाख रुपये) है।

अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

7742. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1956 से 1966 तक की अवधि में वर्षवार उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने की मांग कितनी बार की गई;

(ख) वर्षवार कितने मामलों में मुकदमे चलाने की मंजूरी दी गई थी और कितने अधिकारियों की पदावनति की गई अथवा सरकार द्वारा उन पर मुकदमे चलाये गये थे;

(ग) वर्षवार कितने मामलों में मंजूरी दी गई थी;

(घ) कितने मामलों में प्रार्थियों को उत्तर नहीं दिये गये थे;

(ङ) वर्षवार कितने प्रार्थियों । पीड़ितों को सहायता । प्रतिकर दिया गया; और

(च) कितने प्रार्थियों । पीड़ितों को सहायता । प्रतिकर दिया जाना बाकी हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्तिमंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (च) मांगी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास राज्य में समुद्र से भूमि का कटाव

7743. श्री किरुतिनन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में धनुषकोडी में समुद्र से भूमि के कटाव का अभी खतरा बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर समुद्र तट पर सुरक्षा-दीवार बनाने का है; और

(क) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र को सुरक्षा के लिये तथा रामेश्वरम द्वीप को खतरे से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कुछ समय से धनुषकोडी गांव में कटाव की समस्या बनी हुई है । मद्रास सरकार ने धनुषकोडी में समुद्र से भूमि के कटाव से होने वाले खतरे की कोई नई सूचना नहीं ही है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा कटाव को रोकने के लिये आवश्यक योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा । बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार से वित्त सहायता ली जा सकती है ।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न बचाव के कार्य किये गये हैं । 1964, में डा० जी० एम० वाटस, जो समुद्री कटाव सम्बन्धी विशेषज्ञ हैं ने धनुषकोडी गांव के पास समुद्री कटाव की समस्याओं का अध्ययन किया था, की सेवाएं भारत सरकार ने प्राप्त की थी । इस सम्बन्ध में बचाव के कार्य पहले ही किये जा चुके हैं और दूसरे उपाय बाद में किये जायेंगे । राज्य सरकार ने रामेश्वरम के पास उचित प्रकार के समुद्री कटाव रोकने के लिये डा० वाटस द्वारा दिये गये तरीके से हवा, तूफान, ज्वार भाटा, लहर, समुद्रस्तर पर होने वाले परिवर्तनों, समुद्र की गहराई में होने वाले परिवर्तन इत्यादि के आंकड़े एकत्रित करने का सुझाव दिया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन

7744. **श्री अ० कु० किस्कू :**
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिये रोजगार में विभेद समाप्त करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका में दो अलग अलग संघ-संगठन हैं अर्थात् 1961 में स्थापित की गई प्रेजीडेंट्स कमेटी आन ईक्वल एम्पलाएमेंट आफ अपरचुनिटी तथा 1964 के सिविल एक्ट के अधीन हाल ही में स्थापित किया गया ईक्वल एम्पलाएमेंट अपरचुनिटी कमिशन, कमेटी का कार्य सरकारी रोजगार में तथा सरकारी ठेकेदारों को रोजगार देने में विभेद न करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है और इसके पास जांच करने की व्यापक शक्तियां हैं और कमीशन के सांविधिक क्षेत्राधिकार में नियोजकों की एक बहुत बड़ी श्रेणी जिसमें गैर-सरकारी नियोजक रोजगार एजेंसियों तथा मजदूर संघ शामिल हैं; आती हैं;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय की चालू पुनर्गठन योजना में उक्त दो संगठनों तथा संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे फेयर एम्पलाएमेंट प्रेक्टिस कमिशनों के संगठनों, कृत्यों, शक्तियों तथा कार्य साधता की उपयोगी बातों को अपनाने की सुगमता पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आयुक्त के कार्यालय के नये ढांचे से एक और प्रयोग आरम्भ करने से पूर्व कोई विशेष तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका में अपनाई गई पद्धतियों का सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) सरकार ऐसे मामलों में प्रयोग नहीं करती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्राप्त हुई शिकायतें

7745. **श्री अ० कु० किस्कू :**
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर विचार करने के लिये उसी प्रकार की पद्यति अपनाने का विचार है जो अमरीका में स्पेशल फेयर एम्पलाएमेंट प्रैक्टिसिज कमिश्नर (नियोजन संबंधी उचित तरीकों के विशेष आयुक्त) द्वारा अपनाई जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में अन्य क्या व्यवस्था अपनाने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) उल्लिखित पद्धतियों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। आयुक्त के कार्य संविधान में दिए गए हैं। शिकायतों पर से किस ढंग से कार्यवाही की जाये, यह आयुक्त के स्वविवेक पर छोड़ा गया है।

समाज कल्याण विभाग में निःसंवर्ग पद

7746. **श्री राम चरण** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 तक पिछले पांच वर्षों में उनके मंत्रालय सम्बद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी के एक, दो और तीन के कुछ कुल कितने निःसंवर्ग पद मंजूर किये गये तथा ऐसे कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ख) कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तथा रोजगार दिलाऊ कार्यालयों के माध्यम से नियुक्तियां दी गई;

(ग) कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर ले कर नियुक्तियां की गई;

(घ) कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नतियों के द्वारा नियुक्तियां की गई; और

(ङ) कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सत्तर।

(ख) ब्यालीस (चालीस रोजगार दिलाऊ कार्यालयों के माध्यम से तथा दो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से)।

(ग) अठाईस।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) तीन।

लूप लगवाना रुपया कमाने का साधन

7747. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुत से ऐसे मामलों का पता लगने के बारे में सूचना मिली है कुछ स्त्रियों ने लूप लगवाने को रुपये कमाने का धंधा बना रखा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी धोखा धड़ी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना

7748. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जुलाई, 1967 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर बम्बई से आ रहे एक यात्री से 30,000 रुपये के मूल्य का निषिद्ध सोना बरामद किया था;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये जांच की है कि क्या उक्त यात्री अन्तर्राष्ट्रीय सोना तस्कर व्यापारी गिरोह का जो कि सारे देश में सक्रिय है, सदस्य तो नहीं हैं;

(ग) क्या पकड़े गये सोने पर कोई विदेशी निशान थे; और

(घ) देश में सोने का तस्कर व्यापार रोकने तथा इस अन्तर्राष्ट्रीय सोना तस्कर व्यापारी गिरोह को नष्ट करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) 16 जुलाई, 1967 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उधिकारियों ने बम्बई से आ रहे एक यात्री के पास से, जब वह पठान कोट एक्सप्रैस से आंगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर उतरा, विदेशी मार्का का 180 तोला सोना बरामद किया । इस सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 17,716 रुपये होता है । इस मामले में अब तक की गई जांच-पड़ताल से यह प्रकट नहीं होता कि यह व्यक्ति तस्करों के किसी ज्ञात अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है अथवा किसी ऐसे गिरोह का इस मामले में हाथ है । चोरी छिपे रूप में माल लाने ले जाने के अभिप्राय से सुगमता से पार करने योग्य सभी स्थानों पर कड़ी चौकसी रखने के अलावा बस तथा रेल मार्गों पर निरोधक गश्त भी लगाई जाती है तथा विदेशों से चोरी छिपे सोना लाने अथवा चोरी छिपे रूप में लाये गये सोने को देश के अन्दर बेचने के प्रयत्नों को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से गुप्त सूचना इकट्ठी की जाती है । उचित मामलों में विभागीय कार्यवाही के अलावा मुकदमा चलाने की कार्यवाही भी की जाती है ।

बरौनी और नामरूप उर्वरक परियोजना

7749. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी और नामरूप उर्वरक परियोजनाओं में कब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा दोनों पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी;

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(घ) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने और बरौनी विस्तार परियोजना के कुल उत्पादन से बिहार को उर्वरक सम्बन्धी मांग पूरी हो सकेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिहार की मांग को पूरा करने के लिये बाहर से और कितना उर्वरक मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1967 के अन्त तक नामरूप परियोजना उत्पादन शुरू कर देगी। 1970-71 तक बरौनी और नामरूप (विस्तार) परियोजनाओं के पूरे होने की आशा है।

(ख) और (ग)

परियोजना	क्षमता (नाइट्रोजन मीटरी टनों में)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	विदेशी मुद्रा लागत (लाख रुपयों में)
नामरूप	45,000	2100 (लगभग)	690 (लगभग)
नामरूप विस्तार	1,51,800	3000 (लगभग)	1239 (लगभग)
बरौनी	1,51,800	3800 (लगभग)	1468 (लगभग)

(घ) जी हां, जहां तक नाइट्रोजनी उर्वरकों का सम्बन्ध है, किन्तु ये आवश्यक नहीं हैं कि किसी विशेष राज्य में एक कारखाने का पूर्ण उत्पादन उसी राज्य में आवांटित या खर्च हो।

(ङ) उर्वरकों की बाहर से आवश्यकता पड़ेगी या नहीं और कब एवं कितनी मात्रा में पड़ेगी, यह इस समय नहीं बताया जा सकता।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों से दवाइयों का गोलमाल

7750. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मरंडी :
श्री टी० पी० शाह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के औषधालयों विशेषतया पंडारा रोड औषधालय से बड़े पैमाने पर दवाइयों के गोलमाल का पता चला है;

(ख) चोरी गई दवाइयों की कुल कीमत कितनी है;

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने इस बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) वर्तमान 55 डिस्पेन्सरियों में से निम्नलिखित 6 डिस्पेन्सरियों में पिछले एक वर्ष में दवाइयों की चोरी अथवा हानि होने को सूचना मिली अथवा पता लगाया गया। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी में दवाइयों की चोरी	चोरी की गई दवाइयों की कीमत	वर्तमान स्थिति
	रुपये	
1. साउथ एवेन्यू	371.68	पुलिस द्वारा जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है
2. मेडिकल अफसरों के जाली दस्तखतों वाली चिटों पर ली गई दवाइयां तथा पंडारा रोड़ डिस्पेन्सरी में दवाइयों की कथित कमी	7338.98	पुलिस जांच कर रही है
3. दिल्ली छावनी डिस्पेन्सरी का अलमारी से दवाइयों की चोरी	273.94	प्रमाण न मिलने पर पुलिस ने मामला खारिज कर दिया
4. साउथ एवेन्यू डिस्पेन्सरी के रेफ्रीजरेटर से दवाइयों की चोरी	88.83	तदैव
5. श्रीनिवासपुरी डिस्पेन्सरी के ड्रेसर से डिस्पेन्सरी से बाहर कुछ दवाइयों का पकड़ा जाना	63.08	पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
6. शाहदरा डिस्पेन्सरी के एक कम्पाउण्डर के घर से कुछ दवाइयों का पकड़ा जाना	800.00 (लगभग)	पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

Issue of Licences for New Fertilizer Factories

7751. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Petroleum and Chemical** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been urged upon in a Seminar on fertilizers held in new Delhi in December, 1966 to issue licences and grant of foreign exchange for imp rting fertilizer and fertilizer equipment;

(b) if so, the number of companies or factories in the country which have been provided such facilities by Government so far; and

(c) if not, the reasons erefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Such recommendation has been made by the Seminar, but Government has been issuing import and industrial licences and making necessary foreign exchange releases in all approved cases.

(b) 12 major fertilizer projects approved and/or under execution have been granted industrial and related import licences.

(c) Does not arise.

जंजीबार से स्वदेश लौटे व्यक्ति की लोंग

7752. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वित्त** मंत्री जंजीबार से स्वदेश लौटे एक व्यक्ति की लोगों के बारे में 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) "लाल पुस्तिका" (रेड बुक) के अनुसार माल पहुंचने की तारीख अथवा माल के भेजे जाने वाली बन्दरगाह पर उसके लदान की तारीख महत्वपूर्ण है;

(ख) क्या अन्य वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के लिये भी पहुंचने की तारीख को आधार माना जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो स्वदेश लौटने वाले इस व्यक्ति श्री आर० डी० भीमजी के मामले में माल के पहुँचने की तारीख को, जो आयातक के वश के बाहर की बात है, आधार मानने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या स्वदेश लौटने वाले अन्य व्यक्तियों को भी श्री आर० डी० भीमजी के समान वैसे ही प्राप्त हुए थे ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) लाल पुस्तिका (रेड बुक) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये मामले में जहाज पर

माल लादने अथवा माल भेजने वाले देश से माल की खानगी की तारीख, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्य विधि पुस्तक के अनुसार महत्वपूर्ण तारीख है। यह सिद्धान्त दूसरे मालों पर लागू नहीं होता।

श्री आर० डी० भीम जी के मामले में उच्चायुक्त कार्यालय ने सूचित किया था कि 31 दिसम्बर 1964 को या उससे पहले हाथि-दांत तथा लौंग के आयात पर उनको कोई आपत्ति नहीं थी।

(घ) श्री आर० डी० भीमजी को जारी किये गये पत्र जैसे पत्र जारी करने के अवसर भारतीय मिशनों के सामने, जहां तक सरकार को पता है, उपस्थित ही नहीं हुए।

Jewellery recovered from Bara Bazar, Calcutta

7753. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jewels worth 15 lakhs of rupees seized in Bara Bazar, area, Calcutta during the last week of March, 1967;

(b) if so, the place from where these were brought; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Diamonds and precious stones valued approximately at Rs. 1,29 lakhs were seized in the Bara Bazar area by the Customs authorities at Calcutta on the 27th March, 1967.

(b) The place from whore these diamonds and precious stones were brought is not known.

(c) Investigations in the case are still in progress.

Drivers in Health and Family Planning Ministry

7754. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the number of Drivers working in his Ministry;

(b) the number of Drivers receiving annual increments and the number of those who are not receiving annual increments; and

(c) the reasons for not giving the annual increments to some of the drivers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Seventeen.

Department of Health	3
Department of Family Planning	5
Directorate General of Health Services	9

(b) All drivers except two are receiving annual increments.

(c) One driver is not receiving increment as he has reached the Maximum of his scale of pay and the other is not receiving increment as a result of disciplinary action taken against him and also on account of his having taken leave without pay, for more than a year between 5th December, 1960 and 7th January, 1962.

Social Welfare in Bihar

7755. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in the Department of Social Welfare said in a speech delivered at a reception given to her at Patna on the 16th April, 1967 that it is necessary for the Directorate of Socil Welfare, Bihar to extend the activites of Social Welfare Department; and

(b) if so, the steps being taken by the Government in Bihar in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) No.

(b) Does not arise.

Diamonds Recovered from a Passenger at Madras Airport

7 56. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that diamonds worth Rs. 45,000 were recovered by the Customs Authorities from an Indian passenger at Meenambakkam airport in Madras during the last week of March, 1967;

(b) if so, the name of the place where from these diamonds were being smuggled; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) On 29,3.1967 gold Jewellery and diamond studded jewellery valued approximately Rs. 53,000 was seized by the Customs authorities at Meenambakkam airport in Madras from an Indian national who had arrived from Singapore, No diamonds were seized from this person.

(c) The person was remanded to judicial custody on 30.3.67. The case is being adjudicated departmentally, on completion of which a complaint for prosecution will be filed in the court of law.

Promotion Prospects of Drivers in Central Government Hospitals

7757. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Drivers in the Central Government Hospitals and Colleges have any avenues to get promotion to higher grades as is the case with other employees of the Central Government;

(b) if not, whether the opportunity has been provided to the Drivers working in the Central Government hospitals and Medical Colleges in the scale of Rs. 110-139 to get promotion to the scale of Rs. 110-180 being given to the Drivers working in his Ministry; and

(c) if so, the number of Drivers who have been promoted from the scale of Rs. 110-139 to the scale of Rs. 110-180 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a and (b) The drivers in each Institution have to fake their chance for promotion within the institution. They cannot be transferred to other Institutions under the existing rules. There are two grades viz., Rs. 110-180 for drivers of heavy duty vehicles and Rs. 110-139 for drivers of light vehicles.

(c) There is only one post each in the Safdarjang and Willingdon Hospitals, carrying the pay scale of Rs. 110–180. As and when a vacancy is caused it is filled by promotion.

Smuggled Articles Seized from Pakistani Boat near Bombay

7758. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggled articles worth eight lakhs of rupees were seized from a Pakistani boat in the sea away from Kanhari near Bombay, in October, 1966;

(b) if so, the detlails of the articles captured; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No such seizure was effected by the Customs and Central Excise authorities in October, 1966.

(b) and (c) Do not arise.

जैट विमानों का ईंधन

7759. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैट विमानों के ईंधन के मामले में आत्म-निर्भर होना संभव बनाने वाले इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन विमानों में भारतीय ईंधन भरना मंजूर कर लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जेट विमानों का ईंधन किसी भी शोधनशाला में जहां मिट्टी का तेल बनता है, सामान्यत: बनाया जा सकता है। 1966 के अन्त। 1967 के पूर्व में शोधन क्षमता में वृद्धि होने के कारण भारत में आत्म निर्भरता सम्भव हो सकी।

(ख) जी हां।

राजस्थान के गंगानगर जिले में फसल को क्षति

7760. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल के वर्षों में बाढ़ से राजस्थान के गंगानगर जिले में खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है; और

(ख) राजस्थान में कब तक बाढ़ नियंत्रण कार्यों के पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय सुरक्षा कार्य कर राजस्थान सरकार ने छोटी अवधि के उपाय पूरे कर लिये हैं। झज्जर बाढ़ रोकने की योजना जिसने झज्जर बाढ़ के पानी को सूरतगढ़ के दक्षिण-पश्चिम की ओर मोड़नी की है और जिसे लम्बी अवधि बाढ़ नियंत्र का उपाय समझा जाता है, अधिकतर पूरी हो चुकी है। चालू वर्ष के दौरान यह मोड़ नाली भी पूरी हो जायेगी।

विज्ञापन (पब्लिसिटी) उद्योग

7761. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यश पाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि विज्ञापन (पब्लिसिटी) उद्योग के विकास के हेतु आवश्यक सुविधायें देने के लिये आयकर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में "पुस्तकों" को भी सम्मिलित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की प्रार्थना पर सरकार विचार कर रही है।

विदेशों में भारत मूलक विनियोजक

7762. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय विनियोजकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में धन लगाने के बारे में अवमूल्यन का क्या प्रभाव हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी समाचार पत्रों अथवा अन्य साधनों से प्रचार कर विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर इस प्रकार धन लगाने पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से ऐसी बचतों में किन साधनों से धन लगाया है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लगाई गई पूंजी ब्याज सहित विदेशों को वापिस जा सकती है;

(ङ) क्या अवमूल्यन का अर्थ वास्तव में इस पूंजी तथा ब्याज की एक बड़ी प्रतिशत जब्त करना है; और

(च) यदि हां, तो क्या विदेशों में रहने वाले भारत मूलक इन छोटे विनियोजकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का कोई योजना बनाने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को, प्रचारक साहित्य और भारतीय दूतावास द्वारा प्रचार करके, बचत प्रमाणपत्रों में धन लगाने पर जोर दिया है ताकि उनके द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को देश की रक्षा और अन्य आवश्यकताओं में प्रयोग किया जा सके।

(घ) जो भी पूंजी वापिस आयेगी और जिस भी कीमत के प्रमाणपत्र होंगे और जितना उन पर ब्याज लगाना होगा, उसका निर्णय भारत और उस देश में प्रचलित नियंत्रण के अनुसार किया जायेगा जिसमें की पूंजी लगाने वाला व्यक्ति रहता है। इस बात को इस मतलब के लिये प्रकाशित प्रचार साहित्य में स्पष्ट कर दिया गया था।

(ङ) और (च) 6 जून, 1966 और उसके बाद जबकि रुपये का अवमूल्य हो गया था, उसकी वापसी चालू विनिमय दरों पर होगी, पर केवल इस कारण से कि रुपया अवमूल्यन से पहले वाली विनिमय दरों पर नहीं होगी। लघु बचत प्रतिभूतियों पर लगी पूंजी और उस पर ब्याज भारत को केवल भारतीय मुद्रा में देना होगा। यदि ब्याज और पूंजी वापिस नहीं की जाती और भारत में रहती है तो विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं होगी। भारत सरकार के लिये उन धन लगाने वालों को मुआवजा देना सम्भव नहीं है जिन्हें अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा की हानि हुई है।

राज्यों में बिजली की कमी

7763. **श्री मधु लिमये :**
श्री एस० एम० जोशी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में बिजली की कमी हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस कमी का कारण अपर्याप्त वर्षा है अथवा हड़ताल; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बिजली की कमी है। चालू वर्ष के दौरान किसी भी राज्य में बिजली की कमी होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) बिजली की कमी के निम्नलिखित कारण हैं :–

(1) वर्षा के न होने के परिणाम स्वरूप जलविद्युत परियोजनाओं से विशेषकर संग्रह बांधों से प्राप्त होने वाली बिजली पर इसका प्रभाव पड़ा है।

(2) जेनेरेटिंग या सहायक प्लान्टो में अचानक खराबी हो जाना। इस प्रकार की खराबी से विद्युत और जल से प्राप्त होने वाली बिजली सीमित हो जाती है।

(3) नई बिजली जनन योजना के क्रियान्वित किये जाने में विलम्ब होना। इस प्रकार की विलम्ब होने के परिणाम स्वरूप दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में अधिक मांग होती है। हड़तालों के कारण भी विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वित किये जाने में विलम्ब होती है या इससे बिजली की सप्लाई अस्थायी तौर पर छिन्न भिन्न हो जाती है।

(ग) बिजली की कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) भविष्य में होने वाली मांगों का पता लगाने और उनको पूरा करने के लिये भविष्य में होने वाली बिजली की मांगों और दी जाने वाली नई जनन क्षमताओं और संचारण सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यवस्थित सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) वर्षा के न होने के कारण हुई आपत स्थिति या बिजली घर में हुई आकस्मिक खराबी को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये हैं।

(1) दूसरे बिजली घरों में भी बिजली उत्पादन अधिकतम किया जाना।

(2) राज्यों में नयी जनन परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना।

(3) जब भी सम्भव हो तो पड़ोसी राज्यो से बिजली प्राप्त किया जाना।

पंजाब में उर्वरक कारखाना

7764. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब में नेफ्था पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में भटिंडाजाखल उद्योग समूह में यूरिया के रूप में 200,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता का नेफ्था पर आधारित एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) उर्वरक उत्पादन के भावी कार्यक्रम में इस प्रस्ताव की स्थिति का प्रश्न परीक्षणाधीन है ।

Family Planning Programme

7765. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the total amount spent by Government so far on Family Planning programmes with break-up yearwise;

(b) the total number of persons who have been practising the methods affectively with their break-up figures for Hindus, Muslims and Christians separately;

(c) whether Government are aware that the religious organisations of Muslims and Christians have declared the practice of family planning against their religion; and

(d) whether in view of the rise in population and present food crisis obtaining in the country, Government proposes to make family planning compulsory instead of keeping it voluntary after the birth of limited number of children ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health & Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Rs. 4085.18 lakhs

The details of the amount spent on Family Planning Programme are as under :-

First Plan	Rs. 14.51 lakhs
Second Plan	Rs. 215.58 lakhs
1961-62	Rs. 139.31 lakhs

1962-63	Rs. 277 25 lakhs
1963-64	Rs. 217.24 lakhs
1964-65	Rs. 652.36 lakhs
1965-66	Rs. 1199.79 lakhs
1966-67	Rs. 1369.14 lakhs
TOTAL :—	Rs. 4085.18 lakhs

(b) According to information so far available, the total number of persons practising Family Planning is as under :—

(i)	No. of persons sterilised	–	2.40 million
(ii)	No. of IUCDs inserted	–	1.76 ,,
(iii)	Conventional Contraceptive-users.	–	0.50 ,, (Appx.)

No statistic regarding their break up community-wise is maintained.

(c) No such information is available with Government.

(d) The Government of Maharashtra have recommended to the Government of India to take legal and constitutional steps to make Sterilization-Vasectomy or Tubectomy compulsory in case of all citizens who have three or more living children. The recommendation is under examination and consideration.

Class III and Class IV Employees of Willingdon Hospital

7766. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class III and class IV employees of Willingdon Hospital have been putting forth their demands before the Hospital authorities for the last so many years;

(b) whether it is also a fact that the authorities of Willingdon Hospital have paid no attention to the said demands;

(c) if so, the nature of their demands and the percentage of those met so far; and

(d) if the demands have not been met, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry Health and family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) A memorandum of demands of the Willingdon Hospital workers was brought to the notice of the Ministry of Health in July, 1966. A statement indicating the demands and the action taken thereon is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library See LT. 1315/67]**

Power House in Bihar for Supply of Electrictty at Cheap Rates

7767. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration for Power House in order to supply electricity at cheaper rates to the farmers of Bihar for agricultural; purposes;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) It is not economical to set up a power house exclusively to meet the demand for agricultural purposes.

पोलियो रोग की आयुर्वेदिक औषधि

7768. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एक कविराज जो गत 31 वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक हैं ने यह दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी औषधि का पता लगाया जिससे पोलियो के रोग का यदि आरम्भ में ही पता लग जाये तो, उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दवाई की किसी अनुसंधान वैधशाला अथवा संस्था में जांच की गई है; और

(ग) क्या कविराज ने अपने दावे के समर्थन में जो फोटो दस्तावेज दिये हैं उनकी किसी सक्षम निकाय द्वारा जांच की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण (रैमीटेंस) योजना

7769. **श्री वामानी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना के अन्तर्गत 1966–67 में कितना आयात किया गया; और

(ख) इस योजना के लागू किये जाने से अब तक इसके अन्तर्गत कुल कितने आयात लाइसेंस दिये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना के चालू होने से अर्थात 19.10.1965 से लेकर 1 जुलाई, 1967 तक 37.57 करोड़ रुपये के कूल लायसेंस जारी किये गये थे जबकि वर्ष 1966-67 में 27.92 करोड़ रुपये के लायसेंस जारी किये गये । चूंकि कच्चे माल के लायसेंस 12 महीनों के लिये और पूंजी-पदार्थों के लायसेंस 3 वर्ष के लिये मान्य होते हैं, इसलिये यह बताना कठिन है कि इन लायसेंसों के आधार पर किसी विशिष्ट अवधि के दौरान वास्तव में कितना आयात किया गया ।

Rehabilitation of Leprosy Patients

7770. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 729 on the 6th April, 1967 and state:

(a) whether Government have finalised the scheme in regard to the rehabilitation of persons undergoing treatment of leprosy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B.S. Murthy): (a) and (b) The proposal has not yet been finalised.

(c) It is not possible to indicate the time that may elapse before the proposal is finalised.

Import of Oil by Indian Oil Corporation

7771. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the rate at which Oil is imported from abroad by the Indian Oil Corporation and the rate at which it is supplied in the country;

(b) the quantity and the rate of Oil at which it was imported by the Company during the last five years and the rates at which it was distribuetd by the Company to its agents; and

(c) the profit accrued to the Company thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) and (b) It is not in the public interest to disclose the prices embodied in the commercial agreements under which the Indian Oil Corporation Limited has been importing oil products. The sale prices in the country are fixed in accordance with the celling selling prices approved by the Government from time to time. The total quantity of petroleum products including lubricants, imported by the Indian Oil Corporation in the last five years is 57,57,590 tonnes.

(c) Profits are computed on the entire operations of the Corporation and not on the sale of imported products only. The Balance-Shects and the profit and Loss Statements of the Corporation upto the year 1965-66 have been laid on the table of the Sabha.

Jawahar Jyoti

7772. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) the cost of fuel used per day to keep the Jawahar Jyoti burning;

(b) the number of persons engaged on its maintenance;

(c) the annual expenditure incurred on salaries of these persons;

(d) whether Government propose to discontinue the Jawahar Jyoti in view of the financial difficulties being faced by the country at present; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and supply(Shri Iqbal Singh): (a) Rs. 66/-

(b) Four.

(c) About Rs. 4,400

(b) No. Government are, however, considering the question of replacing the oil fed flame by a permanent gas flame.

(e) Because Government have decided to keep the Jyoti aflame in the memory of the late Prime Minister.

Income-Tax Evasion by Ujjain Firm

7773. **Shri Hardeva Devgun :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 350 on the 25th May, 1967 and state

(a) whether Income-tax authorities have tried to verify at the time of assessment of income-tax of the firm, M/S Ramlal and Jawahar Lal of Ujjain, that the firm had in their Income-tax Returns shown larger number of employees than actually employed and that the salary paid to them is less than that shown in the registers;

(b) if so, the number of such employees, category-wise; and

(c) if not, the reasons for not taking this aspect into consideration while ascertaining the Income-tax in this case ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) There was no such employee.

(c) Does not arise.

Electricity for Ladakh

7774. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether electricity has been provided in the Ladakh District;

(b) if so, the number of kilowatts of electricity provided and the names of places where electricity has been made available; and

(c) if not, the reasons for not meeting the demands of Ladakhi people during the last ten years ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) 20 KW diesel station at Leg
20 KW diesel station at Kargil
3 KW micro hydel station at Nurla.

(c) Does not arise.

चण्डीगढ़ में सरकारी भवनों के किरायों का निर्धारण

7775. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**
श्री वालमीकि चौधरी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब तथा हरियाना सरकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे भवनों का किराया निर्धारित करने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

(क) से (ग) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

बुनाई की ऊन की रंगाई पर उत्पादन शुल्क

7776. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनाई की ऊन की रंगाई पर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क हटाने के बारे में दिये गये ज्ञापनपत्र पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी विचाराधीन है और जैसा ही कोई निर्णय किया जायगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

परिवार नियोजन के लिये स्वीडन सरकार की प्रार्थना पर गर्भनिरोधक उपकरण तथा चिकित्सा कर्मचारी

7777. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्य के लिये गर्भनिरोधक उपकरण तथा चिकित्सा कर्मचारी देने के बारे में स्वीडन सरकार की प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) मामले पर अभी बातचीत हो रही है ।

उद्योगों के लिये "लागत एवं मूल्यांकन" (कास्ट प्लस प्राइसिंग) फार्मूला

7778. **श्री सिध्देश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योगों के लिये "लागत एवं मूल्यांकन" फार्मूला कब बनाया गया था;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) उद्योगों को कब और क्यों करों से छूट दी गई थी; और

(घ) इन उपायों का क्रमशः औद्योगिक विकास तथा मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 'लागत से अधिक' मूल्यांकन फार्मूला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना । यह उन दिनों संयुक्त राज्य में प्रयुक्त प्रथा पर आधारित था । चूंकि लड़ाई के लिये सरकार को जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनमें से बहुत सी वस्तुएं नई थीं, और प्रतियोगिता के अभाव में निर्माताओं को नियत मूल्य बताने के लिये राजी करना मुश्किल था । इसलिये सरकार ने जरूरत की वस्तुओं के निर्माण के लिये निर्माताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह फार्मूला लागू करना आवश्यकता समझा गया था ।

बाद में देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए तथा, जब कभी आवश्यक समझा गया वस्तुओं के मूल्यों को नियमित करने के लिये 'लागत से अधिक' मूल्यांकन फार्मूला का सहारा लिया गया ।

(ख) इस फार्मूले की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि निर्माताओं को उनके वाजिब खर्चों के अलावा उचित लाभ भी लेने दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्माता अपनी जिम्मेवारियों को, अर्थात वार्षिक-लाभांश, प्रबन्ध-एजेन्टों का अगर कोई कमीशन देय हो तो वह, ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज की रकम, आयकर, हिस्सेदारों को देय लाभांश चुकाने की जिम्मेवारियों को पूरा कर सके। 'लागत से अधिक' ठेकों के जिन मामलों में अधिकतम मूल्य निर्धारित हैं उनमें मूल्यों को निर्धारित सीमाओं तक ही सीमित रखा जाता है।

(ग) भारत में नये स्थापित किये गये औद्योगिक उपक्रमों के लाभ को 5 वर्ष के लिए (सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक उपक्रमों के मामले में 7 वर्ष के लिए) उन उपक्रमों में लगी पूंजी के 6 प्रतिशत तक कर-मुक्त रखने के लिए किये गये उपबन्धों को भारतीय आयकर अधिनियम 1922 में, कराधान कानून (विलीन रियासतों में प्रसरण तथा संशोधन) अधिनियम 1949 के द्वारा धारा 15 ग के द्वारा (जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 84 के अनुरूप है) समाविष्ट किया गया था। यह रियासत देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये दी गई थी।

(घ) (i) औद्योगिक विकास एवं कीमतों पर 'लागत से अधिक' मूल्यांकन फार्मूले के तथा 'कर से छुट्टी' के प्रभावों को अलग अलग करके बताना कठिन है, क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन-स्तर तथा मूल्यों का निर्धारण करने में केवल मात्र ये कारण ही नहीं होते हैं। सच बात तो यह है कि किसी समय विशेष पर उत्पादन लागत तथा मूल्यों के स्तर का निर्धारण, देश में आर्थिक गतिविधि के सामान्य स्तर, लोगों की आय, देश में बने तथा अन्य विभिन्न कारणों पारस्परिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

(II) जहां तक 'कर से छुट्टी' का सवाल है, इस सुविधा से नई पूंजी को आकर्षित करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायता मिली है और इस प्रकार औद्योगिक माल की सर्वांगीण उपलब्धि बढ़ी है। इसका प्रतिफल यह भी हुआ है कि माल की अधिक उपलब्धि होने से कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है।

(III) इन बातों का तथा विभिन्न अन्य बातों के प्रभाव का एक नतीजा यह भी रहा है कि 1966-67 को समाप्त होने वाले पिछले 14 वर्षों की अवधि में जहां थोक कीमतों के सामान्य स्तर में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां 'निर्मित माल' के मामले में उसी अवधि में कीमतों में केवल 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां तक औद्योगिक उत्पादन के विकास का सवाल है यह बात ध्यान में रखी जाए कि यदि देश की सामान्य आर्थिक कार्य-कलापों को एक साथ मिला कर देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन का विकास सामान्य आर्थिक क्रिया में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेज रहा है। जहां पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष वास्तविक रूप से लगभग 3½ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहां औद्योगिक उत्पादन में अनुपात से इसका लगभग दुगुना विकास हुआ है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

7779. श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 6 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) अभी नहीं जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

परिवार नियोजन के लिए ताड़ी और बीयर का प्रयोग

7780. **श्री श्रध्दाकर सूपकार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेल्लोर के डा० करीम ने हाल में यह दावा किया है कि ताड़ी और बीयर परिवार नियोजन के लिये अच्छे तरीके हैं; और

(ख) क्या इस दावे की वैज्ञानिक परीक्षा की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस प्रकार का एक समाचार था।

(ख) जी, नहीं।

हीराकुण्ड अनुसंधान केन्द्र

7781. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीराकुण्ड अनुसंधान केन्द्र में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जून, 1967 तक 45,76,570 रुपये ।

श्रीसैलम परियोजना

7782. श्री म० सुदर्शनम : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 30 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न सख्या 244 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में श्रीसैलम परियोजना की क्रियान्विति के लिये किस प्रकार धन जुटाने का सरकार का विचार है ताकि उसे नियत समय में पूरा किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना राज्य की योजना के अन्तर्गत है । अतः इसका वित्त-पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में से जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया विविध विकास ऋण भी शामिल है, किया जाता है ।

Government's Expenditure on Telephones

7783. **Shri Ram Charan :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a constant increase in the Government expenditure on telephones;

(b) if so whether this increase in telephone expenditure is due to the direct dialling system; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to prevent the officers and the employees from using the telephones installed at their residences for their personal work ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir. there has been some increase in expenditure of telephones.

(b) As in the absence of any device for segregation, the calls made on direct dialling system are not at present being shown separately in the telephone bills, it is not possible to say if there has been any increase due to the direct dialling system.

(c) Telephones have been provided at residence to responsible officers and Government have no reason to think that there is any abuse of this facility. However, instructions have been issued to controlling officer to watch the bills of the residential telephones of individual officers and to take suitable executive action where unreasonable increases are found to occur following the introduction of direct dialling system.

पैट्रोलियम के उत्पादों में आत्म निर्भरता

7785. श्री ओंकार लाल बेरवा क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत पैट्रोलियम उत्पादों में आत्म-निर्भर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पैट्रोल का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) वर्तमान शोधन क्षमता के आधार पर भारत ने इस समय मिट्टी के तेल, लुब्रीकेण्टस और कुछ मामूली उत्पादों के सिवाये, सारे उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है।

(ख) 1966 में पैट्रोल और नेफ्था का उत्पादन 1.5 मिलियन मीटरी टन से अधिक था।

सरकारी क्वाटरों के अलाटमेंट सम्बन्धी नियम

7786 श्री लीलाधर कटकी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नई दिल्ली में बने विभिन्न प्रकार के सरकारी क्वाटरों के अलाटमेंटों के लिये निर्धारित वेतन श्रेणियों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा परिवर्तन हो जाने के बाद इस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्या को सुलझाने में आसानी होगी;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनका सेवा काल 20 वर्ष हो चुका है और जिन्हें अभी तक सरकारी क्वाटर नहीं मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन्हें सरकारी क्वाटर कब तक मिलने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सामान्य पूल में विभिन्न टाईप के वास के आवंटन के लिए वेतन श्रेणी के पुनरीक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है, किन्तु कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कुछ समय लगेगा।

(ग) अभी इस स्थिति में यह पूर्व-अनुमानित नहीं किया जा सकता कि इस प्रस्तावित तबदीली से सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या में सुधार होगा अथवा नहीं। निर्णय लेने में यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण होगा। यदि अतिरिक्त यूनिट बना दिये जायें तो आवास समस्या में सुधार हो सकता है।

(घ) जी हां।

(ङ) 1,053 कर्मचारियों को जो कि 700 रुपये से कम परिलब्धियां ले रहे हैं तथा जिनके विषय में प्राथमिकता की तारीख उनकी सेवा आरंभ होने की तारीख से शुमार की जाती है, सामान्य पूल से वास आवंटित नहीं किया गया है, यद्यपि उनकी 20 वर्ष की सेवा हो गई है। इन टाइपों में 1,788 रिहायशी वास बनाये जा रहे हैं तथा दिल्ली में चालू वित्तीय वर्ष में यदि निधि उपलब्ध हुई, 2,080 रिहायशी यूनिट के निर्माण के आरंभ का प्रस्ताव है। यह आशा की जाती है कि आवंटन के लिए इन क्वार्टरों के तैयार हो जाने के बाद स्थिति सुधरेगी।

Rates of Dearness Allowance Increase

7787. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rise in prices has affected a Peon and an Officer equally;

(b) if so, the reasons for which the rates of Dearness Allowance are different for different categories of employees;

(c) whether Government propose to make the rates of Dearness Allowance uniform for all the employees and officers rather than increasing the rates according to the pay scales; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The pattern of consumption differs according to the spending capacity of individuals and in respect of lower paid employees a larger part of their income is spent on food-grains and other essential items. Thus the rise in prices connot be said to affect all classes equally. In sanctioning Dearness Allowance to compensate for the price rise, the well established principle "higher the salary, lower is the neutralisation" has been followed.

(c) No, Sir.

(d) The rates of dearness allowance have necessarily to be related to the salaries of the employees since what is being compensated is the erosion in the respective incomes of the employees due to rise in prices.

बिड़ला समवाय समूह की जूट मिलों द्वारा आयकर अपवंचन

7788. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री सूरज भान :
श्री प० मू० सैयद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला समवाय समूह की जूट मिलें बड़े पैमाने पर आय-कर का अपवंचन कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रवर्तन शाखा ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस समूह के द्वारा आयकर की चोरी की जाने की कुछ शिकायतें हाल ही में मिली हैं। इनके बारे में आवश्यक

पूछताछ की जायगी। यह समूह आयकर की चोरी करता रहा है या नहीं, और यदि करता रहा है तो किस सीमा तक, आदि बातों का पता पूछताछ पूरी होने पर ही चल सकेगा।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Drinking Water Supply in Rural Areas of Madhya Pradesh

7789. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the number of villages in Madhya Pradesh where drinking water has been made available as a result of rig boring machines supplied to that State by the Central Government during 1966-67 ?

The Deputy Minister in the Ministry Health and Family Planning (Shri B.S. Murthy): No rig was supplied to Madhya Pradesh by the Central Government during 1966-67.

अंदमान में सरकारी क्वार्टर

7790. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान के लोक निर्माण विभाग ने अपनी आवश्यकता से अधिक 40 क्वार्टर बनाये हैं तथा वे खाली पड़े हैं;

(ख) क्या इन क्वार्टरों को ऐसे व्यक्तियों को किराये पर देने का विचार है जो सरकारी क्वार्टर के हकदार नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों की बिक्री

7791. **श्री श्रध्दाकर सूपकार** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोल मार्केट क्षेत्र में कुछ धार्मिक संस्थाओं को कुछ सरकारी क्वार्टर बेचे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बेचे गये हैं और किस मूल्य पर तथा उनका कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) इन सरकारी क्वार्टरों को बेचने के क्या कारण हैं जब कि दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की अत्याधिक कमी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) निम्नांकित तीन संस्थानों को निर्माण स्कूल के विस्तार तथा पंजाबी विद्वान स्वर्गीय भाई वीरसिंह के स्मारक के लिए गोल मार्केट क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया गया है:-

(i) भारत में आइरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स की धर्म-सभा (सेंट कोलम्बस हाई स्कूल के लिए) ;

(ii) जैन सभा (जैन हैपी स्कूल के लिए) ।

(iii) भाई वीर सिंह साहित्य सदन (भाई वीरसिंह स्मारक के लिए) ।

इन संस्थानों को आवंटित किये गये स्थानों पर बने हुए सरकारी क्वार्टरों का उपयोगी जीवन पूरा हो गया है, किन्तु कोई सरकारी क्वार्टर उन्हें बेचा नहीं गया । किन्तु, सेंट कोलम्बस हाई स्कूल के विस्तार के लिए भारत में आइरिश क्रिश्चयन ब्रदर्स को आवंटित स्थान पर बने 14 क्वार्टरों को गिराने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा टेंडर मांगे गये थे, किन्तु कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर, इन क्वार्टरों के गिराये जाने का कार्य स्कूल के प्रिंसीपल को, 34,300 रुपये में, जो कि इन क्वार्टरों के सुरक्षित मूल्य से अधिक है, सौंप दिया गया था ;

महानदी नदी के आसपास के क्षेत्र में भूमि पर उपलब्ध पानी के उपयोग के बारे में अध्ययन

7792. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी नदी के आस पास के क्षेत्र की भूमि पर उपलब्ध जल संसाधनों के बारे में अध्ययन किया गया था और किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उससे अब तक क्या निष्कर्ष निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां । महानदी के भूमि पर उपलब्ध जल संसाधनों का अध्ययन केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) अध्ययन अभी जारी है ।

आंध्र प्रदेश में शांति सेवा के स्वयंसेवक

7793. श्री वासुदेवन नायर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शांति सेना के स्वयं सेवकों के कार्य के मूल्यांकन के लिये कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सर्वेक्षण के फलस्वरूप अनावश्यक सिद्ध हुए स्वयंसेवकों की सेवायें समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि शान्ति सेना के स्वयंसेवकों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये विभागों के अध्यक्षों को कह दिया गया है ।

(ख) चूंकि मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं है, "इसलिये राज्य सरकार ने किन्ही स्वयंसेवकों की सेवायें समाप्त करने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया है ।

कोका कोला

7794. श्री बाबूराव पटेल :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्योर प्रोडक्टस कम्पनी द्वारा बनाये जाने वाले कोका कोला में फासफोरस एसिड तथा अन्य रासायनिक तत्व होते हैं, जो दातों और मसूड़ों के लिये हानिकारक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कोका कोला के निर्माताओं को इस बात के लिये क्यों नहीं कहा है कि वे इस पेय पदार्थ का फार्मूला बोतलों के लेबलों पर छापें ताकि यह पता चल सके कि उक्त पेय पदार्थ में क्या क्या रासायनिक तत्व हैं; और

(ग) सरकार का निर्माताओं को कोका कोला में पड़ने वाले पदार्थों की घोषणा करने के लिए कहने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि इसके कारण बच्चों में अनेक प्रकार के दांत और पेट रोग बढ़ रहे हैं ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कोका कोला में खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1965 के परिशिष्ट 'ख' में मद क. 0.01 प्रांगरीय जल के अन्तर्गत दिये गये अनुमति प्राप्त रसायनों के अलावा फासफोरस एसिड भी होता है । सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर, जिसमें दांत और मसूड़े भी शामिल हैं, कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

(ख) खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 अथवा खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 अथवा किसी अन्य विधान के अन्तर्गत निर्माण फार्मूले को छापना अथवा प्रदर्शित करना जरूरी नहीं है । प्रांगरीय जल पर लेबल खाद्य मिलावट निवारण नियम के नियम 32 के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार लगाना पड़ता है जिसमें खाद्य पदार्थों को पैक करने तथा उन पर लेबल लगाने की शर्तें दी हुई हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance Received From U. S. A. and U. S. S. R.

7795. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains received from U. S. A. and U. S. S. R. last year and the financial assistance, machinery and other articles received from those countries under the Five Year Plans;

(b) the number of American and Russian technicians and experts working at present in India; and

(c) the steps being taken by Government to make India self-sufficient in these matters ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The quantity of foodgrains received from America and Russia during the last year (1966-67) is as follows:

U. S. A.	:	78.19,476 Metric tons
U. S. S. R.	:	1,38.941 Metric tons

The value of total aid (loans and grants) received from the two countries for the purchase of machinery and other articles during the first three Plans period is as follows:

	Rs. Crores (Pre-Devaluation)	
	Authorisation	**Utilisation**
(1) U. S. A.		
(i) Loans	1284.16	1042.43
(ii) Grants	147.28	142.93
(iii) P. L. 480 Imports	1563.63	1368.45
(iv) P. L. 665 Imports	31.87	31.87
(v) Third Country currency assistance	2.78	2.78
(2) U. S. S. R.		
(i) Loans	484.31	282.08
(ii) Grants	4.96	4.96

(b) As on 1st January, 1967 there were about 552 American and 1277 Russian technicians and experts working in India.

(c) The successive Five Year Plans and all development efforts in the field of agriculture, with particular reference to foodgrain production, in the sector of Industrial productivity, in export promotion, in the various fields of man power training and in technological education, are intended to make India self-sufficicient in the matters referred to ?

आयकर निर्धारण

7796. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1960-61 से 1965-66 तक प्रति वर्ष आयकर अधिनियम, अधिलाभ कर अधिनियम और व्यापार लाभ कर अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों ने कर निर्धारण के कितने मामले आयकर अधिकारियों द्वारा पुनः निर्धारण हेतु खारिज किये; और

(ख) वर्षवार ऐसे कितने मामलों में पुर्ननिर्धारण का काम पूरा हो गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

आयकर सम्बन्धी अपीलें

7797. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री गा० शं० मिश्र : **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1960–61 से 1964-65 तक (इस समय लागू तथा वापस लिये गये) विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत दायर की गई ऐसी अपीलों की संख्या क्या है जो अभी भी (एक) आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त और (दो) आयकर न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1960-61 से पहले (इस समय लागू तथा वापस लिये गये) विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत दायर की गई ऐसी अपीलों की संख्या क्या है जो अभी भी (एक) आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त और (दो) आयकर न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित अपीलें, जो आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त तथा आयकर न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं, किन किन कर निर्धारण वर्षों के बारे में हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

आयकर निर्धारण के बारे में पुनर्विचार

7798. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री न० कु० साल्वे :**
श्री गा० शं० मिश्र **श्री गं० चं० दीक्षित :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1960-61 से 1965-66 तक आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अन्तर्गत कर निर्धारण के कितने मामलों पर पुनर्विचार किया गया था; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरक कारखानों में मशीनरी तथा संयंत्र लगाने की दर

7799. श्री न० कु० साल्वे : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्राम्बे, नंगल, गुजरात, नामरूप, विशाखापतनम और गोरखपुर के उर्वरक प्लांटों में संयंत्र तथा मशीनरी लगाने के लिये ठेकेदारों के साथ प्रतिटन क्या औसत दर देने का ठेका किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि जिन ठेकेदारों ने ट्राम्बे तथा नंगल में संयंत्र तथा मशीनरी लगाई थी उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कि उनको वहां संयंत्र तथा मशीनरी लगाने के लिये तुलनात्मक प्रति टन ऊंची दर (औसतन) दी गई थी, सरकार के विरुद्ध बड़े बड़े दावे दिये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स जैनसन एण्ड निकलसन, कलकत्ता के एक अधिकारी से विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

7800. श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान तेहरान जाने वाले एक ब्रिटिश राष्ट्रिक के पास से विदेशी मुद्रा में 5,000 रुपयों के पकड़े जाने के समाचार (दिनांक 3 जुलाई, 1967 के इंडियन एक्सप्रेस बम्बई संस्करण) की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उसका नाम जी० सी० पी० गार्नेट है और वह कलकत्ता की एक ब्रिटिश फर्म जैनसन एण्ड निकलसन का प्रबन्ध निदेशक अथवा कोई उच्च अधिकारी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों से यह फर्म अपने खातों में झूठी रकम आदि लिखकर घाटा दिखा रही है और इस प्रकार धन को गैर-कानूनी तरीके से देश के बाहर भेज रही है;

(घ) क्या यह सच है कि जीवन-बीमा निगम का काफी धन इस फर्म में लगा हुआ है;

(ङ) क्या उक्त ब्रिटिश अधिकारी का वेतन बढ़ाकर उसकी सेवाओं को तीन वर्ष के लिये नवीनकरण करने सम्बन्धी करार भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है; और

(च) इस अधिकारी द्वारा तस्करी और इस फर्म द्वारा झूठे खाते तैयार करने के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस करार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई (क) और (ख) सूचना मिलने पर बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2-7-1967 को मिस्टर सी० पी० ए० गार्नेट के पास से लगभग 5,000 रु० की विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा के 65 रुपये पकड़े। श्री गार्नेट एक ब्रिटिश नागरिक है तथा मैसर्स जेनसन एण्ड निकलसन लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध संचालक भी है, तथा वह हवाई जहाज द्वारा विदेश जा रहा था।

(ग) कम्पनी को 31 दिसम्बर 1964 तथा 31 दिसम्बर 1965 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए क्रमशः (कर-निर्धारण पूर्व) 13,93,294 रुपये तथा 5,13,557 रुपये का लाभ हुआ परन्तु 30 जून 1966 को समाप्त छमाही में कम्पनी को 6,09,801 रुपये की हानि हुई। संचालकों ने उक्त हानि के ये कारण बताए हैं : (क) भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण 2,35,076 रुपये की हानि तथा (ख) कच्चे माल की कुछ मदों का कम तादाद में माल मिलना, तथा कार्य संचालन सम्बन्धी व्यय में वृद्धि। खातों में चालाकी किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) जीवन बीमा निगम ने इस फर्म के अधिमान हिस्सों तथा साधारण हिस्सों के रूप में क्रमशः 59.43 प्रतिशत तक तथा 23.66 प्रतिशत तक के हिस्से खरीद रखे हैं।

(ङ) जी, हां। मिस्टर सी० पी० ए० गार्नेट को 1 जून 1967 से 4 वर्ष की अवधि के लिए जेनसन एण्ड निकलसन लिमिटेड के प्रबन्ध संचालक के रूप में पुर्ननियुक्ति की स्वीकृति के लिए एक दरख्वास्त मिली है।

(च) मिस्टर सी० पी० ए० गार्नेट की पुन नियुक्ति की स्वीकृति की दरख्वास्त समवाय कार्य विभाग ने विचाराधीन रख छोड़ी है।

विदेशी मुद्रा चोरी छिपे रूप में भारत से बाहर ले जाने की कोशिश करने के मामले में सीमा शुल्क कानून की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

कम्पनी के खातों में चालाकी किये जाने का कोई प्रमाण न होने के कारण इस मामले में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेष पुलिस द्वारा जांच

7801. श्री श्रीधरन :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने 1961 में ट्राम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियां क्या थी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना, तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) विशेष पुलिस संस्थान ने 1961 में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच की थी;

(ख) विशेष पुलिस संस्थान निम्न सिफारिशें की:

(1) उसके ज्ञात आप साधनों से व्यनुपातिक सम्पति के इकट्ठा करने के कारण उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए;

(2) 1958 से 1960 की अवधि में बैंक में व्यक्तिगत खाते के साथ सरकारी निधि को मिलाने के कारण उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए ।

(3) अधिकारी ने ठेकेदारों की फर्म द्वारा दिये गये मजदूरी पैकिंग प्रभार का सत्यापन नहीं किया; इस तथ्य की विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही जो उचित समझी जाये के लिए सूचना दी जाये ।

(ग) नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की गई और उसकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विचार किया । आयोग की राय पर अधिकारी उपर्युक्त भाग (ख) के (1) और (3) के आरोपों से बरी किया गया और आरोप (2) के बारे में सावधान किया गया ।

"न्यूयार्क टाइम्स" द्वारा निकाला गया विशेष अनुपूरक अंक

7802. श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री श्रीधरन :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि प्रधान मन्त्री के उस देश के दौरे के समय मार्च, 1966 में संयुक्त राज्य अमरीका में "न्यूयार्क टाइम्स" का एक विशेष अंक प्रकाशित किया गया था ;

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के सम्पादक, श्री मुलगांवकर इस विशेष अनुपूरक अंक के प्रकाशन के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका गये थे ;

(ग) इस विशेष अनुपूरक अंक के प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री मुलगांवकर को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(घ) क्या इस विशेष अनुपूरक अंक के प्रकाशन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) फरवरी, 1966 में जब श्री मुलगांवकर विभिन्न प्रयोजनों से, जिसमें विशेष अनुपूरक अंक के प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य भी शामिल था, संयुक्त राज्य अमरीका गये थे तो उन्हें विदेशी मुद्रा के रूप में भरण पोषण के लिए सात सप्ताह के लिये 35 डालर प्रति दिन के हिसाब से और मनोरंजन के लिये 300 डालरों की मंजूरी दी गई थी।

(घ) बिड़ला उद्योग समूह को संयुक्त राज्य अमरीका के 'न्यूयार्क टाइम्स' के विशेष अनुपूरक अंक के सम्बन्ध में जिसमें मोटे तौर पर भारत में आर्थिक तथा अन्य विकास का एक स्पष्ट नक्शा खेंचने का प्रयत्न किया गया था, 69,500 डालरों की मंजूरी दी गई थी।

Income Tax Paid by Firms and Hindu Joint Families

7803. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of firms, companies, persons and Hindu Joint families which had to pay a sum of rupees one lakh or more as arrears of Income-tax but the said amount has been written off during the last three years.

(b) whether Government are aware that such parties transfer their money and property in the names of other persons and thus evade Incometax ;

(c) whether Government have received any complaints to the effect that such parties get exemption from paying Income-tax with the connivance of high officers;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the action taken against the Officers concerned ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT-1316/67]**

(b) Before any demand is written off, enquiries are invariably made to ascertain if the defaulter owned any assets in the names of benamidars, whether relatives or not, from which recoveries could be made. In some cases, assets were found in the names of the assessee's relatives and due enquiry was made with regard thereto.

(c) No, sir.

(d) and (e) Does not arise.

केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थानों पर डायनमों आदि का लगाया जाना

7804. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० के० अमीन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बार-बार बिजली बन्द हो जाने के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये केन्द्रीय मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों और उप-मंत्रियों मकानों पर डायनमों या अन्य यंत्र लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन के मकानों पर ये यंत्र लगाये गये हैं और इन पर कितनी पूंजी खर्च हुई है और इन पर कितना आवर्ती व्यय होता है तथा यह योजना किसके कहने पर स्वीकार की गई थी ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, सिवाय प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर 50,000 रुपये की पूंजी की लागत से लगाये गये आवश्यकता पर काम लिये जाने के लिए (स्टेंड बाई) एक जनरेटिंग सेट के । इस सेट के अनुरक्षण तथा चलाये जाने पर 1966-67 में 10,000 रुपये का आवर्ती खर्चा किया गया । बिजली की सप्लाई खराब (फेल) हो जाने से उत्पन्न खतरे को दूर करने के लिये सुरक्षा के कारणों से यह सेट लगाया गया है ।

Opium Recovered in Delhi

7805. **Shri Nihal Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that opium worth Rs. 5,500 was recovered from Urdu Bazar, Delhi on or about the 22nd June, 1967 ;

(b) if so, wherefrom it was brought ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Duputy Prime Minister and Minister of Finace (Shri Morarji Desai) : (a) On 20th June, 1967 the Police recovered from a person in Urdu Bazar, Delhi, 5.5 Kg. of opium valued at about Rs. 550 at the official ex-factory price. The person was also arrested.

(b) On interrogation, the person stated that the opium had been brought from Rajasthan.

(c) A case under the Opium Act, 1878, has been registered by the Police and the matter is under investigation.

Employees of Reserve Bank of India, Patna

7806. **Shri Nihal Singh :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwa :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the employees of the Reserve Bank of India at Patna went on strike on the 5th July, 1967 in support of their demands ;

(b) if so, the nature of their demands ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No.

(b) The Reserve Bank of India Employees' Association Patna, have protested against the proposed transfer of the employees of the Bank from outside the State to man some of the posts in the four new departments of the Bank to be opened in Patna shortly.

(c) Conciliation proceedings have been initiated and the question of taking any action by the Government does not arise at this stage.

सरकारी मुद्रणालय नई दिल्ली के मोनोकास्ट आपरेटर

7807. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री ओ० प्र० त्यागी .
श्री श्रीचंद गोयल :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली के मोनोकास्ट आपरेटर सीसा-विष से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनके काम करते समय मोबिल तेल के साथ सीसा मिलता रहता है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्रणालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और काम करने की दशा का कोई अध्ययन किया है ?

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) सीसे के धुएं के कारण सीसा-विष की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि मोनो मैटिल के लिए गलन पात्र (मैल्टिंग पाट) में ताप सीसे के वाष्पीय बिन्दु से कम होता है। फिर भी, सीधे सम्पर्क के द्वारा सीसा-विष की संभावना को कम करने के लिए दिल्ली प्रशासन के फैक्ट्री-निरीक्षक (मैडीकल) के द्वारा आवधिक परीक्षण निर्धारित हैं तथा सीसे से सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रक्षालक तथा सफाई-अभिकर्ता दिये जाते हैं।

भारत सरकार मुद्रणालय के सभी औद्योगिक कर्मचारियों के काम करने की दशा का अभी हाल ही में अध्ययन किया गया है तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित केटेगोराईजेशन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाई की गयी है।

मोनोकास्ट आपरेटर को 100-3-130 रुपये के वेतन मान में "कुशल" की श्रेणी में रखा है। किन्तु कमेटी ने कुछ मोनोकास्ट आपरेटरों को 125-155 रुपये के उच्चतर ग्रेड की सिफारिश की है। इस ग्रेड का बनाया जाना विचाराधीन है।

M/s. Bird & Co.

7808. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1904 on the 8th June, 1967 and state :

(a) the progress since made in the scrutiny of documents recovered from M/s. Bird and Co., Calcutta ; and

(b) the further time likely to be taken in its completion ?

The Deupty Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The scrutiny of the documents seized from Messrs Bird and Co. by the inforcement Directorate, Income-Tax authorities and the Company Affairs Department is still in progress.

(a) The time likely to be taken for the completion of the scrutiny cannot be forecast with any precision. However every effort is being made to finalise the investigations at an early date.

Cheques and Drafts of Foreign Banks Seized in Rajkot

7809. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1867 on the 8th June, 1967 and state :

(a) whether information regarding the cheques and drafts of foreign banks seized in Rajkot has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Efforts are being made to complete the investigations as early as possible.

Development of Banks of Jamuna

7810. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that representatives of Jamuna Bazar Citizen Council met the Prime Minister and gave a suggestion that a locality similar to Marine Drive of Bombay be constructed on the banks of Jumuna as reported in "Hindustan" of the 8th July, 1967 ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) The land use of the area according to the Master Plan is green. The residents have suggested that the land use may be changed to residential and tenements for slum dwellers may be constructed thereon. This cannot be agreed to.

फरक्का बांध के लिये शीट पाइल्स

7811. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध निर्माण कार्य के लिये पिछले वर्ष जापान से बड़ी मात्रा में शीट पाइल्स खरीदे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल मात्रा तथा मूल्य क्या है और आयात करने वाली एजेन्सी का नाम क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि जर्मनी से शीट पाइल्स के लिये वस्तु विनिमय पर भुगतान की कम दरों का प्रस्ताव मिला था परन्तु स्वीकार नहीं किया गया था ; और

(घ) क्या इस समूचे सौदे की जांच होगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) 1964 में फरक्का परियोजना द्वारा जापान में मैसर्स मित्सुबिशी शोजी कैशा लिमिटेड को आस्थगित भुगतान के आधार पर 47,11,995 रुपये की कुल लागत की 7500 मीट्रिक टन कौफरडैम शीट पाइल्स के लिये क्रय-आदेश दिया था। 1965 में इस क्रय-आदेश को पूरा कर दिया गया था।

(ग) कौफरडैम शीट पाइल्स के लिए एक और फर्म ने वस्तु विनिमय के आधार पर क्रूप के फ्लैट सेक्शन शीट पाइल्स देने के लिये प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को इसलिये

स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इसकी दरें जापान के मैसर्स मित्सु बिशी शोजी कैशा लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित दरों से कम नहीं थी ।

खनिज तथा धातु व्यापार कारपोरेशन के द्वारा वस्तु-विनिमय के आधार पर लगभग 6000 मीट्रिक टन पर्मानेंट शीट पाइल्स खरीदे गये थे। 1966 में सप्लाई आरम्भ हुई थी और अप्रैल, 1967 के आरम्भ तक पूरी कर दी गई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयश्री टैक्सटाइल इंडस्ट्री

7812. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयश्री टैक्सटाइल इंडस्ट्री ने 1963–64 में आग बुझाने के काम आने वाली होज पाइप सप्लाई करने के लिये निपटान तथा पूर्ति महानिदेशालय से ठेका लिया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा सप्लाई करनी तय हुई थी ।

(ग) क्या उक्त फर्म ने पूरी मात्रा सप्लाई नहीं की और सप्लाई बीच ही में बन्द कर दी थी ;

(घ) क्या निपटान तथा पूर्ति महानिदेशालय ने शेष होज पाइप सप्लाई करने के लिये उक्त फर्म को नया ठेका दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो मूल तथा बाद के ठेके की मात्रा तथा मूल्य दर कितनी कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 33,000 मीटर

(ग) जी, नहीं, ठेके में उल्लेखित मात्रा सप्लाई कर दी गई थी ।

(घ) जी, नहीं । नया ठेका नये माल के लिए किया गया था ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतिरिक्त सेवा करने के लिए संसत्सदस्यों के वेतन से की गई कटौती

7813. श्री राम चरण : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसत्सदस्यों के वेतन से, उनके मकानों में अथवा उनके इर्द गिर्द की गई कुछ अतिरिक्त सेवाओं के कारण, कुछ कटौती की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कई बार संसत्सदस्यों के वेतन से किसी अतिरिक्त सेवा लिए बिना ही कटौती की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है कि भविष्य में संसत्सदस्यों के वेतन से कोई अनुचित कटौती न की जाये ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) निवास स्थानों तथा अतिरिक्त सेवा आदि का किराया, संसद सदस्यों के वेतन बिलों से प्रत्येक माह वसूल किया जाता है ।

(ख) से (घ) संसद सदस्यों से, किसी भी सेवा के उपलब्ध न होने की शिकायत प्राप्त होते ही उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है तथा उसे दूर करने की कार्यवाई की जाती हैं। संसद की दोनों सभाओं की आवास समिति से अनुमोदित निर्धारित दरों के आधार पर अतिरिक्त सेवा के कारण संसद सदस्यों से कटौती की जाती है, तथा कोई अनुचित कटौती नहीं की जाती।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत दण्ड

7814. श्री शिवचन्डिका प्रसाद :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमशेदपुर फुटकर व्यापारी संघ ने अपने महा मन्त्री के द्वारा उनको दिनांक 31 अक्टूबर, 1966 को एक ज्ञापन भेजा है, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत उपबन्धित दण्ड के सम्बन्ध में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और ज्ञापन में उठाये गये विविध प्रश्नों पर सरकार का क्या मत है और इस बारे में एसोशियेशन के सेक्रेटरी को 28 मार्च 1967 को सूचित कर दिया गया ।

बन्ध्यकरण के लिये प्रोत्साहन

7815. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय ने परिवार नियोजन निदेशालय के, प्रोत्साहन के रूप में धन देने के लिये, धन निकालने के अधिकार को चुनौती दी है ;

(ख) यदि हां, तो बन्ध्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इस निदेशालय के कितने चैकों का भुगतान नहीं किया गया ; और

(घ) बन्ध्यकरण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का विचार अन्य क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) शून्य ।

(घ) यद्यपि दिल्ली वन्ध्यकरण कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हो रही है । तथापि इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित और उपाय किये गये :—

(एक) लोगों को वन्ध्यकरण के लाभों से अवगत कराने के लिये प्रचार और शिक्षा के लिये जोर शोर से अभियान आरम्भ किया गया है ।

(दो) ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में विशेष योजनायें क्रियान्वित की जा रही है । जहां चलते फिरते सर्जीकल यूनिटों द्वारा स्थानीय वन्ध्यकरण सुविधाओं के लिये प्रबन्ध किये जाते हैं ।

(तीन) वन्ध्यकरण के लिए चिकित्सालयों परिवार नियोजन केन्द्रों तथा अन्य केन्द्रों में सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

(चार) सभी केन्द्रों में प्रतिकरात्मक धन का भुगतान करने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ।

Money Confiscated by Excise Officials in Talwara Ghat

7816. Shri S. S. Kothari :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri P. N. Solanki :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of the Central Excise Department had recovered Rs. 64,505 on the 30th December, 1964 from some persons in Talwara Ghat on Jabalpur Octoi Road in Ujjain, Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that these persons had taken this money as loan from some person to purchase a truck ;

(c) the reasons for confiscating this money ; and

(d) whether Government propose to refund this money to these persons ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 30th December 1964 the officers of the Central Excise Department recovered a sum of Rs. 64,505 together with a small quantity of opium from a car intercepted at Tilwara Ghat Bridge near Jabalpur. The car was also seized. The 3 occupants of the car were arrested.

(b) to (d) Investigations in the matter indicated that the car had been used for the transport of opium from Ujjain to Cuttack and the currency seized, represented the sale proceeds of the opium. The arrested persons are being prosecuted in a court of law at Jabalpur and the seized goods are in the custody of the court.

गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण

7817. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री सु० कु० तापडिया :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई की मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड फर्म से गर्भ निरोधक गोलियों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

7819. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hem Barua :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Srichand Goel :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. N. Solanki :
Shri D. S. Patil :
Shri Sonavane :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4115 on 29th June, 1967 and state :

(a) whether the investigation in respect of the evasion income-tax by M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. Bombay has since been completed ; and

(b) if not, when the investigation was started and the time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The investigations are still in peogress.

(b) The investigation was started in September, 1966. Assessment for 1963-64 has been completed. The proceedings for later years are in progress and will be completed as soon as the investigations are completed.

Loans taken by M/s. Jhunjhunwala & Bros., Bombay

7820. Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hem Barua :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Srichand Goel :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. N. Solanki :
Shri D. S. Patil :
Shri Sonavane :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 836 on the 29th June, 1967 regarding loans taken by M/s Jhunjhunwala and Bros., Bombay and state :

(a) what are the other parties on whose cooperation the completion of investigation depends ;

(b) whether Government propose to conduct an enquiry through the Central Government agency in view of the fact that Government are not getting cooperation from the parties concerned ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) It will hamper the progress of investigations if the details of the parties involved are disclosed.

(b) The enquiries are being made by the officers of the Central Government, viz,, Income-tax Department. No enquiry by any other agency is called for.

(c) Does not arise.

Two-Roomed Flats For Class IV Employees in Delhi

7821. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the number of two roomed quarters built in the Capital for the use of Class IV employees, which have no verandah and kitchen attached to them ;

(b) whether some more 2-roomed quarters are also proposed to be built this year for Class IV employees ;

(c) the places where such quarters are proposed to be built and whether these quarters would have a kitchen and verandah also ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) the number of class IV employees who have been allotted type II quarters so far and the rent being realised from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d) 720 double-storeyed two-roomed quarters were built recently at Panchquin Road for class IV employees. One of the two rooms serves as a kitchen as well. It has now been decided to build two-roomed quarters with separate kitchens for these employees. Such quarters are proposed to be built during this year in the D. I. Z. area.

(e) Type II quarters are allotted to Government employees with emolument of Rs. 110 and above. Rent is recovered at 7½% from officials whose pay is less than Rs. 150 per month and at 10% from those getting Rs. 150 or above per month. No separate statistics is maintained of class IV officers who are allotted type II quarters.

मीना बाग स्थित संसद सदस्यों के आवास-गृहों में बिजली की फिटिंग

7822. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीना बाग स्थित संसद सदस्यों के आवास गृहों में बिजली की फिटिंग की जांच मरम्मत या उसे बदलने का कार्य कितने वर्ष पहले किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि मीना बाग के आवास गृहों में लगे हुए बिजली और पानी के सब मीटर उस समय भी अत्याधिक खपत दिखाते हैं जब उनका प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(ग) बिजली की अत्यन्त पुरानी फिटिंग को, जो मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, बदलने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सरकारी निवास स्थानों में बिजली की फिटिंग की जांच नियमित रूप से की जाती है तथा जब आवश्यकता होती है तब मरम्मत, तथा तबदीली की जाती हैं। मीना बाग के संसद सदस्यों के फलैटों में यह कार्य इस वर्ष जनवरी तथा मार्च में किया गया था।

(ख) सरकार की जानकारी में नहीं। यह अश्वस्त करने के लिए कि कोई लीकेज नहीं है, फिटिंग की परीक्षा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर तथा आवंटी से शिकायत प्राप्त होने पर बिजली तथा पानी के मीटरों का अनुरक्षण नयी दिल्ली नगरपालिका के द्वारा किया जाता है जो कि खपत की रीडिंग लेती हैं तथा आंवटी से प्रभार का अदायगी सीधे प्राप्त करती है। यदि मीटरों में खराबी के कारण अधिक खपत दीख पड़ती है तो आंवटियों को इसे दूर करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

(ग) और (घ) मीना बाग के फलैटों में बिजली की फिटिंग उनके 1952–53 में निर्माण के समय की गयी थी। क्योंकि फिटिंग का सामान्य जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है तथा मानव जीवन के लिए घातक नहीं है, अतएव उसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं।

मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

7823. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1967 को पूरे होने वाले गत पांच वर्षों में मैसर्स जे० वाल्टर थांम्पसन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने भारत में कुल कितना आयकर दिया है ;

(ख) इस अवधि में उक्त फर्म ने विदेशों को कितनी राशि भेजी है ;

(ग) इस कम्पनी में कितने विदेशी कर्मचारी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और वेतन कितने कितने हैं ; और उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी राशि विदेशों को भेजने की अनुमति है ;

(घ) इस फर्म को मनोरंजन, आवास तथा अन्य सुविधाओं आदि पर कितनी और कैसी राशि खर्च करने की अनुमति है ; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में इस फर्म ने विदेशी विज्ञापन कर्ताओं से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों में मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दिये गये आयकर का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1962–63	1,62,423 रुपये
1963–64	2,18,997 ,,
1964–65	5,48,238 ,,
1965–66	5,55,686 ,,
1966–67	3,32,312 ,,

ये आंकड़े उन द्वारा अस्थायी। व्यक्तिगत निर्धारण पूर्व कर के रूप में दिये गये करके है। नियमित कर निर्धारण अभी विचाराधीन हैं।

(ख) और (ङ) एक एक कम्पनी द्वारा बाहर भेजे जाने वाले धन तथा उन द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी को गोपनीय समझा जाता है और इसे प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

(ग) और (घ) कम्पनी के कर्मचारियों के नामों तथा उन में से प्रत्येक को मिलने वाले वेतन के बारे में जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

परिवार नियोजन का प्रचार करने का ठेका

7824. श्री बाबूराव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के आन्दोलन का राष्ट्रव्यापी प्रचार करने तथा कान्डोप का प्रयोग करो' के नारे को लोकप्रिय बनाने का ठेका एक अमरीकी फर्म मेसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष फर्म के द्वारा एक वर्ष के दौरान विज्ञापन के विभिन्न साधनों पर कुल कितना व्यय किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत में ऐसे कई समक्ष भारतीय अभिकरण हैं जिनको विज्ञापन का ठेका देने पर भी समान लाभ प्राप्त हो सकता था ; और

(घ) यदि हां, तो अमरीकी फर्म को ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कलकत्ता के लेखन-सामग्री डिपो के नैमित्तिक कर्मचारी

7825. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 3 चर्च लेने में स्थित लेखन-सामग्री नियन्त्रक के लेखन-सामग्री डिपो में कुछ नैमित्तिक कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें किस दर पर मजूरी दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने पहले यह कहा था कि इन नैमित्तिक कर्मचारियों में से 46 कर्मचारी नियमित कर दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उनको अभी तक नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 38, कुशल एवं अकुशल । उन्हें क्रमश: 3 रुपये तथा 2.50 रुपये की दर से प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है ।

(ग) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(घ) कर्मचारियों के परामर्श से कलकत्ता के सामग्री नियंत्रक ने 1 फरवरी, 1965 को दो सूचियां बनाई एक 85 कर्मचारियों की तथा दूसरी 21 कर्मचारियों की । ज्येष्ठता के आधार पर सूची 1 के कर्मचारियों को कार्य दिया गया है । सूची I| के व्यक्तियों को नैमित्तिक नियुक्ति के लिए केवल तभी लिया जाता है जब कि सूचि 1 से व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते वर्तमान स्थिति यह है कि सूची 1 के 85 व्यक्तियों में से नियमित नियुक्ति के लिए केवल 34 शेष रह गये हैं । इस समय नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या 38 है, अर्थात सूची I तथा सूची II दोनों में से उल्लिखित सूची I के शेष 34 में से 20 कर्म-

चारियों को फिर नियमित किये जाने का प्रस्ताव है। फिलहाल और अधिक कर्मचारियों को नियमित करने का विचार नहीं है क्योंकि कार्यकी आवश्यकता इसे उचित नहीं ठहराती। सूची II केवल आवश्यकता के लिए (स्टेंड बाई अरेंजमेंट) हैं तथा इस सूची से नियमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में ओवरसियरों (सैक्शन आफिसरों) के लिये सिलेक्शन ग्रेड

7826. श्री म० ला० सोंधी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री टी० पी० शाह :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री 29 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4091 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पहली अक्तूबर, 1964 को 84 सेक्शन आफिसरों में से, जिन्हें सहायक इन्जीनियरों के रूप में पहले ही पदोन्नत कर दिया गया था, 82 को पहली जुलाई, 1959 से सलैक्शन ग्रेड दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एफ० आर० 9 (13) के अन्तर्गत इसको ठीक करने का सरकार का विचार है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने सैक्शन आफिसरों के लिए उस समय कुल 1523 पदों में से 10 प्रतिशत पद सलैक्शन ग्रेड में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी ;

(ङ) यदि हां, तो पहली जुलाई, 1959 से 937 स्थाई पदों के 10 प्रतिशत पदों की क्यों मंजूरी दी गई थी ; और

(च) शेष पदों की मंजूरी कब देने का सरकार का इरादा है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अधिकारी अनुभाग अधिकारी (सलैक्शन ग्रेड) के रूप में पुष्टि के लिए पात्र थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 1523 पदों में से केवल 937 पद स्थाई थे। सलैक्शन ग्रेड के पद केवल स्थाई स्थापना में ही बनाये जा सकते हैं।

(च) कुछ और पद बनाये गये हैं :–

13 अक्टूबर, 1961 से 42 तथा 3 मार्च, 1966 से 24 क्योंकि इन तरीकों से 425 तथा 234 अस्थाई पद स्थाई पदों में परिवर्तित कर दिये गये थे

Pesticide Plant in U. P.

7827. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have requested the Central Government to set up a Pesticide Plant in Uttar Pradesh for producihg pesticides, weedicides and hormones; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b) In June, 1966 the U. P. Government had requested that BHC and DDT Plants in the Public Sector might be established at Renukoot (Mirzapur District) during the Fourth Plan Period. They were informed that adequate arrangements had already been made both for the production of BHC and DDT during the Fourth Plan Period in the following manner :—

(a) M/s Kanoria Chemicals who have surplus chlorine would be establishing a BHC Project at Renukoot.

(b) M/s Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi would be adding a 1400 tonnes DDT Plant in their existing factory at Delhi.

U. P. Government had not made any request about the setting up of a Hormones Plant in U. P.

M/s J. P. & Sons.

7828. **Shri Srichand Goel :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri K. P. Singh Deo :
Snri Beni Shanker Sharma :
Shri O. P. Tyagi :
Shri K. M. Koushik :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5491 on the 13th July, 1967 and state :

(a) the time by which the enquiry being conducted in respect of M/s J. P. & Sons, Oriental Timber Trading Corporation (Private) Ltd. and Mechenzies Limited. Bombay, would be completed; and

(b) the causes of the delay in the completion of this work ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The enquiries in the case of M/s J. P. & Sons is likely to be completed by the end of the current financial year. In respect of the other two cases, since the transactions to be verified are numerous, it is not possible to say how much time will be taken to complete the investigations. Every effort is being made to complete the investigations as early as possible.

(b) Since a large number of transactions has to be verified, investigations would take time for completion.

Unaccounted Money

7829. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested in the raids carried out by Government to unearth the unaccounted money during 1966-67;

(b) the amount of unaccounted money recovered from them; and

(c) the action so far taken by Government against the persons concerned ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Nil. There is no such power given to the Incoms-tax Department under law.

(b) and (c) Do not arise.

Pay Scales of Mechanics in Government of India Presses

7830. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scale of a mechanic (mechanical) in the Government of India Presses is lower than the pay scale of mechanic (Lino/Mono) in these presses while the duties of the former are more extensive than those of the latter;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to remove the disparity in their pay scales ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) In the Government of India Presses a Mechanic (Mechanical) is a 'skilled' worker in the scale of pay of Rs. 125-180 and a Mechanic (Lino/Mono) is a 'Highly-skilled' worker in the scale of pay of Rs. 175-240. On the basis of the recommendations of the Committee for the Categorisation of Government of India Press Workers, it has been decided that the existing categorisation and the scales of pay of these two categories of posts would continue.

Office of the Chief Controller of Printing and Stationery

7831. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the extent of economy effected in the office of the Chief Controller of Printing and Stationery during the years 1965, 1966 and 1967; and

(b) the steps taken to improve the quality of printing in the Government of India Presses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No savings was effected during 1965 and 1966. In March, 1967 as a result of the study conducted by the Staff Inspection Unit, a reduction by 78 persons was effected in the staff strength. The amount of savings on this account is Rs. 1,72,200.

(b) Technical Officers of the Department are sent for training abroad to study the latest techniques in quality printing and to apply them in the Government of India Press to the extent possible.

Particular attention is paid to the improvement in quality of printing by the Technical Officers engaged for the purpose. Each individual Press is inspected by them atleast once a year. Technical guidance is given regularly by the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery to each Press in respect of quality printing.

Grant to Delhi Municipal Corporation for Providing Municipal Services

7832. Shri Kanwar Lal Ghpta : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the amount granted to the Delhi Municipal Corporation during the current year for providing municipal services in private Katras and the amount actually spent therefrom by the Corporation to provide these services to the private Katras;

(b) whether it is a fact that the Corporation has asked for more funds for this purpose; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) No grants are paid to the Corporation specifically for providing municipal services in private katras in Delhi. Funds are; however, made available to the Corporation under the Slum Clearance Scheme for clearance and re-development of slum areas as also for carrying out improvements to areas which are declared as slums.

(b) No.

(c) Does not arise.

Subsidy Given to Madhya Pradesh for Supply of Electricity for Agricultural Purposes

***7833. Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount of subsidy given to the Government of Madhya Pradesh for supply of electricity for agricultural purposes during 1966-67; and

(b) the extent thereof utilized in the State for increasing agricultural production ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No subsidy is being given for rural electrification schemes. However, for the year 1966-67, Central loan assistance of Rs. 175 lakhs was sanctioned for rural electrification schemes to the Govern- of Madhya Pradesh.

(b) During the year, 1966-67, 3,273 pumpsets/tubewells for lift irrigation have been energised.

Aid for indigenous systems of Medicine in Madhya Pradesh

7834. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any amount was allocated to the Madhya Pradesh Government for indigenous systems of medicine in the Third Five Year Plan;

(b) if so, the amount allocated and whether it was paid fully; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) An amount of Rs. 1,22,000/- was allocated for Centrally sponsored schemes to the Government of Madhya Pradesh in respect of Indigenous Systems of Medicine in the Third Five Year Plan. The State Government actually incurred an expenditure of Rs. 30,000/- against an amount of Rs. 32,000/- released by the Central Government subject to adjustment.

Family Planning Programme in States

7835. Shri Onkar Lal Berwa ; **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that family planning programme is being carried out vigorously in the country;

(b) if so, the State which was leading in this regard during 1966-67; and

(c) the State-wise figures in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) On the basis of reports received Punjab was leading in I. U, C, D. insertions and Madras in Sterilizations during 1966-67.

(c) A statement indicating the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 1317/67]**

Accommodation for Members of Parliament

7836. Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Atam Das :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Mahant Digvijai Nath :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Arjun Singh Bhadoria : **Shri Molahu Prasad :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have been allotted very big houses;

(b) whether it is also a fact that most of the Members to whom such houses have been allotted happen to be those who have been elected for the first time; and

(c) whether it is also a fact that there are still such Members who have not been allotted good houses even after the decisions of the House Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The bungalows allotted from the Central Pool to some Members of Parliament are comparable to the bungalows available in the M. P. pool of accommodation.

(b) Yes, some of them, Bungalows from the General Pool are allotted to M, Ps. on the recommendations of the Minister for Parliamentary Affairs and Chairmen, House Committees.

(c) Yes. In the 3rd Parliament there were 35 bungalows from the General Pool allotted to Members of Parliament of which 11 vacancies arose in the 4th Lok Sabha. These 11 bungalows together with another 20 new bungalows from the General Pool have been allotted. Thus the Pool of residences made available to Members of Parliament from the General Pool has been increased to 55. Some demands are still pending and these will be met as and when more bungalows become available.

Raid on A. S. W. Pipe Producing Factory

7637. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government did not seize the account books of S. W. Pipe producing factory of Shri Baijnath Baskar when its premises were raided for the first time;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the premises and the offices of the said factory were searched again on a complaint being lodged with the Central Board of Excise and Customs;

(d) if so, the articles recovered therefrom; and

(e) the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The factory concerned is that of M/s Amar Nath Bhaskar & Sons, Faridabad. There was no "raid" as such, The factory was visited by the local Central Excise staff who did not seize any account books of the factory as there was no need for it,

(c) It is a fact that the factory was subsequently visited by the Assistant Collector of Central Excise concerned, officers of the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) and Central Revenues Control Laboratory; no search as such of the premises and the offices of the said factory was made,

(d) No articles were recovered from the said factory.

(e) No steps have been considered necessary to be taken by the Government since no offence under the Central Excises and Salt Act and Rules has been committed.

Excise Duty on S. W. Pipes

7838. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an increase of 10 per cent excise duty on the S W. Pipes produced through the dip glazing process while the pipes produced through the salt glazing process are free from the said duty;

(b) whether it is also a fact that with a view to evade excise duty, the pipes produced through the dip glazing process at Ishwar Nagar (Delhi), Navar (Madhya Pradesh) and Faridabad factories are shown to be produced through the salt glazing process;

(c) whether in this connection the said firms were raided by the Central Excise Department and some chemical recovered;

(d) whether the said chemical was sent to the National Physical Laboratory, New Delhi for analysis;

(e) whether the Laboratory had sent its report to Government some weeks ago; and

(f) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance [Shri Morarji Desai) : (a) It is a fact that stoneware pipes which are salt glazed do not attract central excise duty and that other varieties of chinaware and porcelainware are subjected to central excise duty ranging from 10,/· to 15./· ad valorem.

(b) The pipes produced at the Faridabad factory of M/s. Amar Nath Bhaskar & Sons have been found to be salt glazed only; information in respect of the factories at Ishwar Nagar (Delhi) and Nagar (Madhya Pradesh) is being collected and will be placed on the Table of the House,

(c) The factory at Faridabad was visited by the local Central Excise staff who took samples of the solution used.

(d) The sample of the said solution was sent for analysis to the Central Revenues Control Laboratory, New Delhi.

(e) Yes, Sir; a report was received from the Central Revenues Control Laboratory.

(f) Government did not consider it necessary to take any further action in this regard, as no malpractice had been observed,

वित्त मंत्री का विदेशों का दौरा

7839. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार निकट भविष्य में भारत सहायता सार्थ संघ के कुछ सदस्य देशों का दौरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो वह किन-किन देशों का दौरा करेंगे; और

(ग) उनके दौरे का उद्देश्य क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) भारत और जापान के सम्बन्धों को और भी सुदृढ़ करने के प्रसंग में, भारत और जापान के आपसी हितों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर बातचीत करने के लिए अगस्त, 1967 के मध्य जापान जाने का मेरा विचार है।

सितम्बर महीने में, जब अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मैं विदेश जाऊंगा तो उस समय सहायता संघ के कुछ अन्य देशों में जाने का भी मेरा विचार है।

सेलौलिम सिंचाई परियोजना, गोआ

7840. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सेलौलिम सिंचाई परियोजना का काम इसलिए आरम्भ नहीं किया गया; क्योंकि इससे कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर खनिज अयस्क हैं, बाढ़ आ जाने की सम्भावना है;

(ख) उस क्षेत्र में अनुमानतः किस किस्म के और कितने मूल्य के खनिज अयस्क हैं तथा गोआ में पाये जाने वाले कुल अयस्कों की तुलना में वे अयस्क कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) इस मामले में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जिस परियोजना का उल्लेख किया गया है वह शायद गोआ राज्य क्षेत्र की सेंगूएम तहसील में सेलौलिम परियोजना है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने परियोजना की जांच पूरी कर ली है और परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सेंगूएम नदी की गहराई और उसमें से जल की उन्मुक्ति की जांच अभी जारी है।

(ख) और (ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा पहले किये गये आरम्भिक मूल्यांकन से पता चला है कि निमग्न क्षेत्र में लगभग 40 लाख टन मैंगनीज तथा लोह-अयस्क के निक्षेप होने की सम्भावना है, जिन पर लगभग 4 करोड रुपये लागत आयेगी। यद्यपि ठीक आंकड़े का पता लगाने के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा और खोज किये जाने की आवश्यकता है तथापि सेलौलिम परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन को भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा बाद में बताये गये कम आंकड़े के आधार पर अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नंगल में इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट

7841. श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड, केरल से तीन वर्ष पहले 20,000 किलोवाट क्षमता का इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट यूनिट चालू किये जाने के लिये नंगल लाया गया था;

(ख) क्या यह चालू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1966 के शुरु में फर्टिलाइजर्स तथा कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० से 7500 किलोवाट की क्षमता युक्त तदनुरूपी यान्त्रिक परिशोधक यूनिट के साथ इलैक्ट्रोलाइसिस प्लांट लाया गया था ।

(ख) और (ग) जी हां, अगस्त, 1966 में ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इलैक्ट्रोलिसिस प्लांट यूनिट

7842. **श्री उमानाथ :**
श्री रमानी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन वर्ष पहले केरल के फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड से 20,000 किलोवाट के इलक्ट्रोलिसिस प्लांट यूनिट को नांगल ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) यदि इलैक्ट्रोलिसिस प्लांट यूनिट का स्थान परिवर्तन न किया जाता तो फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में कितना अधिक उत्पादन होता;

(घ) क्या इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट यूनिट को वहीं पर वापिस लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दिसम्बर, 1965 में इलैक्ट्रोलिसिस संयन्त्र के पांच सेल फैक्ट (FACT) ने नांगल यूनिट के इस्तेमाल के लिए भारतीय उर्वरक निगम को बेचे ।

(ख) तृतीय चरण विस्तार स्कीम में टननेज आक्सीजन (Tunnage Oxygen) और तेल गैसीकरण संयन्त्रों के चालू होने से, इलैक्ट्रोलिसिस संयन्त्र के पांच सेल फैक्ट की आवश्यकता

से फालतू हो गये । इसके अतिरिक्त अलवाय स्थित संयन्त्र के सभी सेलों को चालू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई नहीं थी ।

(ग) नांगल भेजे गये पांच सेलों से कोई अतिरिक्त उत्पादन की आशा नहीं थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) में दिये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को सेलों की अब आवश्यकता नहीं थी ।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्त का पुर्ननियतन

7843. श्री पार्थसारथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है कि केन्द्र द्वारा राज्यों के लिये धन नियत किये जाने की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक नहीं हैं और केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्त का पुर्ननियतन होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार संविधान में ऐसे संशोधन करने का विचार कर रही है जिनसे केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त का समान और संतोषप्रद वितरण हो सके ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) यद्यपि इस बारे में किसी राज्य सरकार से औपचारिक रूप से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथापि कुछ राज्य सरकारों के मंत्रियों ने आय व्ययक पर अपने भाषणों में इसका उल्लेख किया है ।

(ख) संविधान में हर पांच वर्षों के पश्चात एक वित्त आयोग की नियुक्ति करने की पहले ही व्यवस्था है जो राजस्व के खाते पर उनकी गैर-परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यों के लिये संसाधनों का नियतन करने के प्रश्न पर विचार करता है । इसके अलावा योजना आयोग द्वारा राज्यों के संसाधनों तथा आवश्यकताओं का पता लगाने के पश्चात राज्य सरकारों की सलाह से वार्षिक योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिये और संसाधनों का नियतन किया जाता है । इससे लचीलापन आ जाता है जो कि ऐसे मामलों के लिये आवश्यक है ।

सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता

7844. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में तथा चालू वर्ष में लोगों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है; और

(ख) राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से जितनी सहायता मांगी गई थी उसकी तुलना में यह सहायता कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1318/67]

Parliament Assistant

7845. **Shri Molahu Prasad:**
Shri Gunanand Thakur:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Ram Charan:
Shri Sheopujan Shastri:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether there is any person who has been working against the said post for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home Ministry; and

(e) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) One.

(b) and (c) An Upper Division Clerk is carrying out the duties of Parliament Assistant with effect from 21-11-1963.

(d) and (e) There is no proposal at present to transfer the Upper Division Clerk from the work of Parliament Assistant, as such a step is likely to prove detrimental to efficiency.

तीसरी लोक सभा के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा अन्य लोगों को किराये पर आवास-गृह दिये जाना

7846. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तीसरी लोक सभा की अवधि में कुछ संसद् सदस्यों ने आवास-नियतन सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके उन्हें मिले हुए आवास गृह अन्य लोगों को किराये पर दे रखे थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रथा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह प्रथा अब भी चल रही है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी लोक सभा की अवधि के दौरान संसद सदस्यों के निवास स्थानों के अनधिकृत उपयोग/दर-किरायेदारी के मामले सरकार के पास जांच के लिए भेजे गये थे। जांच के बाद सम्बन्धित हाउस कमेटियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। दोनों हाउस कमेटियों ने संसद सदस्यों की दर-किरायेदारी समस्या पर अनेक बार विचार किया। अध्यक्ष के कमरे में 1 दिसम्बर, 1964 को एक मीटिंग हुई जिसमें संसद कार्य मंत्री, निर्वाण आवास मंत्री तथा संसद में पार्टियों एवं ग्रुपों के लीडरों ने भाग लिया। एक विशेष तारीख नियत कर दी गयी थी कि जिस तक संसद सदस्य अपने निवास स्थान से यदि उनके यहां कोई अनधिकृत दखलकार हो तो हटा दें, तथा ऐसा न करने पर यदि जांच के बाद दर-किरायेदारी की पुष्टि हो गई तो सम्बन्धित संसद सदस्य का आवंटन रद्द किया जा सकता है। तदनुसार संसद के दोनों सचिवालयों के द्वारा अपने सदस्यों को उपर्युक्त निर्णय भेज दिया गया था।

(ग) सरकार को यह पता नहीं कि दर-किरायेदारी अब भी चल रही है, क्योंकि संसद की हाउस कमेटी द्वारा सरकार के पास कोई विशेष मामला नहीं भेजा गया। यह हाउस कमेटी का कार्य है कि संसद सदस्यों की दर-किरायेदारी को रोकने के लिए उपाय निकाले। फिर भी, संसद सदस्यों में परिचालित वास परिपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि दर-किरायेदारी प्रमाणित होने पर अध्यक्ष के द्वारा कार्यवाई करने के अतिरिक्त ऐसे सदस्यों को अगले अधिवेशन में अथवा लोक सभा के स्थगित अधिवेशन में दिल्ली में निवास-स्थान के लिए आवेदन करने से रोक दिया जायेगा।

योगासनों द्वारा उपचार की प्रणाली

7847. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योगासनों द्वारा उपचार की प्रणाली का प्रयोग करने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) योगासनों द्वारा उपचार की प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसंधान करने वाली उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1965-66 और 1966-67 में अनुदान दिये गये थे तथा 1967-68 में अनुदान देने का विचार है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) योग चिकित्सा कर रही कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. श्री कैवल्य धाम,
   एस. एम. वाई. एम. समिति, लोनावाला, महाराष्ट्र।
2. योग संस्थान् सान्ताक्रुज, बम्बई।
3. विश्वायतन योगाश्रम, नई निल्ली।

(ख) योग चिकित्सा में अनुसंधान के लिये 1965–66 और 1966–67 में किसी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया। जहां तक 1967–68 का सम्बन्ध है इस विषय पर अभी विचार किया जाना है।

पंजाब और हरियाना को सहायता

7848. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाना सरकारों ने अपनी योजना के लक्ष्यों तथा बजट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार को अधिक धन निर्धारित करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि शुरु में पंजाब तथा हरयाना को जो वित्तीय सहायता दी जाने वाली थी, उसमें कटौती कर दी गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सहायता की सारी की सारी उपलब्ध रकम विभिन्न राज्यों में बांटी जा चुकी है, इसलिये किसी राज्य को अब अतिरिक्त धन देना सम्भव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Medicinal Herbs

7849. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct a survey of medicinal herbs in the country for carrying out research in medicinal properties of herbs; and

(b) if so, the places where these centres are proposed to be set up and the number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The Government of India have set up two Units for Survey of Medicinal Plants, one each at Hardwar and Ranikhet. There is, at present, no proposal to set up more Units of this type.

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्साधीन रोगी

7850. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा अभिलेख तैयार किया जाता है जिससे यह मालूम हो सके कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के दिल्ली के औषधालयों में उपचार कराने वाले कुछ रोगियों ने एलोपैथिक उपचार से तंग आकर आयुर्वेदिक उपचार का सहारा लिया है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन रोगियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मरीजों को इस विषय में स्वतन्त्रता है कि वे एलोपैथिक इलाज बन्द करके उसकी जगह आयुर्वेदिक उपचार करवा लें। इसी तरह वे आयुर्वेद के स्थान पर एलोपैथी को फिर शुरु कर सकते हैं। चूंकि एक चिकित्सा पद्धति को छोड़ दूसरी चिकित्सा पद्धति को अपनाने वाले मरीजों का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता, इसलिये प्रश्न के भाग (ख) के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं।

भारत का यूनिट ट्रस्ट

7851. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के यूनिट ट्रस्ट के, जब से बनाया गया है तब से, अब तक काम में क्या प्रगति हुई है और कितना विनियोजन हुआ है तथा उसको कितना शुद्ध लाभ हुआ है;

(ख) अधिकांशत : पूंजी किन क्षेत्रों में लगाई गई है;

(ग) क्या इसके व्यापक प्रचार के बावजूद भी मध्यम आय वर्ग लोगों को यूनिट ट्रस्ट में पूंजी लगाने के लिये आकृष्ट नहीं किया जा सका; और

(घ) क्या सरकार का विचार निश्चित लाभांश में, जिसकी पूंजी लगाने वाला आशा कर सकता है, वृद्धि करने का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 30 जून, 1965 को समाप्त हुए पहले वर्ष में ट्रस्ट को 130.42 लाख रुपये की और 30 जून, 1966 को समाप्त हुए दूसरे वर्ष में 160.11 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई। 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में हुई आय की पूरी रकम तो नहीं बताई जा सकती परन्तु अनुमान है कि 2 करोड़ रुपये से अधिक आय हुई है।

30-6-1965, 30-6-1966 और 31-5-1967 को ट्रस्ट द्वारा उद्योग-वार किये गये विनियोजन का ब्योरा देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1319/67**]। इन तीन वर्षों में अधिकांश धन वस्त्र, इंजीनियरी तथा सीमेंट के तीन मुख्य समूहों में लगाया गया।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि मध्यम आयवर्ग के लोगों को यूनिस्ट ट्रस्ट में धन लगाने के लिये आकृष्ट नहीं किया जा सका। ट्रस्ट के आरम्भ होने से लेकर दिसम्बर, 1965 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में 60 प्रतिशत आवेदन पत्र 50 अथवा इससे कम यूनिटों के लिये थे और 20 प्रतिशत 60–100 यूनिटों के लिये थे। प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से 52 प्रतिशत आवेदन पत्र वेतनभोगियों से प्राप्त हुए थे।

(घ) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यूनिटों पर जो लाभांश घोषित किया जाता है वह यूनिट ट्रस्ट की आय और उसके खर्च के आधार पर किया जाता है। अतः सरकार द्वारा इसमें कोई वृद्धि किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में अनुसूचित जातियों का कल्याण

7852. श्री मेघचन्द्र : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों पर कितना धन खर्च किया गया तथा 1967–68 में कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ख) किन-किन कार्यों पर धन खर्च किया गया था और किन-किन कामों पर खर्च करने का प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) 1966–67 के दौरान मनीपुर में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर लगभग 70,000 रुपये खर्च किए गए थे तथा 1967–68 के दौरान 1.50 लाख रुपये की और रकम खर्च करने का विचार है।

(ख) मुख्य काम ये हैं :—

1. मैट्रिक-पूर्व वजीफे;
2. बुनाई, बढ़ई के काम तथा लुहार के काम के लिये सुधरे हुए औजार बांटना।
3. पानी की व्यवस्था तथा आवास।

राजधानी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उपनगरीय कस्बों का विकास

7853. श्री बलराज मधोक :
श्री टी० पी० शाह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने राजधानी क्षेत्र विकास योजना (कैपिटल जोन डिवेलपमेंट प्लान) के अन्तर्गत हरियाना और उत्तर प्रदेश के राज्यों में उपनगरीय कस्बों के विकास की योजना पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की वृहत् योजना में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के पुराने और नये क्षेत्रों में नागर सुविधाएं

7854. **श्री बलराज मधोक :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों की, जहां पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों की बस्तियां बसी हुई हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जबकि दिल्ली के पुराने शहर की जनसंख्या वास्तव में घटती जा रही है, क्योंकि धनी लोग बड़ी संख्या में नई बस्तियों में जाकर बस रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि बाहरी बस्तियों में विकास व्यय बहुत कम किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों के लिये न्यूनतम अपेक्षित नागर सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के पुराने और नये क्षेत्रों में विकास तथा नागर सुविधाओं के असंतुलन को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इम्फाल में औषधियों का अभाव

7855. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के असैनिक अस्पताल और मनीपुर के विभिन्न भागों के औषधालयों में दवाइयों का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिये कितनी राशि मंजूर की ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मणिपुर के संघ राज्य क्षेत्र के लिये 1966–67 तथा 1967–68 में की गई बजट व्यवस्था नीचे दी गई है :—

1966–67	3,61,600 रुपये
1967–68	3,14,900 रुपये

1966–67 में दवाइयों पर वास्तविक रूप में 3,58,600 रुपये खर्च किये गये ।

मनीपुर में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये धन

7856. **श्री मेघचन्द्र :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के लिये "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिये मनीपुर सरकार के लिये कितना धन मंजूर किया गया है; और

(ख) वर्ष 1966–67 में इस धन का उपयोग किस प्रकार किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण की योजनाओं के लिये 1966–67 तथा 1967–68 में व्यवस्था नान-प्लान मद के रूप में मणिपुर के बजट में ही की गई थी । व्यवस्था के आंकड़े इस प्रकार है :—

1966–67	40,200 रुपये
1967–68	46,900 रुपये

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ने अलग से कोई अनुदान नहीं दिया ।

(ख) 1966–67 की बजट व्यवस्था का किस प्रकार से उपयोग किया गया इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Irrigation and Power Projects in Himachal Pradesh

7857. **Shri Prem Chand Verma :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of irrigation and power projects in Himachal Pradesh which have been completed and the names of projects on which work is in progress and those on which work is yet to start;

(b) the acreage of land in Himachal Pradesh on which dams have been constructed and the loss suffered and the acreage of land on which more dams would be constructed; and

(c) the number of persons uprooted or likely to be uprooted as a result of construction of these dams and the number of persons out of them, who have been rehabilitated and the arrangements being made to rehabilitate the rest ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L Rao) : (a) No medium or major irrigation project has so far been completed by the Government of Himachal Pradesh nor is any irrigation project under execution. The position in respect of power projects is indicated below :—

Power Projects Completed.

1. Nogli Hydel Scheme Stage I
2. Chamba Power House.
3. Billing Micro Hydel Scheme.
4. Shansha Micro Hydel Scheme,
5. Chhailla Micro Hydel Station.
6. Bharmour Micro Hydel Station.

Power Projects Under Execution.

1. Giri-Bata Hydel Project.
2. Uhl River Stage II (Bassi Power House).
3. Nogli Hydel Project Stage II.
4. Mebar Micro Hydel Scheme.
5. Rukti Micro Hydel Scheme.
6. Charola Micro Hydel Scheme.

(b) 41,595 acres have so far been acquired in Himachal Pradesh for Bhakra and Beas Projects. The acreage of land which is further proposed to be acquired for Beas Project is about 63,565 acres.

(c) The number of persons uprooted or are likely to be uprooted by the construction of Bhakra and Beas Projects is about 62,000 out of whom about 50/- are reported to have been rehabilitated.

The progremme for resettlement of other oustees is in progress.

Irrigation and Power Projects

7858. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation and power projects started during 1966-67 and the number of projects proposed to be started during 1967-68;

(b) the number of projects which were started earlier but completed in 1966-67 and the number of projects which would be completed in 1967-68; and

(c) the wattage of electricity generated and the acreage of land irrigated by projects completed in 1966-67 and the wattage of electricity which would be generated and the acreage of land which would be irrigated by projects to be completed during 1967-68 ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) The requisite information is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 1320/67].**

मैट्रिक से पहले तथा उसके बाद अध्ययन के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को दाखिला दिया जाना

7859. **श्री अ० कु० किस्कु :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने वर्ष 1956-57 के सम्बन्ध में अपने छटे वार्षिक प्रतिवेदन में शिक्षा मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि वह मैट्रिक से पहले तथा उसके बाद की शिक्षा के लिये दाखिल हुए अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के बारे में अलग-अलग आंकड़े इकट्ठे करें, जिससे वह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उन लोगों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन कर सके और शिक्षा मंत्रालय ने, जिसने 1958-59 से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने की बात मान ली थी, यह सुझाव स्वीकार कर लिया था;

(ख) क्या उक्त मंत्रालय ने बाद में यह बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम स्थगित कर दिया गया है और वे इन्हीं कारणों से आंकड़े इकट्ठे करने का काम तीसरी योजना अवधि आरम्भ होने तक शुरु नहीं कर सकेंगे और अन्ततः उन्होंने निर्धारित आधार पर वर्ष 1964-65 से इन आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात मान ली;

(ग) इस बात के बावजूद कि आयुक्त इन आंकड़ों की प्रतीक्षा में था, वर्ष 1965-66 के सम्बन्ध में अपने नवीनतम (पन्द्रहवें) प्रतिवेदन में वह इस मामले की स्थिति के बारे में बिल्कुल चुप रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या बुनियादी आंकड़े आयुक्त के कार्यालय को तुरन्त इकट्ठे करके देने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 1956-57 की रिपोर्ट में की

गई सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था। वर्ष 1959–60 से संस्थाओं के मुख्य वर्गों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के बारे में अलग-अलग आंकड़े उस मंत्रालय ने वर्ष 1964–65 से सभी मान्य संस्थाओं के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित करनी शुरु कर दी थी। यह सूचना अब तक सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। सभी राज्य सरकारों से पूरी सूचना मिलने पर वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को भेज दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन

7860. **श्री अ० कु० किस्कु :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपायुक्त के अधीन प्रत्येक राज्य में चल रहे कार्यालयों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन करने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आयुक्त के कार्यालय को घटाने तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण निदेशक के प्रशासी संगठन का विस्तार करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कुछ एककों को समाप्त करके एक क्षेत्रीय केन्द्र में मिलाया जा रहा है।

(ख) आयुक्त के जो गैर-संवैधानिक काम थे, उनसे उन्हें अवमुक्त किया गया है। संवैधानिक कामों के सम्बन्ध में आयुक्त के संगठन को संवर्धित किया गया है।

Irrigation Facilities in the Country

7861. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the acreage of fertile land in the country and the acreage of land out of it for which adequate irrigation facilities exist:

(b) whether a scheme has been formulated by Government to provide irrigation facilities in the unirrigated areas: and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The net sown area in the country in 1964-65 was 340 million acres and the net are airrigated that year was 66 million acres.

(b) A large number of Projects are in various stages of construction and when these are completed irrigation will extend to many areas which are now unirrigated. Further investigations are in progress in various parts of the country to expand irrigation facilities.

(c) The ultimate irrigation potential from major, medium and minor irrigation schemes has been roughly estimated at about 187 million acres.

गुजरात उर्वरक कारखाना

7862. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की अधिष्ठापीत क्षमता कितनी है तथा उसमें उत्पादन कितना होने लगा है; और

(ग) इसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है:—

(1)	अमोनिया	150,000 प्रतिवर्ष
(2)	यूरिया	100,000 प्रतिवर्ष
(3)	अमोनिया सल्फेट फासफेट (19.5 : 19.5)	256,000 प्रतिवर्ष
(4)	तकनीकी ग्रेड यूरिया	3,200 प्रतिवर्ष

मई और जून, 1967 में परियोजना के विभिन्न संयन्त्रों के परिक्षण चालन किये गये। तत्तपश्चात मामूली व्यवस्थापन के लिए 12 जून, 1967 के लगभग तीन सप्ताह तक संयन्त्रों को बन्द करना पड़ा। 7 जुलाई, 1967 से उनको एक एक करके पुनः चालू किया गया है।

12 जून, 1967 से पहले 819 मीटरी टन यूरिया, 272 मीटरी टन अमोनिया फासफेट, और 71 मीटरी टन अमोनिया सल्फेट का परीक्षण उत्पादन प्राप्त हुआ।

7 जुलाई, 1967 से कारखाने के पुनः चालू होने से उसने 26 जुलाई, 1967 तक 2538 मीटरी टन यूरिया, 399 मीटरी टन अमोनिया फास्फेट और 45 मीटरी टन अमोनिया सल्फेट का उत्पादन किया है।

क्योंकि कारखाने ने अभी केवल उत्पादन शुरू किया है, इस स्थिति में उत्पादन दर का आंकन करना अवास्तविक होगा।

(ग) अन्य कोई मुख्य बातें नहीं है।

चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण

7863. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में हुई एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने यह कहा था कि चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाएं प्रर्याप्त नहीं हैं और सन्तोषप्रद भी नहीं है, क्योंकि वहां पर रोगियों की देखभाल और रोगियों के इलाज पर बल नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर विभागों के सुधार तथा विकास सम्बन्धी योजना प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई थी। 1966-67 के अन्त तक निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न राज्यों के 51 स्नातकोत्तर विभागों को केन्द्रीय सहायता दी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक स्नातकोत्तर विभागों को आर्थिक सहायता देने का विचार है। इसके अलावा, चण्डीगढ़, नई दिल्ली तथा पण्डिचेरी में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थाओं की तालमेल समिति ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये जो उपाय हाल ही में सुझाये थे रेजिडेन्सी पैटर्न आव ट्रेनिंग उनमें से एक है। इन सुझावों को क्रियान्वित किये जाने संबन्धी विवरण अभी तैयार किये जाने हैं।

राजस्थान नहर तथा पोंग बांध के निर्माण के कारण हटाये जाने वाले लोगों का पुनर्वास

7864. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर तथा पोंग बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों को अपने घरों तथा भूमि से हटाये जाने की संभावना है, उनके पुनर्वास के प्रश्न पर उन्होंने पंजाब, राजस्थान, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ एक बैठक में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि इनके निर्माण के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों के हटाये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को कहीं अन्यत्र भूमि देने का कोई विचार है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी गयी है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, राजस्थान नहर परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं अर्थात पोंग बांध, बियास, सतलुज, हरिके परियोजना तथा राजस्थान फीडर के फलस्वरूप हटाये गये व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि उनकी संख्या लगभग 35000 होगी।

(ग) हटाये गये लोगों में से अधिकांश को राजस्थान में राजस्थान नहर क्षेत्र में ही बसाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) हटाये गये इन लोगों को बसाने के लिये वित्तीय सहायता की कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है, यद्यपि राजस्थान सरकार राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास हेतु धन के लिये अनुरोध करती रही है।

राजस्थान नहर से राजस्थान को पानी की सप्लाई

7865. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर से राजस्थान को पानी की सप्लाई के प्रश्न पर राजस्थान तथा पंजाब की सरकारों के बीच विवाद निपटाने के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने हाल में हस्तक्षेप किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई समझौता हो सका है ; और

(ग) यदि हां, तो जो व्यवस्था स्वीकार की गई है, उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंजाब और राजस्थान के बीच रावी और बियास के फालतू पानी के विवरण के बारे में सिंचाई और मन्त्रालय ने बैठक की है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह निर्णय किया गया था कि 1967–68 में रावी और बियास का 43 प्रतिशत फालतू पानी राजस्थान को दिया जाये और फरवरी, 1968 में इस मामले का पुनर्विलोकन किया जाये कि 1968-69 में कितना पानी देना आवश्यक है।

आयातित मिट्टी के तेल की लागत

7866. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाजवादी देशों को छोड़कर भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा अन्य देशों से आयात किया गया मिट्टी का तेल भारत में किस भाव पर पड़ता है ; और

(ख) समाजवादी देशों से आयात किया गया मिट्टी का तेल भारत में किस भाव पर पड़ता है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) मिट्टी का तेल केवल रूस और रूमानिया से आयात किया जा रहा है। विदेशी तेल कम्पनियां इस उत्पाद का कोई आयात नहीं कर रही हैं।

(ख) व्यापारिक करारों की, जिसके अन्तर्गत भारतीय तेल निगम मिट्टी का तेल आयात कर रहा है, शर्तों को बताना जनता के हित में नहीं है।

विदेशी बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं खोली जाना

7867. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों को गत पांच वर्षों के दौरान अनेक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में कितने बैंकों को ऐसा करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या इससे भारतीय बैंकों की प्रगति को आघात पहुंचा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस देश में विदेशी बैंकों की शाखाओं के प्रसार को रोकने तथा भारतीय बैंकों की प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1962 और 1967 के बीच 7 विदेशी बैंकों को 30 शाखायें खोलने के लिये लायसेंस दिये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामान्यतः विदेशी बैंकों को पत्तन-नगरों में नये कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाती है जहां वे विदेशी व्यापार के लिये वित्त पोषण में सहायता कर सकते हैं।

Foreign Exchange Remitted Abroad

7868. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of foreign exchange that was being remitted to foreign countries by way of dividend, interest, allowances, pension, etc. in 1947 and that being remitted now along with country-wise break-up ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : Data in respect of remittances made abroad by way of dividend, interest, allowances and pension in 1947 are not available. The earliest year for which country-wise break-up of these payments is available is for the year 1956-57

A statement of country-wise remittances made by way of dividend, interest, family maintenance and pension during the earliest year 1956-57 and 1965-66, which is the latest year for which such data is available, is laid on the Table of the Lok Sabha. (**Placed in Library. See No. LT-1321/67**)

Supply of Kerosene oil and Petrol to Bihar

7869. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the name of the oil company which had been assigned the job of supplying Kerosene Oil and Petrol to Bihar and the monthly quota fixed;

(b) the quantity of petrol supplied by the various companies during the last one year and the quantity which is yet to be supplied to complete the assured supply; and

(c) the steps taken to supply the remaining quantity of Kerosene Oil to Bihar and to ensure the regular supply every month in future ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The following companies supply kerosene and Petrol in Bihar;

1. M/s Burmah-Shell Oil Storage & Distributing Company of India Limited.
2. Esso Standard Eastern Inc.,
3. Caltex (India) Limited.
4. Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division).
5. Indo-Burmah petroleum Company Limited.

There is no quota fixed for petrol. The total Kerosene quota for Bihar is 15,500 tonnes per month,

(b) There is neither any quota nor any shortage of petrol in the country and the oil companies supply petrol, is required. There is, therefore, no question of completing the remaining supplies of petrol.

(c) During June, 1967, 17,880 tonnes of Kerosene was supplied by the oil companies to Bihar against a quota of 15,500 tonnes. A close watch is being kept so as to ensure that regular and adequate supplies of Kerosene are made to Bihar.

Inclusion of Tatma and Khathe Castes in Backward Classes

7870. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state.

(a) whether Tatma and Khatbe Castes of Bihar are considered un-touchables and are economically backward; and

(b) if so, whether Government propose to include these Castes in the Categories of backward classes ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) and (b) The Government of India do not identify the "Other Backward Classes" by caste or community, The income of a family is the sole test applied for the purpose.

रूसी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाएं

7871. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सहायता से भारत में कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा उनमें कितनी रूसी पूंजी खर्च हुई है;

(ग) इस पूंजी निवेश के लिये रूस के साथ किये गये करार की शर्तें क्या है;

(घ) रूस द्वारा लगाई गई इस पूंजी मे हुई आय में से यदि कुछ राशि अब तक रूस को भेजी गई है, तो कितनी; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रूसी सहायता से कितनी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ द्वारा दिये गये ऋणों से बाईस प्रायोजनाओं के लिये वित्त-प्रबन्ध किया जा रहा है। एक विवरण (अनुबन्ध 1) सभा पटल पर रख दिया गया है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1322/67**) जिसमें इन प्रायोजनाओं के नाम, सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के संभरकों (सप्लायर्स) को दिये गये ठेकों की रकम और 30 अप्रैल, 1967 तक दी गयी रकम दिखायी गयी है। इन प्रायोजनाओं में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ ने कोई पूंजी नहीं लगाई है, लेकिन सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के ऋणों से मशीनों, उपकरणों, तकनीकी सहायता आदि का, विदेशी मुद्रा में दिया जाने वाला मूल्य चुकाया जाता है।

सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के ऋणों पर 2½ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगता है और ये ऋण 12 वर्षों में चुकाये जाने हैं, लेकिन दवाओं की प्रायोजनाओं के लिये दिया जाने वाला ऋण 7 वर्षों में चुकाया जाना है। ब्याज की अदायगी और मूल की वापसी भारतीय रुपयों में की जाती है जिन्हें सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के अधिकारी, सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ को भजने के लिए भारत से माल खरीदने के लिए खर्च करते हैं। इन ऋणों के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1967 तक मूल रकम के रूप में 13.844 करोड़ रूबल की वापसी और ब्याज में रूप से 4.569 करोड़ रूबल की अदायगी की जा चुकी है।

(ङ) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ ने 6 प्रायोजनाओं का निर्माण करने और भूगर्भ सम्बन्धी तथा खनिज-अन्वेषण सम्बन्धी कार्य करने, समुद्री मीनक्षेत्रों के विकास के क्षेत्र में उच्च कुशलता प्राप्त तकनीकी कर्मचारी तैयार करने और चौथी आयोजना की अवधि में अन्य कार्य करने के लिये 30 करोड़ रूबल का एक ऋण दिया है। इस सम्बन्ध में एक विवरण (अनुबन्ध II) सभा पटल पर रख दिया गया है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1322/67**)

Government Hospitals in Delhi

7872. Shri O. P. Tyagi :
Shri Kartik Oraon :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are several colonies like Shahadra, Subzimandi and Patel Nagar in Delhi where lakhs of people live without any facilities of a Government Hospital nearby; and

(b) if so, whether Government propose to provide hospital in all big colonies of Delhi in view of the difficulties experienced by the public in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) There is a General Hospital in Shahadra, Hindu Rao Hospital in Subzimandi and a Corporation Hospital in Patel Nagar.

(b) The need for better hospital facilities in all areas is constantly engaging the attention of Government. There are proposals to provide during the Fourth Plan period a 500-bed hospital in North-West Delhi and to increase the number of beds in the General Hospital Shahadra, the Hindu Rao Hospital and the Patel Nagar Hospital.

Encouragement to Harijans and Jatavs in their Traditional Professions

7873. **Shri O. P. Tyagi ; Shri Sheo Narain :**
Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Kartika Oraon :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) whether Government are aware that leather work, poultry farming and weaving are the traditional professions of Harijans and Jatavs and they are more skilled than others in these professions; and

(b) if so, the reasons for which Government neglect Harijans and Jatavs in the said professions and give incentives to others ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) The Government have not made any survey in this respect.

(b) Under the Welfare of Backward Classes Sector, incentives and concessions are given only to Scheduled Castes.

मनीपुर में सिंचाई के लिये धन

7874. **श्री मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में सिंचाई कार्यों के लिये धन नियत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है, और

(ग) इस नियत राशि से किस प्रकार के तथा कितने सिंचाई कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) मनीपुर को 1967-68 की वार्षिक योजना में लोक्तक झील परियोजना की जांच करने के लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

7875. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकारियों द्वारा प्लान स्वीकार किये जाने से पहले ही नई दिल्ली के अशोक होटल का निर्माण-कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि प्लान नगर पालिका के उप-नियमों के प्रतिकूल थी परन्तु बाद में प्रस्तुत किये जाने पर वे स्वीकार कर ली गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (**श्री इकबाल सिंह**) : (क) अशोक होटल की "एनैक्सी" का निर्माण नई दिल्ली नगरपालिका को प्लान प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व आरंभ किया गया था ।

(ख) और (ग) जांच करने पर, नगरपालिका के चीफ आर्कीटेक्ट ने कुछ आपत्तियां कीं, जिन्हें बाद में ठीक कर लिया गया । यह पता चला है कि नई दिल्ली नगरपालिका की उप-समिति ने अब प्लान स्वीकार कर लिया है, यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्लान स्वीकार हो जाने पर फिर इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

आदिम जातीय विकास खंड

7876. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आदिम जातीय विकास खण्डों की संख्या राज्यवार कितनी है ;

(ख) इन विकास खंण्डों के लिये अब तक कितनी धनराशि नियत की गई हैं, की गई है, और

(ग) क्या किये जा रहे व्यय के अनुसार विकास कार्य हो रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (**श्रीमती फूलरेणु गुह**) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1323/67**]

(ख) 3302 लाख ।

(ग) एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक खण्ड से दूसरे खण्ड में विकास भिन्न है । यद्यपि सामान्यीकरण सम्भव नहीं है, तो भी प्रगति सामान्यतया संतोषजनक रही है ।

अनधिकृत बस्तियों को नियमित घोषित करना

7877. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री 22 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1962 अर्थात् बृहत योजना (मास्टर प्लान) के लागू किये जाने की तारीख से पूर्व स्थापित सभी बस्तियों को इस बीच नियमित करार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1962 से पहले ऐसी कौन कौन सी बस्तियां बनी थीं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1324/67**] जिससे यह देखा जा सकता है कि 103 बस्तियां दिल्ली नगर निगम के द्वारा नियमतीकरण के लिये अनुमोदित हो चुकी हैं, 23 को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 18 विचाराधीन हैं।

Antibiotics Factory, Rishikesh

7878. **Shri T. P. Shah :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of Penicillin has started in Antibiotics Factory at Virbhadra near Rishikesh,

(b) if so, the capacity of the factory;

(c) the name of the country with whose collaboration this factory has been set up; and

(d) the terms and conditions of collaboration ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Trial production has started.

(b) The licensed capacity of the factory is 85 tonnes per annum.

(c) Ussr.

(d) The terms and conditions of the collaboration are contained in the agreement entered into on the 29th May, 1959 between the Governments of India and the USSR. Copies of the agreement have been supplied to the Parliament Library.

नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में मूर्छोपचार विभाग

7879. **श्री मरंडी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में 25 शैय्याओं वाला एक मूर्छोपचार विभाग स्थापित करने के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो इस विभाग की स्थापना से क्या सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

(ग) रूस की सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी : और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में एक मूर्छोपचार एकक की स्थापना के निमित्त रूस सरकार ने परामर्शदाता देने का प्रस्ताव किया था। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

मूर्च्छोपचार केन्द्र गम्भीर रूप से बीमार तथा शल्य क्रियाओं के बाद श्वास के आने-जाने में कठिनाई महसूस करने वाले रोगियों, न्यूरो पैरालिसिस के रोगियों और उपघातज संतापों वाले व्यक्तियों की पर्याप्त उपचर्या एवं चिकित्सीय देख रेख की व्यवस्था के लिये खोला जाता है। अनुमान है कि एक मूर्च्छोपचार एकक पर लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आयेगा।

Parliament Assistants in Finance Ministry

7880. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when;

(c) whether there is any person working against this post for a period of more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in pursuance of orders of the Ministry of Home Affairs; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Two.

(b) Two. One from the 2nd March, 1965 and the other from the 9th August, 1965.

(c) None.

(d) and (e) Do not arise,

राज्यों के बिजली बोर्डों के बारे में वेंकटर मन समिति का प्रतिवेदन

7881. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बिजली बोर्डों के बारे में वेंकटारमन समिति की सिफारिशों को सब राज्यों के विजली बोर्डों ने पूरी तरह क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में राज्यवार कितना सुधार हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) वेंकटारमन समिति की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में सभी सिफारीशें सभी राज्य सरकारों। राज्य विद्युत बोर्डों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई है। मूल पूंजी पर शुद्ध लाभ को बढ़ाने से सम्बन्धित विशिष्ट सिफारिशों को कुछ अवधि में क्रियान्वित किया जाना है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 1966-67 के लिये भेजे गये लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर 1965-66 में हुए प्रतिलाभ की तुलना में उक्त वर्ष आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब (संयुक्त), उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्य विद्युत बोर्डो को अधिक लाभ हुआ है। मद्रास के मामले में 1966-67 में उतना ही लाभ हुआ है जितना इससे पहले वर्ष में हुआ था। आसाम, उड़ीसा और राजस्थान के शेष तीन बोर्डों के सम्बन्ध में पहले से कम लाभ हुआ है, क्योंकि आसाम में इसकी खपत में वृद्धि करने के लिये और समय की आवश्यकता है और उड़ीसा तथा राजस्थान में सूखे के कारण बिजली के जनन पर कुप्रभाव पड़ा है।

Dhobi Squatters Near Lahori Gate Delhi

7882. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some washermen have put up their Shanties near Railway quarters behind Naya Bazar, Lahori Gate, Delhi;

(b) if so, whether they are being removed forcibly from there;

(c) whether it is also a fact that no alternative site was proposed to be given to them before their removal from there; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) There is no immediate proposal for their removal.

(c) and (d) When the area is taken up for clearance, eligible persons under the Jhuggis and Jhopries Removal Scheme, will be provided with alternative accommodation.

गंगा नदी में जल मार्ग के लिए नेपाल की प्रार्थना

7883. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने गंगा नदी से बंगाल की खाड़ी तक जलमार्ग के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है और इस कार्य के लिये नेपाल के सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उसके भारत आगमन का क्या परिणाम निकला है, और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) नेपाल सरकार के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल तथा भारत सरकार के अधिकारियों के बीच हाल ही में कुछ बातचीत हुई। यह उचित समझा गया कि अग्रेतर अध्ययन किया जाये और भारत नेपाल सहकार बोर्ड के माध्यम से जानकारी और आधार सामग्री का विनिमय किया जाये।

केन्द्रीय सरकार की सम्पदाओं के लिये कलकत्ता निगम को कर का भुगतान

7884. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सम्पति पर, कलकत्ता निगम को कर की अदायगी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965–66 में कितनी राशि दी गई ;

(ग) यह कर केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का कितने प्रतिशत होता है ;

(घ) क्या वर्ष 1937 से 1948 तक की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता नगर में अपनी सम्पत्ति पर कर के रूप में अधिक राशि की अदायगी की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां, केवल ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिस पर कि 1 अप्रैल, 1937 से पूर्व कर लग सकता था।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार की सम्पदाओं के लिये कलकत्ता निगम को सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज) का भुगतान

7885. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता नगर में स्थित अपनी सम्पत्ति के लिये, कलकत्ता निगम द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं पर सेवा प्रभार का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से और 1965-66 में इस मद पर कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या सेवा प्रभार की कुछ राशि कलकत्ता निगम देय है;

(घ) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1937 से 1953 तक सेवा प्रभार का भुगतान किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1954 से लागू है। 1965-66 में इस विषय में की गयी अदायगी की राशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अनुसार सिवाय उस सम्पत्ति के जिस पर कि 1 अप्रैल, 1937 से पूर्व कर लगाया जा सकता था, केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति राज्य अथवा राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण के द्वारा लगाये जाने वाले कर से मुक्त है। केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा की गयी विशेष सेवा के लिये भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1954 से स्थानीय निकायों को सेवा प्रभार देना स्वीकार कर लिया है। ऐसे भुगतान का कर भुगतान नहीं समझा जाता।

गुजरात के तेल क्षेत्र

7886. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तेल के क्षेत्रों से अब तक कुल कितनी आय हुई है,

(ख) वहां पर तेल और प्राकृतिक गैस के कर्मचारियों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) तेल और गैस की खोज पर अब तक कितना कितना खर्च किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 31 मार्च 1967 तक कुल आय लगभग 54.31 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31 मार्च, 1967 तक गुजरात के तेल क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 11.16 करोड़ रुपये व्यय हुआ।

(ग) गुजरात में सारे अन्वेषण कार्य तेल से सम्बन्धित थे और कई क्षेत्रों में तेल की खोज में यत्न करते समय गैस की मालूमात प्रासंगिक थी। केवल अन्वेषण पर हुए व्यय से सम्बन्धित सूचना तत्पर उपलब्ध नहीं है; सूचना इकट्ठी की जायेगी और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

कुसावा जाति

7887. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल की कुसावा जाति सब दृष्टियों से पिछड़ी हुई जाति है;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि उस जाति को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाय ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) कुसावा जाति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रादेशिक चिकित्सा कालेज

7888. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक प्रादेशिक चिकित्सा कालेज स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन कामों के लिये किन किन औद्योगिक अस्पतालों का उपयोग करने का विचार है तथा इसके लिये भारत सरकार के किन किन मन्त्रालयों से प्रार्थना की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज खोलने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बारक बाँध-परियोजना

7889. **श्रीमती जोत्सना चन्दा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-प्रयोजनीय बारक बांध परियोजना के प्रारम्भिक कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या मनीपुर में और कोई परियोजना चलाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बारक बांध परियोजना की जांच पूरी हो गई है और परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन के बहुत जल्दी मिलने की सम्भावना है ।

(ख) मनीपुर में लोक्तक झील बहु प्रयोजनीय परियोजना के बारे में जांच में प्रगति हो रही है ।

सन्तति निग्रह के लिये भारतीय औषधियां

7890. श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री झा० सुन्दरलाल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जन्म दर को बढ़ने से रोकने के लिये देशी औषधियों का आविष्कार करने तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख) वैद्यों, सिधों तथा हकीमों को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्य क्रम में सहयोगी बनाने के लिये 18 और 19 जुलाई, 1967 को दिल्ली में वैद्यों तथा हकीमों की एक शिक्षा गोष्ठी हुई थी । इस गोष्ठी की एक सिफारिश यह थी कि जन्म दर को बढ़ने से रोकने के लिये देशी औषधियों का उपयोग किया जाये । इन सिफारिशों पर विचार करने तथा इन्हें क्रियान्वित करने के लिये उपाय सुझाने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है ।

चित्तौड़ जिले में अफीम पकड़ी जाना

7891. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या वित्त मन्त्री 29 जून, 1967 के अतारांकित, प्रश्न संख्या 3977 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़ जिले में पकड़ी गई अफीम के बारे में अब जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के पास अवैध अफीम पाई गई थी और अफीम अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत उन पर अदालत में मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Pay Scale of Binders in Government of India Presses

7892. **Shri T. P. Shah :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pay scales of the Binders working in the Government Presses had been increased with effect from the Ist January, 1966;

(b) whether it is also a fact that there after Government expressed their inability to increase the pay scales of the Binders working in the various Ministries/Department;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the names of Ministries/Departments which recommended the increase in the pay scales of the said Binders to the Ministry of Finance but the said recommendation was not accepted and new appointments against the new posts on the increased pay scale were sanctioned for the said Ministries/Department; and

(e) if so, the reasons for the di crimination against the Binders ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir,

(c) A general decision was taken by rhe Government for reasons of economy that there should not be any revision in the pay structure of posts at any level for some time. Orders in this respect were issued by the Ministry of Finance in August,1966 which are in force upto 30th June, 1968.

(d) The Ministries of Education and External Affairs had proposed revision of pay scale of Book-Binders working in the National Archives of India and External Publicity Press respectively under their control from Rs. 100-3-130 to Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155. No new posts of Book Binders in the scale of Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155 were created in these Departments from 1966 onwards.

(e) Does not arise.

Labour Workers in Government of India Press, New Delhi

7893. **Shri Srichand Goel :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri N. S. Sharma :
Shri Nihal Singh :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state;

(a) whether Government propose to declare labour workers of the Government of India Press, New Delhi. as semi-skilled employees;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the number of semi-skilled employees working as labourers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) No Sir.

(b) The labourers of the Government of India Press Establishment have been categorised as "unskilled" by the Categorisation Committee set up by Government in 1963 in accordance with the recommendations of the Pay Commission (1957).

(c) Nil.

Seizure of Indian and Foreign Currency

7894. **Shri S. S. Kothari :** **Shri N. S. Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3974 on the 29th June, 1967 and state:

(a) whether the investigation regarding the seizure of Indian and foreign currency and some incriminating documents has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir. A number of persons are suspected to be associated with these transactions and enquiries are still in progress.

(b) Does not arise.

(c) The time likely to be taken for the completion of the investigations cannot be forecast with any precision However every effort is being made to finalise the investigations at an early date.

Duties of Warehousemen

7895. **Shri Srichand Goel :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri N. S. Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) the duties of Warehousemen working in the Government Presses;

(b) whether it is a fact that at the time of their appointment they are given a test meant for the binders but actually a labourer's work has been entrusted to them at present;

(c) if so, whether Government propose to treat them as assistant binders;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether it is a fact that the first Pay Commission recommended Class III category for them but they have been put in Class IV; and

(f) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The duties of a Warehouseman in the Government of India Presses are as under:

Hand folding, gathering, stabbing, stitching, covering, envelope-making and similar simple operations in the bindery.

(b) No; they are given a test meant for Warehousemen only.

(c) and (d) Question does not arise.

(e) No.

(f) Does not arise.

Duties of Machine Inker in Government of India Press

7896. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Srichand Goel :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. B. Singh :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the duties of machine inker in the Government of India Press;

(b) whether it is a fact that machine inker has to perform all the duties of a machine man;

(c) whether it is also a fact that at the time of interview, the machine inker has to appear in a test about the whole machinery which is the duty of a paper feeder; and

(d) if so, the reasons for which machine inkers have not been promoted as paper feeders ?

The Deputy Minister in the Ministrr of Works, Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The duties of Machine Inker in the Government of India Presses are to feed paper on hand fed printing machines and to assist generally the Machine-Man in various operations.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise.

चेचक के टीके लगाना

7897. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेचक उन्मूलन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्य क्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल कितने टीके पहली बार लगाये गये हैं और कितने टीके दोबारा लगाये गये हैं;

(ख) उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(ग) अब तक कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये प्राथमिक टीकों और पुनर्टीकों की संख्या इस प्रकार है:—

प्राथमिक टीके	7,33,40,000
दुबारा लगे टीके	44 54,90,000

(ख) 1965-66 तक 1,036.04 लाख रुपये खर्च हुए और वर्ष 1966-67 के लिए राज्य सरकारों के बजट में 234.10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ग) 1967 के पहले छः महिनों में और 1963 के (जब राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था) इन्हीं महीनों में हुई इस रोग की घटनाओं की परस्पर तुलना करते हुए रूग्णता में लगभग 38 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में लगभग 51 प्रतिशत की कमी हुई है।

Jhuggi Dwellers in Delhi

7900. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that some bungling in providing alternative accommodation to the jhuggi dwellers in Delhi has come to light recently:

(b) whether Government have conducted an inquiry into the matter; and

(c) if so, the action taken by Government aginst the persons concerned ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No.

(b) and (c) Does not arise.

Family Planning Programme

7901. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some more special devices are being considered to make family planning programme a success;

(b) the new steps taken to make this programme more popular in villages; and

(c) Government's reaction to the campaigns being launched against the family planning programme by some communities deliberately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Famely Planning (Shri B. S. Murthy): (a) Yes.

(b) The new steps taken are:--

(1) Sub-centres have been sanctioned for a population of 10,000 each. So far 13,897 Centres have been established.

(2) A main Rural Family Welfare Planning Centre has been sanctioned for each Primary Health Centre for a population of 30.000 to 1 lakh. So far 4,519 Centres have been established.

(3) Besides the main Centres and sub-Centres, other medical centres are giving advice in family planning and distributing contraceptives. Their number is 7,399.

(4) Services are also made available to the people in the rural area through camps and mobile units. For this purpose, mobile units have been sanctioned at the rate of one for a population of 5 to 7.5 lakhs each.

(5) For educating and motivating the people a block level Extension Educator and two Family Planning Field Workers have been provided. At the Block level Honorary Block and Group Education Leaders have been appointed to help in promoting the programme. Voluntary village level depot holders have also been appointed in many areas. Gram Sevaks and Savikas have also been involved for motivation and education under the programme.

(6) All available media of mass education i. e. films, radio, posters etc. are being used for popularising the family planning programme in rural areas with the help of Ministry of Information & Broadcasting and State Governments.

(7) All cases who receive services (sterilization / IUCD) are followed up by the Health and Family Planning staff and treatment is provided wherever necessary.

(8) Compensation money to cover loss of wages, transport etc. are given to the persons concerned.

(c) No such report has been received by the Government.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये अतिरिक्त धन

7902. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनाज की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए क्या उस राज्य को चालू वर्ष में सिंचाई के लिये अतिरिक्त धन दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश को 1967-68 में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 16 करोड़ रुपए तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 28 करोड़ रुपये के परिव्यय की मन्जूरी दी गई है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि का नियतन करने का अनुरोध किया है। यह मामला खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश को सहायता

7903. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये नियत की गई 98 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) यह अतिरिक्त राशि किन योजनाओं पर खर्च की जायेगी; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संसद में पेश किये गये केन्द्रीय बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट में जैसा बताया गया है, राज्य की योजनाओं के लिए 55 करोड़ रुपए, अभाव ग्रस्त राज्यों को सहायता देने के लिये 38 करोड़ रुपये और कोआपरेटिव लेण्ड मार्टगेज बैंकों के ऋण-पत्र खरीदने के लिये 5 करोड़ रुपए की रकम को लेकर 98 करोड़ रुपए की रकम, बनी है ।

55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता में से 8 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य को दिये गये हैं । दुर्भिक्ष से राहत के लिये सहायता समय समय पर उपस्थित होने वाली आवश्यकता के अनुसार दी जायगी और उसका पहले से ही राज्यवार बंटवारा नहीं किया जा सकता । जहां तक लैण्ड मार्टगेज बैंकों के ऋण-पत्रों के लिये 5 करोड़ रुपए की रकम का सम्बन्ध है अभी तक कोई राज्यवार बंटवारा नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) योजना सम्बन्धी 8 करोड़ रुपए की उपर्युक्त अतिरिक्त सहायता राज्य की एकन्दर योजना के लिये है तथा इसका सम्बन्ध किन्हीं विशिष्ट योजनाओं से नहीं है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिये नियतन

7904. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में इस योजना की योजनाओं को लागू करने के हेतु उत्तर प्रदेश के लिये कितने धन का नियतन किया गया है; और

(ख) उपयुक्त अवधि में इस धनराशि में से उत्तर प्रदेश को वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक महता) : (क) और (ख) राज्य 1966-67 की वार्षिक योजना के लिये नियत की गई 90.29 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में से वास्तव में 86.83 करोड़ रुपये दिये गये । इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिये अस्थायी रूप से एक करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विषयक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये अनुदान

7905. श्री काशीनाथ पान्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य ने इस राशि का उपयोग किस तरह किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केन्द्र समर्थित योजना पर 1966–67 में जो खर्च किया था उसकी पूर्ति के लिये उसे अनन्तिम आधार पर 1.48 लाख रुपए का एक सहाय्यानुदान दिया गया। यह अनुदान इस शर्त पर दिया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार खर्च के जो जांच किये गये आंकड़े भेजेगी उनके आधार पर इस रकम का अन्तिम रूप से हिसाब किताब बिठा लिया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार ने इस रकम का उपयोग लखनऊ के दन्त कालेज के स्नातकोत्तर कोर्स के लिये किया।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन एवं अन्य सरकारी उपक्रमों के लिये स्वायत्तता

7906. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अन्य सरकारी उपक्रमों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।

(ख) क्या सरकारी उपक्रम के रूप में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सफलता का यही मुख्य कारण है; और

(ग) क्या इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में बेहतर कार्य संचालन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेष

7907. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने अपनी स्थापना के समय से अब तक कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) किन किन बड़ी कम्पनियों में अधिकांश पूंजी लगाई गई है;

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाई जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शी सिद्धांत क्या है ;

(घ) क्या लगाई गई कुछ पूंजी डूब गई है अथवा उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी पूंजी कितनी है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) निगम बनने की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1966 तक जीवन बीमा निगम ने शुद्ध रूप से कुल 611.75 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है ।

पूंजी निम्न प्रकार से लगी हुई है:...

निवेश की श्रेणी	निवेश की रकम (करोड़ रुपयों में)
1	2
1. केन्द्रीय सरकार की और राज्य सरकारों की तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां । इसमें नगरपालिका की प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो स्वीकृति प्रतिभूतियां नहीं होती हैं ।	353.09
2. विदेशों में निवेश	1.09
3. भारत में कम्पनियों के शेयर तथा ऋण-पत्र	111.87
4. भारत में ऋण तथा जमा	131.30
5. ऋण तथा सम्पत्ति के बन्धक	0.83
6. गृह-सम्पत्ति	13.57
कुल	611.75

शेयर तथा ऋण-पत्रों में कुल 111.87 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जो 1075 कम्पनियों में बंटी हुई है ।

(ग) पूंजी लगाने में मार्गदर्शी सिद्धान्त मुख्यतः ये हैं:—

(i) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क की शर्तों को पूरा करना, जो जीवन बीमा निगम पर लागू होने के मामले में 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया है;

(ii) सुरक्षा की व्यवस्था रखते हुए यथा संभव अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ।

(घ) और (ङ) यह बताना कठिन है कि निगम की लगाई हुई कौन कौन सी रकमें नुकसान में जा रही हैं क्योंकि किसी खास समय पर बाजार की स्थिति के अनुसार इनका मूल्य निरन्तर बढ़ता-घटता रहता है । निगम की लगाई हुई पूंजियों पर किसी वर्ष विशेष में होने वाले मूल्य-ह्रास को निगम की सम्बन्धित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया जाता है; और यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाती है ।

बरौनी में (कैल्सीनेशन) निस्तापन कारखाना

7908. श्री तिरुमल राव :
श्री दामानी :
श्री शशि रंजन :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में निस्तापन (कैल्सीनेशन) कारखाने के निर्माण-कार्य की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य का ठेका किसे दिया गया है;

(ग) क्या इसके लिये विदेशी फर्म का सहयोग लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस फर्म को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी रायल्टी दी जायेगी तथा सहयोग की अन्य शर्तें क्या हैं; और

(ङ) तकनीकी जानकारी की व्यवस्था कौन करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा निर्माण का ठेका दिया जाना है और मामला अभी उनके विचाराधीन है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में मकानों आदि के निर्माण को नियमित करने के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन

7910. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात की जांच करने के लिये कि गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार किन किन मकानों आदि के निर्माण को नियमित किया जा सकता है, वर्ष 1960 में तत्कालीन उप-मन्त्री श्री अनिल के० चन्दा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने क्या कुछ समय पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की प्रतिलिपि को सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है ।

आयकर के अमरीकी विशेषज्ञ

7911. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि आय कर विभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में सुधार करने के हेतु उनके मन्त्रालय को सलाह देने के लिये मन्त्रालय ने आयकर के कुछ अमरीकी विशेषज्ञों को बुलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं और उनकी योग्यता क्या है तथा वे भारत में कितने दिन से रह रहे हैं;

(ग) उनके पारिश्रमिक, होटल के व्यय तथा अन्य आवश्यकताओं पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ।

(घ) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1325/67**]

(ग) भारत सरकार प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके भारत में ठहरने की अवधि के लिये 15 रुपये रोज के हिसाब से केवल दैनिक भत्ता देती है । सभी अमरीकी विशेषज्ञों पर इस सम्बन्ध में आज तारीख तक किया गया कुल व्यय लगभग 54,000 रुपए होगा । अन्य सभी खर्चे अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी एजेन्सी द्वारा दिये जाते हैं ।

(घ) जी, नहीं । दल के सदस्य कर-प्रशासन के क्षेत्र में केवल सलाहकार की हैसियत से काम करते हैं और उनसे किसी औपचारिक रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में अनाज की अत्यधिक कमी जिसके कारण राशन व्यवस्था समाप्त-प्राय: हो गई है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Acute shortage of foodgrains in Delhi causing virtual break down of the rationing system."

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यान दिलाने वाली सूचना हमने समाचारपत्रों में छपी खबर के आधार पर दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the Member who has given a Calling Attention Notice should only speak. It is not a good thing that any Member begins to say something else in the name of a point of order.

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास प्रतिदिन 30 अथवा 40 सदस्यों से ध्यान दिलाने वाली सूचनायें आती हैं। तब शलाका से 5 सदस्यों के नाम निकाल लिए जाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उनमें मेरा नाम भी है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री उत्तर देते समय अन्य स्थानों को भी शामिल करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल दिल्ली के बारे में अनुमती दी है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(1) दिल्ली में 8 दिसम्बर, 1965 से सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू है। राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्यान्न गेहूँ, गेहूं के पदार्थ तथा चावल है। दिल्ली में राशन के लिए निर्धारित मात्रा के सन्दर्भ में चावल का स्टाक राशन सम्बन्धी वर्तमान आश्वासनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पंजाब से प्राप्त देशी गेहूँ इस समय राशन की दुकानों से कार्डधारियों को राशन में मिलने वाली मात्रा के 50 प्रतिशत तक दिया जा रहा है। शेष 50 प्रतिशत मात्रा रोलर आटा मिलों द्वारा उत्पादित होलमील आटे के रूप में दी जानी है।

(2) दिल्ली में आटा तैयार करने के लिए आयातित गेहूं खाद्य निगम के डिपों में बम्बई और कांडला बन्दरगाहों से प्राप्त हो रहा हैं। सदन को मालूम ही है कि स्वेज नहर के बन्द होने और जहाजों के देर से पहुंचने के कारण आयात में उत्पन्न कठिनाई के फलस्वरूप बहुत से राज्यों की सप्लाई में कमी हुई है। इस वर्ष बम्बई में असाधारण रूप से अधिक वर्षा हो रही है और इससे बन्दरगाह पर आयातित खाद्यान्नों को उतारने एवं सम्भालने में बाधा पड़ रही है जिससे बम्बई से दिल्ली में खाद्यान्नों की सप्लाई में भी अस्थायी रूप से विघ्न पड़ा है। इससे दिल्ली के गोदामों में आयातित गेहूं के स्टाक में कमी हो गयी है। दिल्ली प्रशासन ने अत्यधिक सावधानी बरतने के विचार से यह निर्णय किया है कि जब तक स्टाक की स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक कार्डधारियों को केवल साप्ताहिक आधार पर अपना राशन लेने की अनुमति दी जानी चाहिये। इस कम स्टाक से अंशतः कुछ मिलों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है; जिससे कुछ

राशन की दुकानों को होलमील आटे की अपर्याप्त सप्लाई हुई है। इन राशन की दुकानों को अन्य राशन की दुकानों से आटा देकर इस स्थिति का मुकाबला किया गया।

(3) बन्दरगाहों से नियमित सप्लाई का प्रबन्ध कर दिल्ली को पर्याप्त स्टाक सुलभ करने के लिये पहले से ही कार्यवाही की गयी है। 29 जुलाई से बम्बई से प्रति दिन 1,000 मीटरी टन गेहूं लाने के विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। पंजाब से तुरन्त देशी गेहूँ भेजने के भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(4) यह आशा की जाती है कि किये गये उपायों से दिल्ली के डिपों में लगभग एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर स्टाक में सुधार हो जाएगा।

Shri Hardayal Devgun : Sir, the position has not become clear by the statement given by the hon. Minister. In the calling Attention Notice the attention of the hon. MInister was drawn to the fact that the rationing system in Delhi is on the verge of collapse. The Chief Executive Councillor has given a statement in the newspapers that there is a shortage of atta in Delhi to the tune of 5,250 bags. The consumption in Delhi is one thousand tons. Hon Minister has stated that the situation has resulted on account of Suez canal. But this an old issue. Moreover, wheat is imported here from Bombay as well as Punjab. Steps should have baen taken by Government to import more wheat from Punjab because the question of Suez Canal was not there in Punjab.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि राशन-व्यवस्था स्पष्ट होने वाली है। स्वेज नहर के कारण बम्बई और कांडला बन्दरगाहों पर जहाजों के आगमन पर 15 जुलाई तक बहुत असर पड़ा था। इससे दिल्ली तथा देश के अन्य भागों की सप्लाई पर असर पड़ना स्वाभाविक ही था। अब बम्बई से प्रतिदिन 1200 टन गेहूं दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा 5 अगस्त तक पंजाब से 2,300 टन गेहूं मंगवाने के लिए भी व्यवस्था की गई है और उसके बाद दो सप्ताह तक प्रतिदिन 600 से 800 टन देशी गेहूं दिल्ली पहुँचा करेगा। इन सब उपायों से हमारे पास काफी स्टाक हो जायेगा और राशन व्यवस्था के समाप्त होने का कोई डर नहीं रह जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The hon. Minister has just now enumerated a number of difficulties. May I know whether keeping in view those difficulties efforts are being made to set up a buffer stock so that in case of crisis foodgrains could be so rushed from there ?

The Minister of Ministry of Food, and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : The question is that we can set up a buffer stock only when there is foodgrains available with us. The position today is that as soon as we receive foodgrain we have to supply that at the place where it is required. Had there been a buffer stock this situation would not have arisen. We can form a buffer stock in case there is a good crop this time.

As far as the question of bringing foodgrain from Punjab is concerned they too dont' have so much buffer stock that they can supply us any quantity.

Shri Atam Das (Morena) : May I know how long this scarcity will be there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं दस दिनों तक स्थिति में बहुत सुधार हो जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : उस समय जब दिल्ली में राशन व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो रही थी तो समाचारपत्रों में एक खबर यह भी छपी थी कि गेहूं की 5000 बोरियां दिल्ली में भारत के खाद्य निगम के गोदामों में सड़ी हुई हालत में पाई गई हैं । यदि हां, तो यह खबर कहां तक सही है तथा क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमारे पास छत वाले माल डिब्बों की बहुत कमी है । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है भारी वर्षा के कारण पानी माल डिब्बों में चला गया था जिससे कुछ गेहूं गीला हो गया । उसकी अच्छी तरह से जांच की गई तथा 10 प्रतिशत गेहूं जारी न किये जाने लायक समझा गया ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, some of the districts of Delhi produce so much wheat that one month's requirement of Delhi can be met. But because those places do not come under the rationed areas so wheat is smuggled to U. P. The provision made by you that wheat could be purchased from there against the ration card is not practicable. May I know whether you are going to allow the Delhi Administrator to bring wheat from the village of Delhi so that the same could be solved here ?

My second question is that Haryana Government is allowing grain to be sent here. Similarly Madhya Pradesh is not allowing pulses and Punjab Government coarse grains. May I know whethar efforts are being made to enforces. this order in all three Governments.

Shri Jagjivan Ram : As far as the question of bringing foodgrain from the villages of Delhi is concerned previously it was decided after consultation that those who desire could bring as much foodgrain as is admissible to them in the ration. But in the talks, we had, yesterday it was disclosed that it is not a good practice. Hence it has been decided that authorised dealers of Delhi could bring foodgrains from out of Delhi and public could purchase it from with them with the permision of the rationing officers.

As far as the question of grain and pulses is concerned. There is no restriction on the movement of pulses.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले आपने सभा को यह बताया था कि यदि आप आवश्यक समझें तो दो ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की भी अनुमति दे सकते हैं–एक सुबह और दूसरी मध्यान्ह पश्चात् । हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी कि दिल्ली में अनाज की भारी कमी के बारे में, जो एक गम्भीर मामला है, ध्यान दिलाने वाली सूचना की

आपने अनुमति दे दी है। परन्तु हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने किस आधार पर इसको अनुमति दी है और दूसरी सूचना को नहीं।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले इस सभा में कहा था कि यदि पंजाब चावल और गेहूँ पश्चिम बंगाल को देने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु समाचारपत्रों में यह छपा है कि जब पंजाब ये वस्तुयें भेज रहा था तो यहां से आदेश दिये गये थे कि उन्हें और स्थानों पर भेजा जाये। (अन्तर्बाधायें)

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमने कई सूचनायें दी हैं, परन्तु कोई भी स्वीकार नहीं की गई है। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : अब जो आपने कहना था कह लिया है चाहे यह कहना ठीक नहीं था। (अन्तर्बाधायें)

डा० रानेन सेन (बारसाट) : 4 जुलाई को मंत्री महोदय ने यह वचन दिया था कि यदि पंजाब पश्चिम बंगाल को चावल भेजता है ता उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब वह ऐसा कर रहे हैं·····।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। (अन्तर्बाधायें)**

श्री ही० ना० मुकर्जी : उठे

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात पहले ही शोर के साथ कही जा चुकी है। (अन्तर्बाधायें)**

जब तक वे समाप्त नहीं कर लेते मैं अपने आपको क्षुब्ध नहीं करूंगा। हम आसानी से इस पर कक्ष में बातचीत कर सकते थे। अब उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री स० मो० बनर्जी भी वहां है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं पूर्ण रूप से भारतीय हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक दिन में दो या तीन प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूं। दिल्ली सीधे केन्द्र के अन्तर्गत आती है, इसलिये दिल्ली को वरीयता प्राप्त होना ठीक है। कल को हम केरल को ले लेंगे और उसके अगले दिन पश्चिम बंगाल आ सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बारे में बैठकर बातचीत करने को तैयार हूं। परन्तु माननीय सदस्य मेरे पास आकर बातचीत करने की भी परवाह नहीं करते। वे मेरे पास आकर कभी यह सुझाव भी नहीं देते कि इस सूचना को लिया जाये, परन्तु यहां चिल्लाने लग जाते हैं।

** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : श्री जय प्रकाश नारायण के इस वक्तव्य के आधार पर कि बिहार को कोटा नहीं मिल रहा है मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता है। परन्तु मैं तो यह कह रहा हूं कि यदि माननीय सदस्य इस तरह बोलते जायेंगे तो सभा में कोई शिष्टाचार नहीं रहेगा और मैं इसके लिए लाचार हो जाऊंगा अतः सदस्यों को मेरे साथ कक्ष में बातचीत किये बिना इस तरह से यहां पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। केवल पश्चिम बंगाल को ही नहीं बल्कि बिहार और केरल तथा अन्य राज्यों को भी खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

डा० रानेन सेन : आप ध्यान दिलाने वाली सूचना की कल अनुमति दे सकते हैं।

श्री समर गुह : मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैं बोल रहा हूं तो माननीय सदस्यों को बैठना चाहिये। मुझे पता है कि उनका धैर्य इसलिए समाप्त हो गया है क्योंकि जो चावल बंगाल को जाना चाहिये था कश्मीर को जा रहा है। परन्तु मैं इसकी अनुमति अब नहीं दे सकता। जैसा कि श्री रंगा ने सुझाव दिया है शायद हम इसे कल दूसरी ध्यान दिलाने वाली सूचना को साथ ले लें।

श्री शिव नारायण : उठे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण के उठने के बिना ही मैं समझ गया हूं कि उत्तर प्रदेश की भी यही समस्या है। मैं देखूंगा कि मैं इस सम्बन्ध से क्या कर सकता हूं। मैं किसी भी सदस्य को इस समय आश्वासन नहीं दे सकता। माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे पास 50 सूचनायें आई थी और मैंने 49 अस्वीकार की है।

श्री स० मो० बनर्जी : हम भी आपको सहयोग दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि शेष 49 सदस्य इस प्रकार से चिल्लाते जायेंगे तो समझ में नहीं आता कि क्या बनेगा। इससे अशान्ति फैल जायेगी।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क विभाग सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं सीमा शुल्क विभाग--भाग I–नौभार की निकासी; और भाग–II–निवारक प्रबन्ध; संगठन

तथा कर्मचारी, सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तलाय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1288/67]**

दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, आय कर (निर्यात लाभ का निर्धारण) नियम

श्री कु० चं० पन्त : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1967, की एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(33)/62-फिन० (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1289/67]**

(2) वित्त अधिनियम, 1967 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी किये गये आय-कर (निर्यात लाभ का निर्धारण) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2382 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-1290/67]**

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1100 की एक प्रति जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 27 मई, 1967 की जी० एस० आर० 760 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1291/67]**

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) जी० एस० आर० 1099 जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1149 जो दिनांक 24 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1150 जो दिनांक 24 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1151 जो दिनांक 24 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1152 जो दिनांक 24 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1292/67**]

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : श्री रघुरामैया की ओर से मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 995 में प्रकाशित हुआ था।

(2) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) पांचवां संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 996 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1293/67**]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SELLINGS OF THE HOME

दूसरा प्रतिवेदन

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) जारी

RE : CALLING ATTENTION-NOTICE (QUERY)-Contd.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि जब भी मतभेद हो हमें आपके कक्ष में जाकर ध्यान दिलाने वाली सूचना सम्बन्धी मामले पर बातचीत करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला अब समाप्त हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कृपया मुझे सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आज माननीय प्रधान मंत्री से मिलने जा रहे हैं । क्या आप गृह-कार्य मंत्री से जलूसों पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिये कहेंगे ? नहीं तो वहां पर लाठी चार्ज आदि होगा । प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये । धारा 144 को लगाने की क्या आवश्यकता है ?

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) No- 2 BILL 1967

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : मैं श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री परिमल घोष : श्रीमान् जी मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

बम्बई पुलिस द्वारा सदस्य को परेशान किये जाने के बारे में

RE : HARASSMENT TO MEMBER BY BOMBAY POLICE.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पुलिस द्वारा श्री वीरेन्द्रकुमार शाह के साथ किये गये व्यवहार से सम्बन्धित है । वह यहां उपस्थित नहीं है । श्री शाह ने मुझे लिखा था । मैं चाहता था कि वह यहां पर आ जाये जिससे हमें सही स्थिति की जानकारी मिल सके । परन्तु हमारे

तार देने के बावजूद वह यहां पर उपस्थित नहीं हो सके । इसलिये मैं इस मामले को एक या दो दिन के लिये स्थगित करता हूँ ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह मामला एक सदस्य के विशेषाधिकार के भंग का नहीं बल्कि इससे समस्त सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है । इसलिये मैं आपकी अनुमति से इस मामले को यहां उठा सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें माननीय सदस्य के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री वीरेन्द्रकुमार शाह मुख्य मंत्री से मिले हैं । अब वह इस मामले पर आगे की कार्यवाही के इच्छुक नहीं प्रतीत होते ।

गृह-कार्य मंत्री (**श्री यशवन्तराव चव्हाण**) : निश्चय यह एक खेदजनक घटना है । सब-इन्स्पेक्टर का बर्ताव मूर्खतापूर्ण था । हमें इसका अफसोस है । मैं भी अपना खेद व्यक्त करता हूँ । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो ।

श्री नाथ पाई : मुझे प्रसन्नता है कि श्री चव्हाण ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है । मुझे आशा है कि अब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमें कुछ समय बाद यह बताये कि क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सूचित किया है कि वे स्वयं उस सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं । मैं इस बात से सहमत हूँ कि संसद सदस्य के साथ ही नहीं बल्कि किसी नागरिक के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । दुर्भाग्य से हमारी पुलिस ने अभी अपनी पुरानी परम्परा को नहीं छोड़ा है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र सरकार और गृह-मंत्री ने इस घटना के प्रति कड़ा रुख अपनाया है ।

वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION REGARDING FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEARS 1964-65 AND 1965-66—Contd.

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : भारत में विभिन्न धर्म तथा जातियां हैं जो अप्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं और जो राष्ट्रीय एकता तथा हमारी सामाजिक प्रगति के लिये बाधक

सिद्ध हुई हैं। हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल गये हैं। जब तक हममें राष्ट्रीय सम्मान, मित्रता तथा भ्रातृभाव की भावना पैदा नहीं होती तब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं ?

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen hours of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्री सोमचन्द सोलंकी : भारत में लोकतन्त्र और राष्ट्रीय एकता की स्थिति बहुत नाजुक है। इसलिये हमें विरोधी पक्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सहयोग से कार्य करना चाहिये। पिछली कई शताब्दियों से उन लोगों के प्रति दमन की नीति अपनाई जाती रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अन्य लोगों की दासता तो समाप्त हो गई है परन्तु हरिजनों की दासता अभी बनी हुई है। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार की विषमताओं और अक्षमताओं को समाप्त करे नहीं तो भारत की उन्नति के बजाये अवनति होगी। उनकी शिक्षा, सामाजिक समानता और राजनीतिक स्तर सम्बन्धी मांगों का ध्यान रखा जाना चाहिये। उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये काफी कुछ कर रही है। परन्तु गुजरात में अब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वे मन्दिर, होटल, कुएं, नाई की दुकान, धोबी की दुकान आदि में नहीं जा सकते। उनकी शमशान भूमि भी पृथक है। होटलों के मालिक प्याले और गिलास होटलों के बाहर रखते हैं। पुलिस के अधिकारी यह सब कुछ देखते रहते हैं परन्तु वे कोई कार्यवाही नहीं करते हालांकि यह हस्तक्षेप अपराध है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके लिये कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने चाहिये। केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कहना चाहिये कि वे हाई स्कूल की शिक्षा तक इन जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों से कोई फीस न लें।

अहमदाबाद में केवल एक ही होस्टल है जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के आवास के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है।

सभी ऊंचे पदों पर सवर्ण हिन्दू कार्य कर रहे हैं। वे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को गोपनीय रिपोर्ट अच्छी नहीं देते जिसके फलस्वरुप उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती। सेवाओं से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बहुत से विद्यार्थी 70 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करते हैं फिर भी उन्हें सामान्य कोटे में नहीं लिया जाता। ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य कोटे में लिया जाना चाहिये और फिर आरक्षित स्थानों को भरा जाना चाहिये।

पिछले 10 वर्षों में गुजरात राज्य के किसी विद्यार्थी को समुद्रपार अध्यापन के लिये छात्रवृत्ति नहीं मिली। शहरी क्षेत्रों में अस्पृश्यता का कुछ सीमा तक उन्मूलन हुआ है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह अब भी है। पंचायतों में इन लोगों की स्थिति बड़ी विषम है। इन पंचायतों के प्रधान सवर्ण हिन्दू हैं। इन जातियों की सदस्यता तो नाम मात्र की होती है। उसके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है।

बहुत से देहातों में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों को वोट डालने से भी रोका जाता है। गुजरात में बेलोनी एक ऐसा ही गांव है।

यह एक नियम बनाया गया है कि देहातों में जो बेकार भूमि है वह अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों को दी जानी चाहिये। जब वे बेकार की भूमि के लिये आवेदन-पत्र भेजते हैं तो उस भूमि को गोचर भूमि घोषित कर दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां कहीं बेकार भूमि उपलब्ध हो वह अनुसूचित जाति के लोगों को दी जानी चाहिये। कुछ प्रतिशत सरकारी बेकार भूमि भी उन लोगों के लिये आरक्षित की जानी चाहिये।

गुजरात राज्य में सन् 1948 में हरिजन लोगों के लिये मकान बनाने के युद्धोत्तर पुर्न-निर्माण की योजना बनाई गई थी। वर्ष 1961 से इस योजना को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इसलिये अब हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये कोई योजना नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उपरोक्त योजना को फिर से चालू करना चाहिये।

बहुत से हरिजन भूमिहीन मजदूरों के रूप में क्षेत्रों में काम करते हैं। आजकल के कठिन समय में जब वस्तुओं के मूल्यों में इतनी वृद्धि हो चुकी है, इन मजदूरों की मजूरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। देहातों में खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इन मजदूरों के लिये कम से कम मजूरी निश्चित करनी चाहिये।

इन लोगों के कल्याण के लिये केन्द्र में एक संसदीय समिति होनी चाहिये। हमें उनकी मांगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कम से कम 5 मंत्री होने चाहिये। देश के अन्य लोगों की तरह हमारे भी लोकतंत्रीय अधिकार हैं। इसलिये हम सभी क्षेत्रों में अपने उचित स्थान की मांग कर सकते हैं। राज्य सभा में तथा विधान परिषदों में भी अनुसूचित तथा जनजाति के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थान होने चाहिये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त के प्रतिवेदनों में लिखा है कि देश के सभी भागों से अस्पृश्यता का उन्मूलन अभी नहीं हुआ। इसलिये अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति को देखते हुए उनकी विशेष सुविधाओं की तारीख सन् 1970 से बढ़ा कर सन् 1980 कर देनी चाहिये।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Harijans have been subjected to various atrocities for centuries in this country. The congress party had made many promises for the welfare of Harijans but during the last 20 years rule whatever they have done, has been published in the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes Scheduled Tribes. It has been

stated therein that oven now there are schools where children belonging to Harijan community are given separate seats and separate arrangements are made for their drinking water. There are various hotels where separate utensils are kept for their use. The Commissioner has given these instances in his Reports. I would like to warn the whole country that if such discriminatory treatment is not stopped, Harijans may rise in revolt some day.

There are two aspects of the problem of untouchability viz Legal and Social. So far the legal aspect is concerned, Anti-touchability Act is already there. All the books which encourage untouchability may be banned. Besides there should be regular propaganda against the untouchability. In reply to a Parliament question, I was informed that lakhs of rupees have been given to Harijan Sawayamsewak Sangh and Depressed classes League. But when I asked about the work done by these two organisations, I was told that they have been working for the removal of untouchability which had its impact in eradicating the social evil of untouchability. But they have not indicated the exact nature of work done by these organisations.

The Commissioner of Scheduled Castes and Tribes had recommended that instead of entrusting this work to non-official agencies, the Government should entrust this work to its own Department of Audo-Visual Publicity. But the Government refused to do so.

In the social field we should arrange dinners etc. in which the members of Harijan community and other be allowed to due together. The R. S. S. has done commendable work in this respect. The Government should arrange for themselves periodic community feasts at district levels.

Second thing is that we should encourage inter caste marraiges. The Government should reserve the seats in services for such boys and girls who get themselves married in Scheduled Castes and Scheduled Tribes families in same manner as it is done in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.

My third suggestion is that Films Division, Govt. of India should produce documentaries showing evils of untouchability. Entertainment tax should be abolished on films advocating abolition of untouchability.

Inspite of rise in prices of all the commodities, the amount of scholarships being given to Harijans remains the same. This amount should, therefore, be increased and it should be given in time. Sometime the amount of scholarship is sanctioned when they had completed their education.

The Harijan students who are getting technical education, should be given interest fee loans. This amount can, however, be recovered from them, when they start earning. The Government can get a bond filled up by such students to this effect.

Harijan students are not admitted in certain schools simply because school authorities have to fill up certain forms pertaining to their scholarships and maintain a separate register etc. To avoid their own work they just till the student that admissions are already over. I, therefore, suggest that a percentage of scheduled castes and scheduled tribes students should be fixed in every school and college. In case they do not admit scheduled castes students, their grants should be stopped. The Jamia Millia University, Delhi is in receipt of cent per cent grant from the Government and even then they do not admit harijan students. Government gives them a grant of Rs. 10 lakhs a year. Certain percentage of seats be reserved for harijan.students.

So far the question of legal assistance t · the Scheduled Castes and Tribes is concerned, most of the funds allotted for the purpose lapse every year I may suggest that a penal of lawyears belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes should be drawn who could really take interest in their cases.

There is a feeling that there are many people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe who have entered into services. But it is not a fact. I can prove it with facts and figures. The hon'ble Minister can say that the reservation is not made against posts but against vacancies. But may I ask him that how many posts have been lapsed since 1950 ? If this information is furnished, the position will become quite clear.

In appropriate representation is given to Harijans in the Govt. service. Previously more representation was there. But now the percentage of Harijans in the Govt. service is very poor. Harijans are discrimated against in the matter of recruitment, appointment, confirmation and promotion . There is already a provision of reservation of posts for them but their confidential reports are deliberately spoiled and thus they are deprived of the promotions to the posts reserved for them and these posts are filled up from employees belonging to other classes. They should be given chances of departmental promotions by reserving certain percentage of promotion posts for them. I therefore suggest that in every state there should be a separate department in order to improve the services conditions of Harijan employees .

Now I would like to say few words about the economic conditions of this class. The two industries that are considered suitable for the Harijans are piggery and poultry They are given loans generally for the above Industries only . Government should help them for starting other industries also . The Governments of Haryana and Punjab purchased some evacuee land at the rate of five rupees per acre and this land is now being sold to Harijans at the rate of four thousand rupees per acre . I suggest that the profit earned from the sale of this land should be spent on the welfare of Harijans. The report of the Loker Committee has proved detrimental to the Harijans. The Committee have stated in their report that some classes of Harijans have made good economic progress. This is not a fact. The fact is that they are still very backward . I would like that the report of Lokur Committee should be scrapped .

The conversion has harmed the Harijans very much. The conversions of the Harijans must be put an end to . Their poverty should not be allowed to be exploited for converting them.

According to the suggestion made by Shri Solanki a Committee of the Members of Parliament should look into the problems of Harijans . He also suggested that a Minister without Portfolio be appointed from amongst the Harijans . I think there should be a Minister of Harijans Welfare instead of Minister without Portfolio. In the end I would suggest the recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be implemented .

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : यह सराहनीय बात है कि इस बार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ हैं और इस पर चर्चा के लिये पहले से अधिक समय दिया गया है । इन सब बातों के लिए मैं सम्बन्धित मंत्रियों, अध्यक्ष महोदय तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का आभारी हूँ । पहले प्रायः यह हुआ करता था कि जब अगला

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका होता था तब कहीं पहले प्रतिवेदन पर चर्चा होती थी किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि इस बार वर्तमान प्रतिवेदन पर ही चर्चा की जा रही है। यह अच्छी बात है कि वर्तमान मंत्री महोदय ने अपने संयुक्त सचिव को इस आयोग का आयुक्त नियुक्त किया है और उन्होंने बड़े अच्छे तथा प्रभावशाली रूप में प्रतिवेदन तैयार किया है।

संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये उत्तरदायी ठहराया है। संविधान के निर्माताओं को देश की दशा ज्ञात थी वे यह भी जानते थे कि कुछ समय बाद हिन्दू जाति की विचार धारा किस प्रकार की रहेगी और इसी लिये उन्होंने इसके लिये देश के राष्ट्रपति को उत्तरदायी बनाया था। अतः मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के निष्कर्ष के बारे में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जिसे संविधान के अन्तर्गत समस्त उत्तरदायित्व सौंपे जायें। सभा में प्रतिवेदन के चर्चा के बाद इस समिति द्वारा उन सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार बताया जाना चाहिए जिन्हें क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। यदि यह नहीं किया जाता तो संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और उसे प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के सभी अधिकार दिये जाने चाहिए। यह कोई नई सिफारिश नहीं है। प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियों के प्रश्न पर विचार करते समय यह सिफारिश पहले ही कर चुकी है।

मैं सदा इस बात का पक्षपाती रहा हूं कि हरिजनों के लिए बनाये गये कार्यक्रम अथवा हरिजन मंत्रालय, हरिजनों के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए क्योंकि इसमें उन्हें कुछ कठिनाइयां हो सकती है इसलिये कदाचित वे प्रभावशाली ढंग से कार्य न कर सकें। किन्तु जिस प्रकार मंत्रालयों अथवा सरकारी कार्यालयों में काम होता है उससे लोगों का विश्वास उठ गया है इसलिये अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। अब मैं यह समझता हूं कि हरिजनों की समस्याओं पर हरिजनों द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए और उनका समाधान भी उन्हें स्वयं करना चाहिए क्योंकि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले गैर हरिजन लोगों पर से हमारा विश्वास समाप्त होता जा रहा है। अब मैं यह भी अनुभव कर रहा हूं कि हरिजनों की समस्याओं के लिये एक पृथक हरिजन मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

देश इस समय विभिन्न संकटों से गुजर रहा है। थोड़ा बहुत शिक्षा के प्रचार से अब गांवों के लोग भी प्रदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रखने लगे हैं। देश में जाति पांति के कठोर नियम हैं। हरिजनों और कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता है। जाति पांति के ये नियम समाप्त कर दिये जाने चाहिए। चाहे केन्द्र में कांग्रेस सरकार हो या राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हों उन सब को यह समझना चाहिए कि हरिजन, जनजातियों अथवा अन्य लोगों का और अधिक दमन और शोषण नहीं किया जा सकता। उन्हें और अधिक निष्ठा से कार्य करना चाहिए।

भूतपूर्व मंत्री श्री अशोक सेन हरिजनों सम्बन्धी मागों पर बोलते हुए कहा था कि हरिजनों के कल्याण के लिये ऋण सहकारी समितियां होनी चाहिए कम से कम जिससे खेतिहर लोगों को, जो अनेक प्रकार के ऋणों से दबे हुए हैं, इन समितियों से कुछ लाभ हो सके।

उन्होंने आगे कहा था कि वह इसके लिये राज्य सरकारों को सहमत करके इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। दो वर्ष बाद मुझे बताया गया कि चूंकि अनुसूचित जातियों के सब लोग एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं इसलिये इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने में असमर्थता दिखाने पर हरिजन लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है।

हरिजन कल्याण सलाहकार समिति तथा अन्य विभिन्न समितियों की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है। इन सभी सिफारिशों पर गम्भीरता पूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि इन सिफारिशों की आधी या एक तिहाई सिफारिशें भी क्रियान्वित की जायें तो इन जातियों का किसी सीमा तक उत्थान हो सकता है। हमारे नेता लोग बोलते समय सदैव हरिजनों के कल्याण की बात कहते हैं किन्तु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था कि हरिजनों के कल्याण के लिये धन की आवश्यकता है इसलिए वह कर लगा रहे हैं। किन्तु बाद में यह बात सामने आई कि हरिजनों के कल्याण के लिए अधिक धन नहीं दिया गया है। 1966-67 में समाज कल्याण के लिए 32.85 करोड़ रुपये नियत की गई है किन्तु उसमें अब कटौती करके इसे 17.54 करोड़ कर दिया गया है। यह ठीक है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिये होस्टल तथा छात्रवृतियों की राशि में भी पहले से कमी की जा रही है, 1966-67 में छात्रवृति के लिए 272 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी। इस राशि में कटौती करके अब यह राशि 210 लाख रुपये करदी गई है। केन्द्रीय सरकार का यह रवैया उचित नहीं है।

पिछले दिन चर्चा आरम्भ करते समय उप मंत्री महोदय ने कहा था कि नगरों में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। किन्तु इसमें सच्चाई नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक केन्द्रीय सरकार के विभागों में भी अस्पृश्यता चल रही है। मैसूर की गणना प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। वहां पर अनुसूचित जातियों के लोग शिक्षित भी कहे जाते हैं किन्तु अनुसूचित जातियों के लोग वहां जूते पहन कर नगर में नहीं जा सकते हैं।

योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जिससे पेय जल, आवास आदि समस्यायें निश्चित समय के अन्दर हल हो सकें। इन कार्यों के लिये पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये तथा एक निश्चित अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जिससे इन सब बातों की व्यवस्था की जा सके।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षित कोण अनुसूचित जातियों के लोगों में से ही पूरा किया जाना चाहिए। यदि विहित ढंग से रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने में कोई कठिनाई हो तो रेलवे के उदाहरण का अनुसरण किया जाना चाहिए। हम अपनी योजनाओं के लिए विदेशों से सहायता लेनी है। यदि सरकार समझती है कि अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिये उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसे इस प्रयोजन के लिये भी विदेशों से सहायता लेने की बात पर विचार करना चाहिए।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में अनुसूचित जातियों की समस्या को साम्प्रदायिक समस्या का रूप दिया है जो उचित नहीं है। यह समस्या साम्प्रदायिक नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिए।

सरकार का कहना है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है और अस्पृश्यता पर हर तरह की रोक लगा दी गई है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वास्तविकता कुछ और ही है। दिल्ली जैसे नगर में भी अभी अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई है और यहां पर हरिजनों को दण्ड दिया जाता है और उन्हें तंग किया जाता है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि एक हरिजन को किसी बात के लिये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में न केवल पीटा गया अपितु उसे 3, 4 रुपये जुर्माना भी किया गया है। ये सब बातें हमारे लिये लज्जा की हैं। हरिजन लोग हमारे भाई हैं हमें उनके साथ सद् व्यवहार करना चाहिये। आज देश में कई नगरों में अभी तक हरिजनों को अस्पृश्य समझा जाता है। सरकार को संविधान का आदर करना चाहिए और समाज की इस बुराई को समाप्त करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह तथ्यों के बिल्कुल प्रतिकूल है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विस्तृत जांच और अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के आवश्यक सुझावों को क्रियान्वित करने पर महत्व दिया गया है। किन्तु आयुक्त के प्रतिवेदनों के आंकड़ों अनुसार वर्ष 1967 में प्रथम श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 0.71 प्रतिशत था। वर्ष 1963 में यह प्रतिशत 1.31 हो गया। 1 जनवरी 1957 को चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिशत 22.1 था और यह प्रतिशत 1 जनवरी, 1963 घटकर 17.55 रह गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन पदों पर अनुसूचित जातियों के लोग कार्य कर रहे थे उन पदों में भी कमी की जा रही है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 148 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिपिक वर्ग की दशा इससे भी खराब है। वहां पर कुछ स्थान खाली हैं और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि भर्ती नियमों में उल्लिखित अर्हताओं के आधार पर इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त किये जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसुचित आदिम जातियों के पक्ष में नियुक्तियों की गति तेज करने के लिये उचित कार्यवाही करने के बजाय, भारत सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनसे राज्यों में विभिन्न पदों और सेवाओं में इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रशंसनीय उद्देश्य पूरा न होने की आशंका है।

इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने आयुक्त के सुझावों को न केवल क्रियान्वित किया है अपितु ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनसे संविधान का उद्देश्य ही असफल हो जाये। इस प्रकार सरकार द्वारा आयुक्त की सिफारिशों की उपेक्षा से भारत के संविधान का अपमान है तथा अवज्ञा कर रही है। सरकार को इन सभी बातों पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए। हरिजन कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए और उसमें हरिजन कर्मचारी होने चाहिए। राज्यपालों, तथा राजदूतों के पदों पर नियुक्ति के लिये भी हरिजनों

के लिये कोई प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारे हरिजन भाइयों में इन पदों पर काम करने के लिए किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जब तक यह हीन भावना दूर नहीं होगी ये लोग उन्नत्ति नहीं कर सकते हैं।

राज्यों सरकारी उपक्रमों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बहुत कम कार्य हुआ है। प्रतिवेदन पृष्ठ 151 में कहा गया है कि इन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आदेश दिये जाने के बावजूद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। स्कूलों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों का शिक्षा शुल्क माफ करने के बारे में भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया जाता है।

बंगाल में स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहां पर मुस्लिम लीग की उग्र साम्प्रदायिकता का, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन प्राप्त है, का सामना अनुसूचित जातियों के लोग ही करते हैं। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने सुझाव दिया था कि इन जातियों के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देकर सीमाओं की सुरक्षा के कार्य में लगाया जाय क्योंकि ये लोग सीमाओं पर सैनिक प्रहरीका कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। मैं भी इस सुझाव का सदैव समर्थक रहा हूं। पूर्निया में एक सैनिक स्कूल है। इन जातियों के कम से कम 1,00,000 बलिष्ट योग्य नवयुवक इस प्रयोजन के लिये मिल सकते हैं। ये लोग बड़ी योग्यता के साथ अपना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के से उचित व्यवहार किया गया होता तो नक्सलबाड़ी की घटना न होती।

इन जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये बहुत कम काम किया गया है। उन्हें खेती योग्य अप्रयुक्त भूमि ठीक ढंग से नहीं दी गई। भूमिहीन मजदूरों को नहीं बसाया गया। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में हरिजन विशेष समितियां नियुक्त की गई है किन्तु कई राज्यों में इसकी बैठक सारे वर्ष में एक बार भी नहीं हुई। इस संगठन को सुव्यवस्थित तथा सुसगठित करने की आवश्यकता है जिसे इन लोगों के साथ उचित व्यवहार हो सके और ये उन्नति कर सकें।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : जबसे संविधान बना है और अनुसूचि जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की नियुक्ति की गई है, तब से मैं उनके द्वारा संसद् की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता रहा हूं। जब मैं संसद् में निर्वाचित होकर आया था तो मुझे आशा थी कि आयुक्त के प्रतिवेदनों तथा इन प्रतिवेदनों के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के भाग्य में कोई परिवर्तन आया होगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आप का ध्यान विशेष रूप से अनुसूचि आदिम जातियों के व्यक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में बहुत सी समितियां नियुक्त की गई थी और उन्होंने बहुत सी सिफारिशें की थी। परन्तु उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

समय समय पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त अनेक सिफारिशें करते रहे हैं। परन्तु मुझे सन्देह है कि उन सिफारिशों को कभी क्रियन्वित भी किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों को क्रियन्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमें संविधान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई तथा हमने यह निश्चय किया कि हमारी सरकार लोकतंत्रीय ढंग की होनी चाहिये। यह सच है कि लोकतंत्रीय ढंग की सरकार का अर्थ है सहमति से सरकार बनाना। अतः प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि इस देश के समस्त निवासियों की सहमति कैसे प्राप्त की जाये ? इस प्रश्न को हल करने के लिये तथा समस्त देश के निवासियों की सहमति प्राप्त करने के लिये हमने अल्पसंख्यकों सम्बन्धी समिति की कुछ सिफारिशों को अपने संविधान में शामिल किया। जब हमारे संविधान निर्माताओं को ज्ञात हुआ कि भारतीय समाज कुछ भागों में बटा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे तरीके निकाले जायें, जिससे देश के प्रशासन में समाज के सब अंगों की सहमति प्राप्त की जा सके।

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि आज भी हमारा समाज तीन वर्गों में बटा हुआ है। इन तीन वर्गों में एक वर्ग ऐसा है जो जीवन की सब सुख सुविधाओं का आनन्द ले रहा है तथा दूसरा वर्ग ऐसा है जो कुछ पिछड़ा हुआ है तथा जीवन की सब सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है। हमारे समाज का जो तीसरा वर्ग है उसे जीवन की सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है और समाज के इसी वर्ग को हम अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां कहते हैं। हमारे संविधान में इस तीसरे वर्ग की भलाई एवं उन्नति के लिये कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों के इस कथन से सहमत हूं कि हमारे संविधान में इस वर्ग की भलाई के लिये विशेष उपबन्ध किये गये हैं, परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इन्हें जो यह विशेष आरक्षण दिया गया है उस के क्या कारण हैं ? मैं सभा को और विशेषतया समाज कल्याण विभाग को यह बताना चाहता हूं। कि वे उन सब व्यक्तियों को जो इन उपबन्धों की क्रियान्विती के जिम्मेदार हैं, यह बतायें कि इन उपबन्धों का अर्थ यह नहीं है कि उन जातियों की सहमति केवल विधान मंडलों में ही प्रतिबिम्बित हो, बल्कि इन उपबन्धों का अर्थ यह है कि उन जातियों को कार्यकारिणी तथा प्रशासन में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। कार्यकारिणी में उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने का मेरा अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल में उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये, अन्यथा उन्हें राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। संविधान में प्रस्तावना में हमने यह स्वीकार किया है कि सब को सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्हें न केवल विधान मंडलों में, अपितु मंत्रिमंडल और प्रशासन में भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।

हमारे संविधान में इस वर्ग के लिये सेवाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसका कारण यह है कि प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व मिलने के पश्चात इन लोगों का सामाजिक स्तर अच्छा हो जायेगा तथा उन्हें समानता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त होगा।

सरकारी सेवाओं में समान पद के लिये समान वेतन तथा समान वेतन के लिये समान कार्य की शर्तें है और इसी कारण से सेवाओं में इन लोगों को आरक्षण दिया गया है, ताकि यह भी समाज के अन्य वर्गों की भांति प्रगति कर सकें। यह एक विचित्र बात है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के सेवाओं में आरक्षण का कार्य जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह एक मूल आदेशात्मक उपबन्ध है और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये तथा अनुसूचित जातियें एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये सेवाओं में आरक्षण उन की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार इस तथ्य को नहीं समझ सकी है। सरकार ने आरक्षण के जितने उपबन्ध स्वीकार किये हैं, उन्हें भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लिखित आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने जिस किसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है, उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

लोक सेवा आयोग तथा सरकारी अधिकारी कहते हैं कि यदि उम्मीदवार उनके पास नहीं आते तो वे क्या कर सकते हैं। मैं इस सभा को मंत्रालय को तथा सरकारी तंत्र को यह बताना चाहता हूँ कि उम्मीदवारों की कमी आलोचकों को शांत करने के लिये झूठा रोना है, क्योंकि यह बात अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों से तथा रोजगार कार्यालय में दर्ज किये गये आवेदकों की संख्या से प्रमाणित हो जाती है कि यह कहना निराधार है कि उम्मीदवारों की कमी है। वस्तुतः वास्तविकता इसके विपरीत है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे तथा उन में से कितने बुलाये गये और अस्वीकार किये गये। सरकार इस बात को नहीं समझ सकी है कि चुनने के सिद्धान्त तथा मुकाबले के सिद्धान्त में क्या अन्तर है। संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये निम्नतम योग्यताओं वालों उम्मीदवारों को चुनने के सिद्धान्त का उल्लेख है, परन्तु मुकाबले के सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिये। सरकार ने प्रशासन ने तथा लोक सेवा आयोग ने उन लोगों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला है तथा जिन लोगों के पास शक्ति और अधिकार हैं, उनके पक्षपात रवैये को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये।

मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहता हूँ कि इन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये, क्योंकि इन्हें सामाजिक न्याय तभी प्राप्त हो सकेगा, जब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। जिन लोगों ने बुद्ध कर्म को स्वीकार कर लिया है, उनको भी वही रियायतें दी जाती रहनी चाहिये, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के बाद उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री शिवशंकर (श्री परेम्बदूर) : * तामिल में बोले।

Shri A.S. Saigal (Bilaspur) : On a point of order Sir, the hon. Speaker has clearly given a ruling that no member should approach the chair. A great dignity is attached to the Speaker's Chair and it is not in accordance with that dignity that Members should

* सदस्य ने अपने भाषण का हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया।

* The member did not furnish a translation of his speech in Hindi or English

approach the Chair like this. So I would request the Chair to impress upon the hon. Members not to approach the Chair in this manner. The Mamber who catches your eye, Sir. should be given the chance to Speak.

Shri Shadu Ram (Phillaur) : Mr. Chairman. Sir, it is not proper to call a member who catches your eye, ignoring those who have sent you chits.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : माननीय सदस्य श्री अमर सिंह सहगल के सुझाव का समर्थन करते हुए, मैं आपका ध्यान सदस्यों की निर्देशिका नामक पुस्तक में लिखित अध्यक्ष महोदय के इस स्पष्ट निदेश की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को चाहे वह सत्ताधारी कांग्रेस दल का सचेतक, कोई मंत्री अथवा सभा का कोई वरिष्ठ सदस्य हो, इस प्रकार अध्यक्ष पीठ के पास नहीं जाना चाहिये ।

Mr. Chairman : The hon. Members have got an inherent right to approach the Chair, if they have any complaint to make. I think it would be better if the hon. Members bring this matter in the notice of the hon. Speaker and get this ruling on this point. In that case the ruling would be binding upon all hon. Members, So far as I am concerned, I am of the opinion and in my capacity as Chairman I say that members have got an inherent rights to approach the Chair, if they have got any complaint to make. It is wrong to say that no member can approach the Chair, whatever the circumstances may be.

श्री प्र० के० देव : मैं आपके ध्यान माननीय अध्यक्ष के इस निर्देश की ओर दिलाना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को सभा में अध्यक्ष पीठ के पास नहीं आना चाहिये, यदि आवश्यक हो, तो वे पर्चियां भेज सकते हैं । लोक सभा की यह एक चिरस्थापित परम्परा है कि यहां सदस्य अध्यक्ष पीठ के पास नहीं जाते । हो सकता है कि विधान सभाओं में सदस्य अध्यक्ष पीठ के पास जाते हों, मैं नहीं कह सकता ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । जब तक मैं कुर्सी पर बैठा होता हूं, सदस्य महोदय मेरे पास केवल यह पूंछने आते हैं कि उनकी बारी आज आ सकेगी अथवा नहीं । इसमें किसी सदस्य का पक्ष करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं आपकी बातें अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा । मैं आपसे सहमत हूं कि यह एक अच्छी पद्धति नहीं है । परन्तु इस समस्या का समाधान बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई माननीय सदस्य तो यह कहने आता है कि वह आज शाम की गाड़ी से बाहर जा रहा है, इसलिये उसे बोलने का अवसर दिया जाये तथा दूसरा आता है और कहता है कि दूसरा माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाये । यदि आप मुझे अवसर देंगे, तो मैं बहुत आभारी हूंगा । इस प्रकार की कई बातें होती है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि इस पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये, परन्तु इस बारे में मैं बहुत सख्त रवैया अपनाने के पक्ष में नहीं हूँ । मेरे पास दोनों पक्षों के माननीय सदस्य आते हैं । अतः यदि वे आपस में इस बात पर सहमत हो जायें, तो बहुत अच्छा है । मैं किसी माननीय सदस्य को वापस नहीं खदेड़ सकता हूं और न ही कुर्सी छोड़ कर स्वयं बाहर जा सकता हूँ । अतः यह अच्छा होगा कि माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हो जायें कि अध्यक्ष पीठ के पास न जाये ।

Shri Agam Das Guru Minimata (Janjgir) : Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me time to participated in the debate and, Ialso express my gratitude to the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled tribes for the recommendations he had made in his report. Had all the recommendations made by the Commissioner been implemented, it would have been of enormous benefit to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

It is unfortunate that the reservation of 12½ per cent posts made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the service is not being fulfilled, even though these people are now educated. We the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been neglected for ages, and now the younger section of our community which is educated would not tolerate this injustice. The ill treatment which is being given to the members of our communities is one of the main reason. Why members of these communities are now embracing Islam and Christanity.

Secondly if some persons belonging to Scheduled Caste communities are taken in services, they are not being treated well and attempts are being made to remove them from services on flimsy grounds, I would request the hon. Minister to give a thoughtful considerations to this problem. I have certainfacts to prove that equal treatment is not given to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are in services.

There is wide spread unemployment in the country. A majority of our students is unable to find any suitable Job after their education is completed. It is not all. Although the population of the communities belonging to Scheduled Caste and Scheduled tribes had increased to a large extent in the last census it had not been recorded accordingly by the Government; this has resulted in the reducation one reserved seat in Parliament. So far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, I want to point out that Gujrat Government has taken a right step in this direction. They have made obligatory for the boarding houses to have two Harijan students in each of them if they want to have Government grant.

It is most unfortunate and shameful even after twenty years of independence the Harijans, Scheduled Castes are not being treate l well in the society. There are so many instances to prore that they are being humiliated and beaten by caste Hindus. There are case when caste Hindu compelled these persons to leave their Villages. It is not all their houses were also set on fire. What was worse was that when these people want to the police stations to lodge reports they were sent back disappointed by Police authorities. Their reports were not even registered. It is not that this unfortunate story ends here. Despite the fact that these people were in much distress and they wanted help from the Police. They were further humiliated and beaten by the Police. I, therefore request the Government to see to it that their reports are registered and fully inquired into.

The Scheduled Cas es and the Schduled Tribes are in the same pitiable condition to-day, as they were before the down of independence. They had not yet been able to come to the level of other people of the country. They are laggin behind in every field, be it education or services. The period of their reservation is likely to expire. But they have not made any headway as yet. It is, therefor, requested that the period of their reservations be extended.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, मैं सभा के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनु-

सूचित आदिम जातियों के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत यह जिम्मेदारी भी है कि वह अनुच्छेद 333 (3) के अन्तर्गत आंग्ल भारतीयों को दिये गये विशेष संवैधानिक संरक्षणों के बारे में भी राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करे तथा राष्ट्रपति के माध्यम से वह प्रतिवेदन इस सभा के समक्ष पेश किया जाये। अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत राज्यों के राज्यपालों को विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन की शक्तियां दी गई है। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि मुझे सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना पड़ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत आंग्ल-भारतीय समुदाय को दी गई पवित्र गारंटी को जान बूझ कर निष्प्रभावी बनाया जा रहा है तथा इसके विपरित कार्य किया जा रहा है। संविधान के निर्माताओं की धारणा यह थी कि विधान मण्डलों में आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। परन्तु जहां कहीं भी साम्यवादी सरकार बनाई गई है अथवा जिस सरकार में साम्यवादी गुट के सदस्य अधिक है, वहां उन्होंने जानबूझ कर इस गारंटी में हेरफेर किया है।

पश्चिम बंगाल में अब तक ऐसा होता रहा है कि वहां के विधान मण्डल में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये उनके चार सदस्य नाम निर्देशित किये जाते थे। बल्कि यह नाम निर्देशन अखिल भारतीय आंग्ल-भारतीय संगठन की सिफारिश किये जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल की एक प्रतिनिधि संस्था है। परन्तु राज्य सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है।

जब मैंने अखिल भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के अवैतनिक महा सचिव श्री बैरो को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पास स्थिति को स्पष्ट करने के लिये भेजा तो पश्चिम बंगाल की सरकार के मत्रियों ने उनसे कहा कि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यों को सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठा के एक बन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जब से ऐसी गारंटी दी गई है तब से ऐसा विषम सुझाव कभी नहीं दिया गया है कि जो लोग उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे उन्हें सत्ताधारी दल का समर्थन करने के लिये उस दल के प्रति निष्ठा के बन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यह बात सरासर गलत ही नहीं है बल्कि अनैतिक भी है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं आंग्ल भारतीय समुदाय की शाखा न केवल कलकत्ता में ही है बल्कि ऐसी शाखाएं खड़गपुर, आसनसोल और संगागामी में भी है। जब इन सभी शाखाओं ने सरकार को तार भेजा कि आंग्ल भारतीय समुदाय एक मत से उन चार व्यक्तियों का समर्थन करता है परन्तु उन्होंने जान बूझ कर उस प्रतिवेदन की उपेक्षा की। ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसका कारण यह था कि वे जानते थे कि उनका बहुमत नहीं है। इसके अलावा वे यह भी चाहते थे कि ऐसे व्यक्तियों को लिये जाये जो साम्यवादी दल के इशारे पर चलें। उन्होंने इस गारंटी को इस लिये तोड़ दिया है कि वे वहां पर साम्यवादी सरकार की सत्ता कायम रख सकें।

Shri Sheo Narain (Basti) Mr. Deputy Speaker, Sir, the Harijan problem is a very serious problem. It will be very unfair on my part if I ignore the name of Swami Dayanand while dealing with this Harijan problem. It was Swami Dayanand who had started the

work of the upliftment of the backward classes. After Swami Dayanand this work received the support of Mahatma Gandhi. I pay my homage to Gandhiji for having started the Harijan movement. All the Harijans will be ever indebted to him for it. We are also grateful to the Congress Government for what they have done for us. But though the Congress Government has been trying improve the lot of these people but much progress has not been made. These people are still leading a miserable life. They do the manual work for the country but adequate return is not given to them. Even those who have been educated they are not getting employment. Some of them have received Master's degree but they are not getting employment. It is a blot on the good name of the country. We raise the question of Negroes in U. N. O. but there are more than to crores persons in India who are leading worse life than even Negroes.

I would also like to bring one more thing to the notice of Government. Our country is predominantly an agricultural country and in the fieled of agriculture the work of tilling the land is mainly done by persons of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. If enough water is made available for irrigation to them and if some fertilisers are made available to them then they can increase the production so much that we can become self-sufficint in the matter of foodgrain.

Now I would like to say something about the recruitment done by the Public Service Commissions. We have seen that the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes fare well in written papers. Some of them get even seventy five per cent marks. But they are rejected in interviews because they are not fair complexioned and are not well-build. This is not fair. They should also be given a chance in foreign service so that they may also go overseas.

Hence I support the recommendations made in the reports of the Commissioner. The Government should see that the recommendations thus made are duly implemented. Even if one fourth recommendations are implemented it may lead to our welfare.

I would also like to make one more appeal. It would be better if the work of social welfare is brought under the Ministry of Home Affairs. It is that Ministry which can do their work more effectively.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : By loking going through the report we find that the State Governments have not paid much attention to the work of social welfare as a result of which there has not been much improvement in the lot of the backward classes. So, I think it would be better if this Department is transferred to the Ministry of Home Affairs. It is the Home Ministry which could better implement this work.

The greatest difficulty that the Members of the Scheduled Castes has to suffer is the problem of untouchability. It is unfortunate that untouchability is still prevalent in Rajasthan and the Harijans are not allowed to draw water from the wells. This is a very sorry state of affair.

The persons of scheduled castes and scheduled Tribes in Rajasthan are very poor persons. Most of the families there are under debt. Therefore keeping this thing in view and in order to help them Government had given them land so that they could take to agriculture. But no facilities have been provided to them for that purpose. As a result of that they could not utilise that land. Therefore I would suggest that at least credit facilities should be provided to them. Unless and until a new scheme for giving credit facilities to Scheduled castes and scheduled Tribes is chalked but they cannot feel a sign of relief.

As far as the question of services is concerned it is generally said by Government side that many facilities are being provided to backward classes. But there is a lot of differences in doing and saying a thing. By looking at Governmental figures we find that their number is going down although it should have been otherwise. What was the reason for that. It was because other people were appointed to the posts reserved for them when suitable candidates of those classes were not available. This should not been done and the posts reserved for these classes should be filled by persons of those classes alone. I submit that there should be a representative of thesee classes in the Public Service Commissions also so that these persons get a fair chance at the time of selection.

The problem of houses of these persons is not a Small problem. It has also been mentioned in the Report that these persons are allotted land near lavatories. Thus it should be the duty of Government to provide good houses to these people.

As far as the question of standard of living of these persons is concerned it cannot be raised by giving them fifteen or twenty rupees per month. If we want to raise their standard we will have to give them an opportunity in every walk of life.

{ श्री अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.* }

Apart from this, co-operative stores should be set up for them from where they could purchase their essential commodities at reasonable prices

Shri N. N. Patel (Bulsar) : Sir, today is a very good day for Harijans because it is after a number of years that we are discussing in this House the Report for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It was our good luck that Mahatma Gandhi was born in our country. It was Mahatma Gandhi who laid great stress to improve their lot. Therefore the whole credit for the present position of the backward classes should be given to him. If we look to our past history we see how miserable was the life of Harijans. These was a time when the Caste Hindus did not allow these people even to sit near them. But so is not the case now. I can say that atleast in Gujarat and especially in Southern Gujarat there is no problem of untouchabilty we want other States should follow their example.

I am very sorry to submit that the number of seats reserved for these people in the services is not being filled. I will tell you the reasons for that. When some posts become vacant then advertisements are published in English papers and these persons do not read such newspapers being in small villages. Therefore I would like to suggest that these advertisements should be Published in local papers. If it is done then more candidates would be coming forth. It is also very essential that the representatives of these classes should be taken in the selection committees who can see that a justice is done to them.

Government have opened Tribunal Blocks in our country for the welfare of these people. But who are the officers there. I submit that such officers should be posted there who have an aptitude for social welfare work. Only they will do work for the upliftment of Harijans.

An agitation is going on in Gujarat for the last fourteen years for the transfer of land to the landless farmers of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Gujarat Government have taken some steps in this direction and the landlords had promised to give 14 thousand acres of land voluntarily. They were going to give two to three thousand acres of land on 20th August but I have received a letter only today from there that assurance is not being fulfilled. Government should, therefore, see that the matter is settled at an early date so that this agitation does not take a serious turn,

पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान बेचने के समाचार के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE-REPORTED SALE OF MILITARY MATERIALS BY WEST GERMANY TO PAKISTAN

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन एक घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे। यदि माननीय सदस्य कम समय लें, तो सभी दलों के सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर मिल सकेगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बहुत कम है। अतः इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा के लिये ढाई घंटे का समय दिया गया था। मैंने इस सम्बन्ध में संसद् कार्य मंत्री से बात कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : अभी एक ही घंटे का समय रहने दीजिए। मैं सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Even after the partition of the country the problem are still there. There is a constant danger from Pakistan. Whatever we gained during Indo-Pakistan conflict in 1965, we have lost as a result of Tashkant Declaration. To day Pakistan is obtaining huge quantity of arm from various countries. Our Government look upon the incidents like the sale of war materials by West Germany to Pakistan as something very normal. It shows that we are careless and are not paying due attention to the gravity of the situation. We should realise that China would try to do maximum harm through Pakistan.

We are total failure in our foreign policy. It is such that instead of making new friends we are losing even some of our old friends. Pakistan's foreign policy is so successful that it has established friendship with both U. S. A. and China which belong to two different blocks Pakistan is obtaining arms from both U, S. A. and China and thus strengthening her military power. Pakistan is concentrating all her attention on military preparation. She has not only made up the losses which she suffered in 1965 conflict she is ahead of India in certain respects, She is trying to obtain atomic arms from both China and U. S. A. An aerodroma being constructed in Pakistan by U, S. A· is a great danger to India. Therefore I would like to warn the Government that we should be ready in all respects to face any danger from our foreign enemies.

Pakistan has now 10 divisions in her army and out of these 8 divisions are of infantary. She has 33 squadroms of aeroplanes. She has also anti-aircraft guns from China. Pakistan has procured aeroplanes from China and other countries and has purchased some aeroplanes from the open market. She has secured some aircrafts from West Germany through Iran. Pakistan has Mirge 3 aircrafts which are very powerful. Thus she has made her air force very powerful. Pakistan has increased her naval strength also. She had one American submarine at the time of the 1965 conflict. Now she has two more powerful submarines from France. Chinese experts are giving training to her Navy personnel.

Then there is a secret American base near Peshawar, which not only a danger to our security but to the security of the whole world, The sabre jets which according to Iran had been sent to Pakistan and have since gone to Iran are there in an aerodrome on the border of Iran and Pakistan. Thus Pakistan can make use of them against India at any time, All this shows what a grave threat Pakistan pores to India. Our Defence Minister says that we are fully prepared to meet any threat from Pakistan. We should not be complacent about the whole situation and should try to understand its full implications.

U. S. A. has given massive military aid to Pakistan. As compared to that aid given to India by U. S. A. is negligible. It is difficult to understand as to why the U. S. A. is equating both India and Pakistan knowing full well that China is so close to China- Both U. S. A. and China are helping Pakistan. Strangely enough now even U. S. S. R. has also told Pakistan that she is prepared to give her arms on the same conditions on which she is supplying to India.

Pakistan is getting hugh amount of foreign exchange for the purchase of arms from different countries. Saudi Arabia and China have made foreign exchange available to her for this purpose. Some other countries are also helping her.

We should take not of this serious situation. We should reaffirm the policy enunciated by tate Shri Lal Bahadur Shastri that war should be met by war and peace should be welcome by peace. We should tell all the countries that supply of arms to Pakistan would be an unfriendly act against India. We should also have a fresh look on our relations with other countries.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Today we should take note of the threat posed by Pakistan. Pakistan is acquiring modern arms. Though Pakistan had the modern arms at the time of 1965 conflict but due to lack of training her military could not make best use of these weapons at that time. If she supplements these arms with training in modern warfare and use of these weapons it would pose a very grave threat to India. We should be very vigilant about it.

Today both India and Pakistan should realise that it is not in their interest to fight with each other. There are countries whose aim is that both India should come to grief. U, S, A, is giving military aid to Pakistan and economic aid to India. She is creating a situation whereby India is forced to divert her economic resources more and more to defence purposes. That way she wants that India should make economic progress. China, America, Turkey and other countries are trying to do great harm to India.

We should increase our strength. Activities of the countries who want to harm India by encouraging Pakistan should be declared unfriendly countries, We cannot remain complacent any more. Pakistan may create a mischief if she loses the case, which is before the Kutch Tribunal. We should be prepared to face any situation and should take all the steps to strengthen our defence.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Today we are facing a grave external threat. We can solve own internal problems when we do not have any external danger. Our two big enemies Pakistan and China are in collusion with each other, Considering these two countries our enemies we should make our defence preparation.

I would like to say that our defence and defence policies are basically wrong. Although in 1947 our military strength was much more as compared to that of Pakistan, but now we have an unfavourable balance of power with Pakistan. We should have increased

our military strength to the extent so as to match both China and Pakistan. But unfortunately we have not been able to maintain a balance of power even with Pakistan. Pakistan is military more advance than that of India. It is a matter of great distress that Pakistan is occupying our territory almost on all borders. We are not able to get our territory vacated.

Pakistan two armies-Western army, which is equipped with arms supplied with Western Powers and Eastern army which equipped with arm obtained from China. Thus Pakistan is posing a threat from both on the Western and Eastern fronts.

Pakistan has improved her relation with Russia so much that Russia is prepared to give arm to Pakistan on the conditions on which she gave arms to India. We have to see as to how we can meet such a situation. Pakistan is getting arms from the U, S, A., China and her allies. She is getting foreign exchange from other countries to purchase modern arms from the open market. With this foreign exchange she is purchasing arms in huge quantity Government should take note of it.

We cannot be complacent any more. The people of the country have no faith in the words of the Governments. While we are talking of Tashkent Declaration, Pakistan is strengthening her defence, There may be an attack from Pakistan in the coming autuman, The country should be prepared for such an eventuality.

The Government should give priority to defence production. We should achieve self-sufficiency in the matter of arms. We should also get arms from other countries. There should be coordination between our defence and foreign policies. We should make it clear to all countries that whatsoever supply arms to Pakistan would be our enemy. We should make them realise the friendship of India is more important than that of Pakistan.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : यह सच है कि पाकिस्तान अमरीका से सैनिक साज सामान लेता है किन्तु यह कोई नई बात नहीं है । यह सभी जानते हैं कि अमरीका के साथ पाकिस्तान का बहुत पहले से सैनिक समझौता है और वह 'सीटो' तथा 'सेन्टो' सैनिक संगठनों का सदस्य है । पाकिस्तान को कुछ जेट विमानों की सप्लाई का समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित होने पर हम अचानक उत्तेजित हो गये । किन्तु इसमें उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता क्योंकि पाकिस्तान सदैव विमान खरीदता रहा है ।

इस बात की आड़ में तनाव का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा कि अगले कुछ महीनों में युद्ध होने की सम्भावना है । इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा । यह तो वही बात हुई कि बाहर जाने के लिए पूरी तरह कपड़े पहन कर तैयार हो जायें किन्तु यह पता न हो कि जाना कहां है । हमारी स्थूल सेना तथा वायुसेना उस सीमा तक साज सामान से सुसज्जित है जिस सीमा तक हम उसे पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं ।

मैं समझती हूँ कि रूस और अमरीका इस भूभाग पर बड़ा युद्ध कराने का खतरा नहीं उठायेंगे । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सन्तुष्ट रहना चाहिए या हमें अपनी सेना को हथियारों से सुसज्जित नहीं करते रहना चाहिए । इस बात को नहीं भुलाया जा सकता है कि सेना सुसज्जित रखना बहुत खर्चीला काम है । चाहे हम सारे वर्ष का सारा राजस्व खर्च कर

दें तब भी हम इतनी बड़ी सेना नहीं बना सकते हैं। अतः हमें कुछआत्म विश्वास से भी काम लेना चाहिए। हम पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

यदि हम आधुनिक साज सामान लेना चाहें तो हमें उसके लिए बहुत अधिक मूल्य देना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए हमें रूस या अमरीका के साथ सैनिक सन्धि करनी होगी जो हमारे देश की नीति के विरुद्ध है। सैनिक सन्धि करने की अवस्था में हम अपने देश की स्वतंत्रता को नहीं बनाये रख सकते हैं।

हमें विमान बनाने के लिए और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए जिससे हम इस मामले में आत्म निर्भर बन सकें। जो कार्य हमने आरम्भ किया है उसे पूरा करने के लिए देश में पूरी क्षमता है। हमें केवल नेट विमान बना कर ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

श्री नाथ पाई : यह आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई को समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार मात्र बताया जा रहा है। हमें अपने शक्तिशाली आक्रमणकारियों से सम्बन्धित इस प्रश्न पर नये तथा यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न को बहुत महत्व देना चाहिए। इसे साधारण बात कह कर टालने से काम नहीं चलेगा। इस प्रश्न के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण अविवेकपूर्ण ओर भोलेपन का है। सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही आधारहीन तथा स्वयं को धोखा देने वाली है। केवल विरोधपत्र भेज कर यह कहना कि हम जो कुछ कर सकते हैं कर दिया गया है अपने आपको तथा जनता को धोखा देना है। वैदेशिक कार्य मंत्री ने अपनी तेहरान यात्रा के दौरान वक्तव्य दिया था कि ईरान ने वचन दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा किन्तु ईरान सरकार ने इस वक्तव्य का तत्काल खण्डन कर दिया इस प्रकार गलत वक्तव्य देना उचित नहीं है।

हमें यह महसूस करना चाहिए कि हथियारों की सप्लाई का सीधा तथा गहरा सम्बन्ध किसी देश की दीर्घकालीन युद्ध नीति से होता है। हथियारों की अन्य देशों को सप्लाई करने का काम सबसे पहले अमरीका ने आरम्भ किया लेकिन अमरीका जो कुछ करता है उसकी निन्दा करने अथवा उस पर खेद प्रकट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा और न ही उसका कोई प्रभाव पड़ेगा; और अमरीका उसके परिणामस्वरूप हथियारों की सप्लाई करना बन्द नहीं करेगा, न ही उसने ऐसा किया है। इस पहलू की ओर सभा का ध्यान आज तक कभी नहीं दिलाया गया।

"न्यूयार्क" टाइम्स ने अमरीका की अन्य देशों को हथियार सप्लाई करने की नीति के बारे में कुछ रहस्योद्घाटन किया है। उसने बताया है कि अमरीका ने पिछले 18 वर्ष की अवधि में अपने शस्त्रागार से अन्य देशों के शस्त्रागारों में 28,000 करोड़ रुपये मूल्य के हथियार, बारुद और सैनिक साज-सामान डाला है। अमरीका का पेंटागन में एक नियमित विभाग है जिसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-विज्ञान सम्बन्धी वार्ता विभाग है। हथियारों की सप्लाई करना अमरीकी नीति का एक अंग है और वह अपनी इस नीति का अनुसरण करता रहेगा। यह उनका अपना एक आदेश है। संसार में अपनी शक्ति बनाये रखने की होड़ में,

विशेषत: रूस के मुकाबले में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिये, अमरीका सदैव नये-नये आधुनिक तथा शक्तिशाली शस्त्र बनाता रहेगा। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद, जब ये हथियार पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें पश्चिम यूरोप की मंडियों में डाल दिया जाता है जहां से वे अर्ध-विकसित देशों के लालची हाथों में आ जाते हैं, अब आप उसके स्टेड डिपार्टमेंट को देखिये जिसके बारे में इस समाचारपत्र ने लिखा है :

"The State Department simply grapples with each case as it arises. American control over the ultimate use of weapons through agreements, however, tends to weaken as the surplus accumulate."

इससे पता लगता है कि अमरीका क्या कर रहा है। जो अमरीका कर रहा है वही रूस भी कर रहा है। चीन भी विकासशील देशों को वे हथियार दे रहा है जो उसे रूस से मिले थे और जिनका उसे अब कोई लाभ नहीं क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो गई है। **इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज** के प्रतिवेदन में कहा गया है :

"The supply by China to Pakistan of MIG-19 aircraft and T-59 tanks, plus earlier shipments to cambodia of infantry weaoons, indicates that China's armaments industry is recovering from the set-backs experienced in the early 1960, when Soviet aid was withdrawn and it is progressively replacing its large quantities of absolescent Soviet equipments".

इस समस्या का एक समाधान यह हो सकता है कि रूस और अमरीका एक सामान्य निशस्त्रीकरण समझौता कर लें और अन्य देशों को हथियारों की सप्लाई करना बिलकुल बन्द कर दें। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा होना सम्भव नहीं लगता।

पाकिस्तान ने पिछले 15 महीनों की अवधि में 1 बिलियन डालर मूल्य के अस्त्र सैनिक साज-सामान, आधुनिक हथियार प्राप्त किये हैं, उसने सउदी अरब से 30 करोड़ डालर का ऋण लिया है। उसने लन्दन बाजार से 10 करोड़ डालर का ऋण लिया है और कनाडा में टोरन्टो में लेवी ब्रदर्स के मार्फत उसने 9·6 करोड़ डालर का एक और ऋण लिया है। बराबर की सहायता देने वाली अमरीकी सन्धि के अन्तर्गत अमरीका ने ·5 बिलियन की और सहायता दी है। इसलिये, सब मिलाकर उसे एक बिलियन डालर मूल्य की सहायता मिली है।

प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी तैयारी के सामने हमारी स्थिति क्या है ? हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरह की तैयारी कर रहे हैं जबकि शेष विश्व तृतीय महायुद्ध के लिये तैयारी कर रहा है। मैं मानता हूं कि आन्तरिक शक्ति, जो कि आर्थिक शक्ति है, के बिना शक्तिशाली विदेश नीति तथा शक्तिशाली सशस्त्र सैनिक शक्ति सम्भव नहीं है। इन तीनों चीजों का एक दूसरे से अटूट सम्बन्ध है। इसलिये दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है।

हमारी मिग परियोजना यदि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1971 में पूरी भी हो जाती है, तो भी हम संसार की प्रगति की तुलना में उससे 12 वर्ष पीछे रहेंगे। इसलिये मैं एक ठोस सुझाव देता हूं कि इन परिस्थितियों में हम या तो भारत के खोये हुए सम्मान तथा प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करें और रूस तथा अमरीका पर प्रभाव डालें और उनके बीच मध्यस्थ

बनने का प्रयत्न करें ताकि वे शस्त्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार की साजिश को बन्द करने के लिये एक बुद्धिमतापूर्ण समझौता कर सकें या फिर हम आत्म निर्भर होने का मार्ग अपनायें जो कि और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय विदेशों में हमारे प्रतिभाशाली, होनहार 10,000 भारतीय तकनीशियन, वैज्ञानिक, टैक्नौलोजीविज्ञ तथा इंजीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं जो हमारी सैनिक तैयारी को नया रूप प्रदान कर सकते हैं और संसार के बाजार से पुराने हथियारों को खरीदने के लिये दूसरों पर निर्भर करने वाले इस प्रकार की उपनिवेशवादी स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। आज उन्हें देश में वापस बुलाने की आवश्यकता है। उनसे हमें देश के नाम पर वापस आने की अपील करनी है ताकि हम अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी इस ढंग से कर सकें कि हम मूलतः अपने हथियारों, शक्ति, एकता तथा साहस पर निर्भर रह सकें और न कि दूसरों की उदारता तथा दया पर।

श्री गणेश (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : यह सच है कि पाकिस्तान बड़े जोर-शोर से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। और विश्व के कुछ देश पाकिस्तान को तनावपूर्ण स्थिति में रखना चाहते हैं। विश्व के इस भू-भाग में तनाव पैदा करने के लिए पाकिस्तान को शक्तिशाली बनाया जा रहा है वियतनाम, इजरायल, यूनान और रोडेशिया की भांति पाकिस्तान को भी हथियार दिये जा रहे हैं। जैसाकि मेरे मित्र श्री नाथ पाई ने "न्यूयार्क टाइम्स" का उद्धरण देते हुए बताया है कि एक बिलियन डालर की कीमत के रद्धी तथा पुराने अमरीकी हथियारों का उन विभिन्न विकासशील देशों को निर्यात किया जा रहा है जिनको हथियारों की जरूरत है। इस सम्बन्ध में यह मान लिया जाना चाहिये कि अमरीका का सैनिक उद्योग-समूह अपने रद्दी हथियारों को बाहर भेजना चाहता है और इस तरह विश्व के विभिन्न भागों को झगड़े का क्षेत्र बनाना चाहता है। वियतनाम में उनकी युद्ध नीति यही है। वह वियतनाम और पश्चिम एशिया में एक सीमित युद्ध लड़ रहा है। अमरीका हमारे क्षेत्र में तनाव पैदा करना चाहता है और यहां आन्तरिक तोड़-फोड़ अथवा भारी विनियोजन के द्वारा या पाकिस्तान जैसे देश को हमारी स्वतन्त्रता, विदेश नीति और इस देश की अखण्डता के विरुद्ध खड़ा करके हमारे क्षेत्र में तनाव पैदा करना चाहता है ताकि हम कमजोर हो जायें। हमारी स्वतन्त्रता को खतरे में डालने के लिये अमरीका, चीन तथा अन्य पश्चिमी देश, जिनकी भाषाएं अलग-अलग हैं, नीतियां एक दूसरे की प्रतिकूल हैं, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं।

वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने तथा भूतकाल में चीन तथा पाकिस्तान के साथ संघर्ष से हमें जो अनुभव हुआ है, हमें केवल एक वैकल्पिक नीति बनानी पड़ेगी। हमारे लिये अपनी सशस्त्र शक्ति को बढ़ाना तथा अस्त्र-शस्त्र उद्योग बनाना आवश्यक है। हमें हथियार ऐसे देशों से लेने चाहिए जो हमें हमारी स्वतंत्रता तथा विदेशी नीति का सौदा किये बिना हमें हथियार देने के लिये तैयार हैं। हमारे लिये अपनी आर्थिक शक्ति मजबूत करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम केवल अपनी आर्थिक शक्ति तथा लोगों की समृद्धि से ही हमलावर का मुकाबला कर सकेंगे।

Shri P. N. Solanki (Kaira) : Sir, we are faced with a number of problems today both internal and external.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

We want to live peacefully, but ours neighbours China and Pakistan disturb our peace and create trouble on our borders. To our utter surprise, it is also a fact that there are some countries who profess to be the supporters of international peace and who talk of disarmament are supplying arms to Pakistan and thus they are betraying the other nations of the world, creating tension in this area and causing trouble to others. What for they are arming and binding up Pakistan ? Our Government must raise a strong voice against these countries and their attitude. So far as U. S. A. is concerned, they had thought that Pakistan would use their arms against Communist China. But their expectation had proved wrong. It is very strange that they have not yet realised that Pakistan is inimical to India and they still continue to give arms to Pakistan. Our Government should be bold enough to bring this fact to their notice and ask them to discontinue this practice.

So far as our intelligence service is concerned, I feel constrained to say that its record is not commendable and satisfactory. It has not achieved efficiency in its working. It failed us whenever there was an agression on our borders. It is, therefore, absolutely necessary to modernise it and make it more efficient so that it could give us important information.

U. S. A. is giving one billion dollar to Pakistan annually in coasideration of its military base in that country. This money is being given for the base they have established in Pakistan. But Pakistan is using this amount for the purchase of arms to fight against India. Let us make it cristal clear to America that they could give any amount of aid to Pakistan, but it should not be used for fighting against our country. So far as this particular matter is concerned, we should lodge a strong protest with U. S. A. and if necessary, we should raise our voice against her in case she ignores the fact.

So far as the Tashkent Agreement is concerned, we are doing our best to abide by it. But Pakistan is not honouring it It is the duty of Russia to see that Pakistan also observed this agreement as they were instrumental in bringing about this agreement. They should not shirk their responsibility which devolves upon them by virtue of their being a mediator in the agreement.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Sir, the war prepatation on a large scale by Pakistan which is inimical to us, naturally causes concern and our anger at there preparations by her is natural. But it is awfully improper on the part of the hon. Members to create an impression that we are not vigilant about threat on our borders and are weak and helpless to defend our territorial integrity and our independence, because this impression will tend to weaken the moral of our people. It is true that we had to suffer some deliacles on our borders in 1962 as a result of the Chinese agression when she stated in our back. But at that time we were fully enganged in solving our basic problems, economic, Social and national. But from this bitter experience, we learnt that it was absolutely necessary in the interest of the country and the defence thereof to build our own armament industry and the economic strength of our country. To-day some powers of the world want to build tension in this area and also to disrupt our economy. Let us not forget the valour and courage shown by our Jawans and countrymen during the Indo-Pak conflict in 1965. Even to-day, when China and Pakistan are in bellicose posture, if there is any aggression against our country, the whole nation will meet it as one man. I, therefore, appeal, through you, Sir, to all the Members on both sides of the House to create an atmosphere of unity and self-confidence and adopt a national approach.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : हमारे लिये आज इस बात का पता लगाना आवश्यक है कि 27 जुलाई को जिन रहस्यों को खोला गया था, उनका स्पष्टीकरण किया जायेगा अथवा नहीं। वैदेशिक कार्यमंत्री, श्री सु० क० चागला ने भोलेपन से जो यह बात कही कि पश्चिम जर्मनी की सरकार से मुझे कुछ आश्वासन मिले हैं और उन पर यकीन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मुझे वह पसन्द नहीं है। पश्चिम जर्मनी की सरकार जो कुछ भी कर रही है, चाहे वह उससे इन्कार ही क्यों न करती हो बावजूद उसके वह उसी नीति का अनुसरण कर रही है जो कि उसने इस सम्बन्ध में बनाई है और कम से कम पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने के बारे में 1964-65 के पश्चात् उसका यह रवैया और भी निसंकोचपूर्ण हो गया है।

पिछले वर्ष, 1966 की गर्मियों में यूरोप के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि पश्चिम जर्मनी और पाकिस्तान के बीच 20 करोड़ मार्क्स मूल्य की एक गुप्त सन्धि हुई है जिसके अन्तर्गत जर्मनी पाकिस्तान को उन कोब्रा एंटी-टैंक मिसाइल्स के अलावा, जिनका उसने भारत–पाकिस्तान संघर्ष के समय प्रयोग किया था, अन्य आधुनिक सैनिक साज–सामान हथियारों तथा तकनीकी जानकारी की सप्लाई करेगा, फिर 7 दिसम्बर, 1966 को पश्चिम बर्लिन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस सेवा ने यह शरारतभरा समाचार प्रकाशित किया था कि पूर्वी पाकिस्तान,–पश्चिम बंगाल, आसाम, नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा और मनीपुर, सिक्किम तथा भूटान को मिलाकर एक नया राज्य बन गया है और प्रामाणिक पश्चिमी टिप्पणीकारों का विचार है कि भारत-पाकिस्तान उप महाद्वीप में उत्पन्न होने वाली गम्भीर समस्याएं इससे हल हो सकती हैं। इस तरह पश्चिम जर्मनी काम कर रहा है। पश्चिम जर्मनी के उत्कट देश प्रेमियों ने गतवर्ष दिसम्बर में कीव में हुए एक सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि, यह समझ में नहीं आता कि भारत जैसे देश को, जो जर्मनी को दो राज्यों में मानता है, हजारों मार्क्स क्यों देते हैं। अपने प्रति पश्चिम जर्मनी के इस प्रकार के रवैये को देखते हुए हमें हाल्स्टीन सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए हमें अपनी मूल–जिम्मेदारियों से, जिनका हम पालन करना आवश्यक समझते हैं, हट जाना चाहिए।

यह सरकार दमनकारियों का साथ देती है, जैसाकि एक कांग्रेसी सदस्य ने बताया। यह वियतनाम में अमरीकी आक्रमण, दक्षिण अफ्रीका में काले–गोरे का भेद करने वाले शासन और रोडेशिया में जातिभेद करने वाले डाकुओं तथा अफ्रीकी लोगों के विरुद्ध पुर्तगाली आतंकवादी आन्दोलन में सहयोग करती है। इसके आचरण का नवीनतम उदाहरण है कि इसने इजरायल से मिलकर अरबों के विरुद्ध नृशंसता से लड़ाई लड़ी।

हम पाकिस्तान के साथ मित्रता चाहते हैं, ताशकन्द घोषणा का पालन करना चाहते हैं, इस बारे में कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के कारण पाकिस्तान की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तथा देशों के बीच शत्रुता बनाये रखना चाहते हैं, जिसको वे कुछ अवांछनीय लोग होने के कारण भड़का सकें दूसरी ओर जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिनकी हमारे साथ मित्रता सच्ची है तथा जिसके साथ हमारे सम्बन्ध बढ़ने चाहिए। जर्मन संघ गणराज्य में गतवर्ष प्रकाशित एक पुस्तक "इंडिया, विदाउट और विदआऊट मिरेकल्स" में से एक वाक्य उद्धरत करना चाहता हूं:—

"मैंने रूरकेला में एक विशेष रूप से होशियार फोरमैन को कहते हुए सुना कि '40 करोड़ भारतीयों के लिये गैस भट्टियों के स्थान पर गैस चैम्बर बनाना अधिक बुद्धिमत्ता होगी।"

हमारे देश के बारे में वे ऐसा कहते हैं। यह पुस्तक भारत में तत्कालीन जर्मन राजदूत की स्वीकृति से प्रकाशित की गई थी। इसके विपरीत जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ हमारी मित्रता है; हमारे आर्थिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। 1959 में उसके प्रधान मंत्री भारत आये थे। लेकिन इस होल्सटीन सिद्धान्त के कारण हम उसे मान्यता देने में डरते हैं। हमने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में अपने व्यायम् प्रतिनिधि को उतना स्तर भी प्रदान नहीं कर रखा है जितना कि इस देश में उनके प्रतिनिधियों को प्राप्त है। हमें बॉन की बातों को स्वतः नहीं मान लेना चाहिए और अपने दूतावास से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें दोनों जर्मनी से सम्बन्ध रखने चाहियें, जिनके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं।

Shri Ram Kishan (Hoshiarpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, since Pakistan suffered a serious defeat in the 1965 conflict it has been going round the world through its resourceful agents making frantic efforts to strengthen for war machine. She is making war-like preparations. We must look into the military and political lessions of Arab-Israel war which lasted only 95 hours.

I want to draw the attention of the Defence Minister and Minister of External Affairs to 3-4 important matters. India has fully implemented the ceasefire provisions whereas Pakistan army stays quite close to our borders. Sialkot is at a distance of 4 miles from the ceasefire line, in case of Gujarat it is 12 miles, Kharia 8 miles, Murce 16 miles and so on whereas according to cease fire agreement they remain at a distance of 15-20 miles. She has evacuated civil population completely from this area and has build aerodromes in East Bengal, where China has given training in the operation of MIGs. Will trained gurillas, infiltrators, majahids and amars have been massed there. There are all alarming things.

The Pakistan Defence Minister stated that the defence budget of his country has been kept as low as Rs. 218 crores but in fact, if we go into details, we will find an allocation of Rs. 400 crores. Pakistan has provided 57% for Defence. We should take a serious note of all these things. We must take a lesson from the Arab-Israel war that our air force should not only be dispersed but also well protected and we should be fully prepared for a surprise attack.

The brave jawans of India, particularly of Punjab, faced the Chinese strategy, U. S. arms and the Pak army very well. India as a peace-loving country but two dictators of the world Mao-Tse-Tung and President Ayub want to crush the largest democracy in the world. I have not even an iota of doubt that if they attempt to do so, our brave jawans would give them a crushing defeat.

We should be a nation at arms. I do not want India to become a war monger but she should be at least war cautions. I will appeal to my friends in opposition to unite under one flag and raise a united voice in such a grave situation. We have to build up self-confidence. I hope that Government of India will mobilise all its resources to face any challenge to our integrity.

Shri Rabi Ray (Puri) : At the very outset I will say that the foreign policy of India is not realistic. The statement of Shri Chagla is not at all convincing that the Government of West Germany have assured that arms are not being supplied to Pakistan by West

German through Iran. It is absolutely wrong. You will be surprised to know the statement of Robert Macloskey, Deputy Secretary in U. S. Department of States, as it appeared in the press on 28th.

"I do not want answer the question in the abstract," said Mr. Robert Macloskey. Mr. Robert Macloskey yesterday declined to say whether U. S. A. would allow West Germany to American tanks to Pakistan."

The reports in the "Statesman" of 28th clearly indicate that Pakistan had been getting U.S. arms through Bonn. There are reports that Iran has recently signed agreements with three arms brookers-Yere of West Germany, Hamid Khan of Pakistan and Levy Brothers of Canada-in the hope of obtaining tanks from German stocks of U. S. surplus. Still the Minister of External Affairs was content with the assurance given by Bonn. It appears that we have no foreign policy, our position has become ridiculous in the world.

When Germany was defeated in 1946, had we extended a friendly hand to it, she would be our life and death partner. Shri Chagla has expressed gratitude in this House on many occassions for the assistance rendered by Germany to India but still Germany continues to help Pakistan. Had our Prime Minister pleaded for termination of all imperialistic treaties, there would have been better relations of the world with Japan and Germany. The Indo-Pak amity and Hindu-Muslim amity can only be achieved with the formation of a confederation of India and Pakistan. About the issue under discussion I will appeal to the hon. Minister that instead of taking the world of Bonn for granted, he should rely on the information given by our diplomats and take initiative to make the country militarily strong.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, at the out I want to say that whatever we may do as a gesture of goodwill towards Pakistan, she would never give up her policy of hostility. It is not my view but the view expressed by Khan Abdul Ghaffar Khan. It should not be forgotten that Pakistan suffered a defeat in the last conflict and whenever she gets a chance, she will try to avenge his defeat.

Our Defence Minister is a strongman and our army is also strong. They have forced defeat on the enemy on numerious ocassions. But it is always advisable not to regard the enemy as weak. The war history of Israel, Japan, Korea and Cuba have proved that small countries can defeat big countries. We should not regard Pakistan as weak.

In the dictionaries of West Germany the meaning of PAK is-P for stands for Punjab, A for Afghanistan and K for Kashmir, so they consider Kashmir as part of Pakistan. What publicity work is being done by our Embassies there ? West Germany is supplying arms to Pakistan. We must give due importance to our publicity a broad. Propaganda is more important than defence. Our country, our army has increased and improved, I am sure that we will give a crushing defeat to China and Pakistan if they try to attack us. But at the same time we should not be complacent.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I am thankful to Shri Prakash Vir Shastri who alerted the Government about the supply of arms to Pakistan by foreign powers. But some Members following him tried to create an impression that India is helpless while Pakistan is being militarily helped by China and U.S.A. It is not in our own interest such an impression. We are a brave nation and our people have enough strength to deal with aggression by any foreign power. The Pakistan army was superior in armour in 1965 but our army and our people defeated them. Have they not given ample proof of their courage and bravery ? Therefore, let us not unnecessarily create an atmosphere of helplessness.

Since Pakistan is a member of SEATO and CENTO, it is obvious that she would get free arms supply from the fellow members of these organisations. USA and China would also continue to supply arms to Pakistan. But we should not get unduly pesturbed over it and it is not in the interest of the country to create unnecessary tension in the country. It an aggression is committed against us, all of us. Hindus and Muslims, would face the challenge unitedly and beat back the aggression.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पाकिस्तान को पश्चिम जर्मनी द्वारा विमान, टैंक, हथियार आदि युद्ध सामग्री की बिक्री के बारे में इस बहस ने विदेशी मामलों और प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी विवाद का रूप धारण कर लिया है। इससे इस बारे में इस सभा और देश की चिन्ता व्यक्त होती है।

जर्मन सरकार ने हमें स्पष्ट आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान अथवा ईरान को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं बेचे जायेंगे, जिसका अर्थ है कि न केवल स्वयं जर्मन सरकार कोई करार नहीं करेगी अपितु कोई भी जर्मन गैर-सरकारी एजेन्सी करार नहीं कर सकेगी। पहले पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर केसिंगर ने हमारे राजदूत को बताया कि जर्मन सरकार इस बारे में भारत की भावनाओं से परिचित है और वे जर्मन संघ गणराज्य से कोई भी हथियार पाकिस्तान भेजने की अनुमति देंगे। 27 और 28 जुलाई को पश्चिम जर्मनी के मंत्रिमण्डल ने अमरीका की सीनेट के सामने प्रकट की गई बातों तथा भारत सरकार के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद भारत, पाकिस्तान और ईरान जैसे तनाव वाले क्षेत्रों को हथियार न बेचने की नीति की पुष्टि की थी। जब तक हमें इस आश्वासन के भंग किये जाने का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, हमें एक मित्र देश की सदाशयता पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

श्री मुकर्जी ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बारे में कहा। मैं सहमत हूँ कि उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और अधिक घनिष्ठ हो रहे हैं। हाल ही में हमने वहां पर एक व्यापार केन्द्र खोला है और मैं विश्वास करता हूं कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : वहां पर आप एक वाणिज्य मण्डल क्यों नहीं खोलते ?

श्री मु० क० चागला : इस पर हम विचार करेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री का यह कहना ठीक नहीं है कि हमने पाकिस्तान को हाल में हथियारों की सप्लाई को साधारण और सामान्य समझा है। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि पाकिस्तान सारे विश्व में हथियार खरीदने में लगा हुआ है। विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों और मिशनों ने हमें और प्रतिरक्षा मंत्रालय को जानकारी दी है। हमें अपने मिशनों के नौ-सैनिक, सैनिक तथा वायु सेना के अधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु ये गोपनीय होती हैं, इसलिये हम इन्हें प्रकट नहीं कर सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : from which source this information about the voyage of ships to Germany via Canada was first received, from our embassy or from our sources in U.S.A. ?

Shri M. C. Chagla : We got it in Aprii and we immediately protested to U. S. A. and Canada. This evidence was tendered later on.

मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से सहमत हूं कि अमरीका इस बात को नहीं समझ रहा है कि पाकिस्तान और चीन में साठ-गांठ है तथा एशिया में केवल भारत ही चीन के प्रसारवाद को रोक सकता है। हमने यह अमरीका को सुस्पष्ट रूप में बताया भी है परन्तु वह भारत और पाकिस्तान को बराबर रख रहा है। हमने अमरीका को विरोध पत्र भी भेजा।

इसके बारे में मैं एक भ्रम को दूर करना चाहता हूं। हमें रूस के सर्वोच्च शासनाधिकारी से आश्वासन मिला है कि रूस पाकिस्तान को कोई भी घातक हथियार न तो दे रहा है और न ही कभी देगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री का यह कहना गलत है कि पाकिस्तान को बहुत से रूसी हथियार मिले हैं। श्री शास्त्री ने पाकिस्तान द्वारा हाल में प्राप्त किये गये हथियारों का विवरण दिया। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत चिन्ता वाली बात है लेकिन प्रतिरक्षा मंत्री सभा और समूचे देश को यह आश्वासन दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण का सामना करने की स्थिति में है। श्री नाथ पाई ने हमारी सेना का उपहास उड़ाते हुए कहा कि हमारे पास संग्रहालय में रखने योग्य 1906 के समय के शस्त्रास्त्र हैं। यह सभा और विरोधी पक्ष के लोग ये समझेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्री अथवा मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि हमारे पास क्या-क्या और कौन-कौन से हथियार हैं। क्या आप पाकिस्तान को यह जानकारी प्राप्त होने देना चाहते हैं।

श्री बलराज मधोक : हम यह नहीं चाहते। जनता के मस्तिष्क में पिछले तीन युद्धों, 1947 में काश्मीर पर आक्रमण, कच्छ आक्रमण और 1965 में गत युद्ध, के अनुभवों के कारण संशय उत्पन्न हुआ है।

श्री मु० क० चागला : क्या 1965 में सरकार ने पाकिस्तानी आक्रमण से इस देश की रक्षा नहीं की थी और क्या पाकिस्तान को नहीं हराया था ? क्या सारा देश सरकार के पीछे एक होकर नहीं लड़ा था ? पाकिस्तान के पास अधिक अच्छे और आधुनिकतम हथियार होते हुए भी हमारी जनता के दृढ़ निश्चय, एकता और हमारे जवानों की बहादुरी से हमने पाकिस्तान को हराया था। यदि भविष्य में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया तो हम ऐसा ही जवाब देंगे। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री मु० क० चागला : यदि हम पाकिस्तान के साथ मित्रता चाहते हैं और ताशकन्द समझौते का पालन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी शक्ति न बढ़ाये हमें बराबर सतर्क रहना है। यदि हम शक्तिशाली होंगे, तो पाकिस्तान के बात करने के लिये सहमत होने की अधिक सम्भावना है।

श्री नाथ पाई ने सुझाव दिया कि सामान्य निरस्त्रीकरण तथा हथियारों की सप्लाई सीमित करने के बारे में रूस और अमरीका के बीच एक करार इसका हल होगा। उनका यह कहना ठीक था कि रूस और अमरीका के पास जो हथियार हैं, वे नये हथियार बन जाने से दिन प्रतिदिन पुराने होते जाते हैं और वे उन हथियारों को अन्य देशों को बेचना चाहते हैं। यह विश्व के लिये एक भयंकर खतरा है। जब सामान्य निरस्त्रीकरण तथा हथियारों की सप्लाई सीमित करने के बारे में दोनों बड़ी शक्तियों के करार नहीं हो जाता, तब तक युद्ध का खतरा बना रहेगा। भारत ने इस उद्देश्य से जेनेवा में सामान्य निरस्त्रीकरण समिति के सामने पांच सूत्री प्रस्ताव रखा था। हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं। हमें घबराना या आतंकित नहीं होना चाहिए और प्रतिरक्षा मंत्री के आश्वासन में विश्वास करना चाहिये कि पाकिस्तान यदि आक्रमण करे तो भारत उसका सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 4 अगस्त, 1967/13 श्रावण, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 4. 1967/ Sravana 13, 1889 (Saka).